[2020] 2 एस. सी. आर 161

धीरज मोर

वी.

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

(2020 की सिविल अपील संख्या 1698)

19 फरवरी, 2020

[अरुण मिश्रा, वाइन सरन और

एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 233-235 - Art.233 की व्याख्या-सीधी भर्ती के माध्यम से बार सदस्यों के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों की पात्रता-याचिकाकर्ता जो न्यायिक सेवा में हैं, ने अन्य बातों के साथ दावा किया कि भर्ती के दो स्रोत हैं

यू/Art.233 (2)-न्यायिक सेवा से और बार से; इस प्रकार, न्यायिक सेवा में 7 साल का अभ्यास करने वाला व्यक्ति बार में शामिल होने से पहले

सेवा (या न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवा के साथ संयुक्त), प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं

बार के सदस्यों के साथ (7 या अधिक वर्षों के अभ्यास के साथ), सीधे भर्ती के लिए, ऐसे अधिवक्ताओं द्वारा भरे जाने के लिए निर्धारित कोटे में उच्चतम न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्दिष्ट मामला-संदर्भ का उत्तर देते हुए, आयोजित किया गयाः अरुण मिश्रा और विनीत सरन, जेजे के अनुसार। – राज्य की न्यायिक सेवा में सदस्यों को पदोन्नति/सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है-(2) के उद्देश्य के लिए, एक अधिवक्ता जो कट-ऑफ तिथि पर कम से कम 7 साल तक प्रैक्टिस में रहता है और जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के समय सीधे भर्ती के माध्यम से जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है यदि वह पहले से ही संघ की न्यायिक सेवा में नहीं है या न्यायिक सेवा के राज्य सदस्य जिनके पास 7 वर्ष हैं।

सेवा में शामिल होने से पहले वर्षों का अभ्यास (या सेवा के साथ संयुक्त)

न्यायिक अधिकारी के रूप में) जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं-उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम न्यायिक सेवा अधिकारियों को अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित पदों के खिलाफ जिला न्यायाधीश के पद पर दावा करने से रोकते हैं।

भर्ती, अधिकार से परे नहीं हैं और कला के अनुरूप हैं। 14 , 16 & 233 - ऐसे मामलों में जहां सेवाकालीन अधिकारियों की नियुक्ति बार से सीधी भर्ती के माध्यम से की गई थी (धीरज मोड़ और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न अंतरिम आदेशों को देखते हुए, हालांकि बाद में खाली कर दिया गया था), दायर की गई रिट याचिकाओं को खारिज करने के मद्देनजर।

न्यायिक अधिकारियों द्वारा, वे जिला न्यायाधीशों के रूप में जारी नहीं रह सकते हैं

यदि पदोन्नति के लिए चैनल में उनका अधिकार पहले ही परिपक्व हो चुका था, और उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था, तो उच्च न्यायालय प्रचलित नियमों के अनुसार उनकी पदोन्नति पर विचार करेगा-एस. रवींद्र भट, जे. (पूरक)-Art.233 के तहत, एक न्यायिक अधिकारी, उसके या उसके पिछले अनुभव की परवाह किए बिना

सात साल की प्रैक्टिस वाला अधिवक्ता आवेदन नहीं कर सकता है, और जिला न्यायाधीश के पद में किसी भी रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है।

उस पद पर कब्जा करने का मौका पदोन्नति के माध्यम से होगा, यू/Art.234 के तहत बनाए गए नियमों और Art.309 के प्रावधान के अनुसार-न्यायिक अधिकारियों के विचार से नियमों द्वारा बहिष्करण,

न्यायिक सेवा-क़ानूनों की व्याख्या। भारत का संविधान-कला। 233 (1) , 234 , 235 - आयोजित किया गयाः अरुण मिश्रा और विनीत सरन, जेजे के अनुसार। - किसी राज्य का राज्यपाल होता है

नियुक्ति, पदोन्नति, नियुक्ति और स्थानांतरण के उद्देश्य से प्राधिकरण-पात्रता यू/आर्ट्स द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। 234 &

235 एस. रवींद्र भट, जे. (पूरक)-एक का राज्यपाल

राज्य को किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने और उनकी नियुक्ति और पदोन्नति करने का अधिकार है।

इस प्रकार नियुक्ति करते समय, राज्यपाल उच्चायुक्त से परामर्श करने के लिए बाध्य है।

न्यायालय-कला। 233 (1) नियुक्ति के स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है;

यह केवल यह बताता है कि नियुक्ति प्राधिकरण कौन है-प्रारंभिक नियुक्ति, प्रारंभिक नियुक्ति और पदोन्नति से संबंधित मामलों में

जिला न्यायाधीशों, राज्यपाल के पास आदेश जारी करने का अधिकार है; इसके बाद यह उच्च न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह ऐसे जिला न्यायाधीशों-सेवा कानून-उच्च न्यायिक सेवा की सेवा की शर्तों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण का प्रयोग करे।

भारत का संविधान-कला। 233 (2) - न्यायपालिका की पात्रता

मिश्रा और अन्र। वी. पटना में उच्च न्यायालय और अन्य। [2016] 3 एस. सी. आर. 806 के रूप में रिपोर्ट किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बार निर्धारित किया गया था

यू/Art.233 (2) केवल केंद्र/राज्य सरकार की सेवा में व्यक्तियों की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है। और भर्ती में उनकी भागीदारी नहीं धीरज मोर v.

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

प्रक्रिया और यदि उनका चयन किया जाता है, तो वे इस्तीफा दे सकते हैं और पद में शामिल हो सकते हैं-आयोजितः अरुण मिश्रा और विनीत सरन, जेजे के अनुसार। – विजय कुमार मिश्रा न्यायिक अधिकारी को प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्यता प्रदान करते हैं

जिला न्यायाधीश का पद सीधी भर्ती के माध्यम से, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है-खारिज-एस. रवींद्र भट, जे.

(पूरक)-विजय कुमार मिश्रा, जहाँ तक यह एक बनाता है

चयन के चरण में उम्मीदवार की पात्रता पर विचार करने और नियुक्ति के समय गणना योग्य पात्रता के बीच का अंतर गलत है-किसी भी उम्मीदवार की पात्रता

उसकी गणना उसके चयन की तारीख से नहीं, बल्कि नियमों या सेवा कानून-उच्च न्यायिक सेवा पद के लिए विज्ञापन के संदर्भ में की जाती है।

सेवा कानून-उच्च न्यायिक सेवा-जिला न्यायाधीशों के पदों पर दो स्रोतों से भर्ती-सेवा में और बार से-न्यायिक सेवा के उम्मीदवारों द्वारा पदों के खिलाफ दावा।

पिछले सात दशकों से देश में प्रशासित कानून से पता चलता है कि भर्ती के उपरोक्त तरीके और दो अलग-अलग स्रोत

मान्यता प्राप्त हैं-भेदभाव को स्वीकार करने के लिए कोई जगह नहीं है

कला पर आधारित। 14 & 16 - Art.233 (2) नकारात्मक "नहीं" से शुरू होता है, जो पद के खिलाफ न्यायिक अधिकारियों के दावे को अमान्य करता है। अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित-एस. रवींद्र भट, जे. (पूरक)-चूँकि संविधान स्वयं एक ओर अधिवक्ताओं और दूसरी ओर न्यायिक अधिकारियों के बीच अंतर करता है, इसलिए भेदभाव का तर्क असंगत है-संविधान

भारत का-कला। 14 , 16 & 233 .

भारत का संविधान-कला। 124 , 217 , 233 (2) – जिला न्यायाधीश के पद के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने के लिए न्यायिक अधिकारियों की पात्रता

प्रत्यक्ष भर्ती का तरीका-एक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने वाली याचिका और न्यायिक अधिकारी के रूप में 10 साल की सेवा को समान माना जाना चाहिए

व्याख्या के अनुसार कला में जोड़ा गया। 124 & 217 - आयोजित किया गयाः रामेश्वर में

दयाल, इस प्रश्न पर विचार किया गया है और यह माना गया है कि

कला में जोड़ी गई व्याख्याओं को देखते हुए Art.233 (2) की व्याख्या नहीं की जा सकी। 124 & 217 . शब्द और वाक्यांश-"नियुक्ति", "अधिवक्ता", "वकील"-जिसका अर्थ है-चर्चा की गई-भारत का संविधान-Art.233।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने पेर अरुण मिश्रा, जे। [स्वयं और वाइन के लिए

पकड़नाः 1.1 संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया गया था 1950 संविधान सभा के अध्यक्ष के अधिकार के तहत। संविधान के अनुवाद को हिंदी भाषा में उसका आधिकारिक पाठ माना जाएगा।

हिंदी भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा के संस्करण को ध्यान में रखते हुए, अर्थ समान है, और व्याख्या नहीं बदलती है। इस भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है कि वे अनुच्छेद 233 में प्रदान की गई नियुक्ति के दो अलग-अलग स्रोत हैं। [पैरा 9,11] [184-ए, सी-डी]

प्राधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल को उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग करना होता है। 'नियुक्ति' शब्द व्यापक है और इसमें सीधी भर्ती या पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति शामिल है, और कभी-कभी इसमें, यदि नियमों में ऐसा प्रदान किया गया है, तो अवशोषण के माध्यम से भी शामिल हो सकता है। अनुच्छेद 233 (2) एक नकारात्मक शर्त के साथ शुरू होता है कि एक व्यक्ति जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, वह केवल जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा यदि वह कम से कम 7 वर्षों से अधिवक्ता या वकील रहा है और है

नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित। 'संघ या राज्य की सेवा में' अभिव्यक्ति की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा न्यायिक सेवा के रूप में की गई है। न्यायिक सेवा के व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, अनुच्छेद 233 (2) में प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति जो संघ की सेवा में नहीं है, केवल तभी पात्र होगा जब वह 7 वर्षों से एक अधिवक्ता या वकील के रूप में व्यवहार में रहा हो; जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सेवा में हैं, वे पदधारी से अलग श्रेणी के हैं जिन्हें 7 वर्षों के अभ्यास पर जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अधिवक्ता या वकील। अनुच्छेद 233 (2) कहीं भी जिला न्यायाधीश के रूप में विचार के लिए सेवाकालीन उम्मीदवारों की पात्रता प्रदान नहीं करता है।

एक वकील या वकील के रूप में 7 साल के अभ्यास की आवश्यकता वाले पद के संबंध में। अधिवक्ता या अधिवक्ता के लिए 7 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता प्लीडर एक राइडर के साथ योग्य है कि वह संघ या राज्य की सेवा में नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 233 भर्ती के दो स्रोत प्रदान करता है, एक न्यायिक सेवा से और दूसरा धीरज मॉर बनाम।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

अधिवक्ता या वकील। दो अलग-अलग धाराएँ प्रदान की गई हैं; एक न्यायिक सेवा में व्यक्तियों के लिए है और दूसरी उन लोगों के लिए है जो न्यायिक सेवा में हैं।

संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में नहीं है और सात साल तक वकालत की है। 'संघ या राज्य की सेवा में' अभिव्यक्ति की व्याख्या चंद्र मोहन में न्यायिक के रूप में की गई है।

सेवा, संघ या राज्य की कोई अन्य सेवा नहीं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि केवल न्यायिक सेवा के सदस्य जिला न्यायाधीश के पद के स्थान पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं क्योंकि सेवाकालीन उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए प्रदान किया गया एकमात्र साधन पदोन्नति है। वे पदोन्नति या योग्यता पदोन्नति के नियमों के अनुसार अपना दावा कर सकते हैं। इस न्यायालय ने स्वतंत्रता से पहले भारतीय सिविल सेवा, प्रांतीय न्यायिक सेवा या अन्य कार्यकारी सेवाओं से व्यक्तियों को बाहर कर दिया था, जिला न्यायाधीश के पद पर भर्ती अन्य सेवाओं से भी प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 233 (2) में प्रावधान है कि यदि किसी अधिवक्ता या वकील को नियुक्त किया जाना है, तो उसने 7 साल की प्रैक्टिस पूरी की होगी। यह प्रारंभिक भाग में इस शर्त के साथ जोड़ा गया है कि व्यक्ति संघ या राज्य की सेवा में नहीं होना चाहिए, जो राज्य की न्यायिक सेवा है। न्यायिक सेवा में व्यक्ति अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित कोटे के विपरीत नियुक्त होने का पात्र नहीं है। एक बार जब वह सेवा की धारा में शामिल हो जाता है, तो वह एक वकील बनना बंद कर देता है। 7 साल के न्यूनतम अनुभव की आवश्यकता को अभ्यास करने वाले अधिवक्ता के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि कट-ऑफ तिथि पर उपयोग किया जाने वाला वाक्यांश अतीत की एक निरंतर स्थिति है। जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है, वह व्यवहार में रहा है, यह स्पष्ट है कि प्रावधान एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करते हैं जो न केवल कट-ऑफ तिथि पर अधिवक्ता या वकील रहा है, बल्कि नियुक्ति के समय भी ऐसा ही है। [पारस 12-14] [184-D-H; 185-A-H]

चंद्र मोहन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। [1967]

1 एससीआर 77: ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1987-इसके बाद।

1.3 सेवाकालीन उम्मीदवार एहि पद लेल आवेदन नहि कऽ सकैत छथि।

अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित है क्योंकि उसे अतीत में और उस समय जब उसने आवेदन किया और नियुक्त किया है, निरंतर अभ्यास में होना चाहिए। इस प्रकार, विजय कुमार मिश्रा के निर्णय को कानून को सही ढंग से निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है। न्यायपालिका में एक व्यक्ति

सेवा जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है, लेकिन यह केवल पदोन्नति या योग्यता पदोन्नति के माध्यम से है, जो अवधारणा [2020] 2 एस. सी. आर.

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य में विकसित किया गया है। वी. भारत संघ और ओआरएस। (2002) 4 एससीसी 247। [पैरा 24,25] [204-सी-ई]

विजय कुमार मिश्रा और अन्र। वी. पटना में उच्च न्यायालय और अन्य। (2016) 9 एससीसी 313: [2016] 3 एससीआर 806

- खारिज कर दिया। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम। भारत संघ (2002)

4 एससीसी 247: [2002] 2 एस. सी. आर. 712-पर निर्भर।

1.4 अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के निर्णय से यह स्पष्ट है कि सेवा में योग्यता साबित करने के लिए

उम्मीदवारों को एक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा भी प्रदान की गई है, ताकि वे अपनी योग्यता के आधार पर जिला न्यायाधीशों का पद संभालने के लिए मार्च कर सकें। वे नहीं हैं।

एक बार न्यायिक धारा में शामिल होने के बाद अपनी खोज में किसी भी अवसर से वंचित, वे प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। यह उनके लिए खुला था कि वे अधीनस्थ सेवाओं में शामिल न हों। वे कर सकते हैं। जिला न्यायाधीश के पद के विरुद्ध उच्च न्यायिक सेवा में अधिवक्ता बने रहने का दावा किया है। हालाँकि, एक बार जब उन्होंने सेवा में रहने का विकल्प चुना, यदि उनके पास न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले बार में सात साल का अनुभव था, तो वे विभिन्न धाराओं के द्विभाजन और भर्ती के लिए अलग कोटे को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत कोटे पर दावा करने के हकदार नहीं हैं। हालाँकि, जब कोई अपनी इच्छा से किसी विशेष धारा, यानी न्यायिक सेवा में शामिल होता है, तो वह दो नावों में नहीं जा सकता है। जिला न्यायाधीश के पद पर कब्जा करने का उनका मौका या तो 50 प्रतिशत वरिष्ठता/योग्यता कोटे में, पदोन्नति द्वारा या सीमित प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोटा के माध्यम से होगा। बार से भर्ती के पीछे भी एक उद्देश्य है। वकालत करने वाले अधिवक्ताओं की भर्ती न केवल उच्च न्यायपालिका में बल्कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी की जाती है। बार के सदस्य भी अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हैं और विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं और विभिन्न न्यायालयों में उपस्थित होने का अनुभव रखते हैं। संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी और पिछले सात दशकों से देश में प्रशासित कानून से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भर्ती के उपरोक्त तरीके और दो अलग-अलग स्रोत, एक सेवा में और दूसरा बार से,

पहचाने जाते हैं। अनुच्छेद 14 और 16 के आधार पर भेदभाव को स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अनुच्छेद 233 (2) नकारात्मक धीरज मॉर v से शुरू होता है।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

" "नहीं", जो वकालत करने वाले अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित पद के खिलाफ न्यायिक अधिकारियों के दावे को अमान्य करता है। [पैरा 28 31] [208-एफ-एच; 209-ए-जी]

1.5 विधि आयोग द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की स्थिति में क्या हो सकता है। मौजूदा प्रावधान प्रतिबंधात्मक नहीं हैं लेकिन व्यापक प्रावधान प्रदान करते हैं।

अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप न्यायिक प्रणाली को सुधारने और मजबूत करने का विकल्प। [पैरा 36,37] [212-बी-डी]

1.6 रामेश्वर दयाल के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 233 (2) में जोड़े गए स्पष्टीकरणों को देखते हुए इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के किसी भी सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं है। [पारस 42,43] [214-ई; 215-जी] 1.7 सेवा न्यायशास्त्र में, योग्यता के साथ भर्ती और कोटा के विभिन्न स्रोत प्रदान करने की हमेशा अनुमति होती है। समान अवसर दिया जाता है, और वरिष्ठता और

योग्यता पदोन्नति के लिए मानदंड है, और योग्यता पदोन्नति में, वरिष्ठता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। [पैरा 44] [216-सी]

1.8 संदर्भ का उत्तर इस प्रकार दिया गया हैः

(i) राज्य की न्यायिक सेवा में सदस्यों को पदोन्नति या सीमित रूप से जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

प्रतियोगी परीक्षा।

((ii) किसी राज्य का राज्यपाल इस उद्देश्य के लिए प्राधिकारी होता है।

नियुक्ति, पदोन्नति, नियुक्ति और स्थानांतरण की पात्रता अनुच्छेद 234 और 235 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। (iii) अनुच्छेद 232 (2) के तहत, 7 साल की वकालत करने वाले अधिवक्ता या वकील को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता हैः

यदि वह पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में नहीं है तो सीधी भर्ती।

(iv) अनुच्छेद 233 (2) के प्रयोजन के लिए, एक अधिवक्ता को

कट [2020] 2 एस. सी. आर. पर 7 साल से कम समय तक अभ्यास जारी रखें।

जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के समय। 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले न्यायिक सेवा के सदस्य सेवा में शामिल होने से पहले प्रैक्टिस करने वाले या वकील और न्यायपालिका के सदस्य के रूप में 7 साल का संयुक्त अनुभव रखने वाले, जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

(v) उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम जो न्यायिक कार्य को प्रतिबंधित करते हैं।

सेवा अधिकारियों द्वारा अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के पद पर दावा करने से

भर्ती को अधिकार से परे नहीं कहा जा सकता है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 233 के अनुरूप है।

(vi) विजय कुमार मिश्रा द्वारा न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के पद के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्रता प्रदान करने का निर्णय।

प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से, कानून को सही ढंग से निर्धारित करना नहीं कहा जा सकता है। एतद्द्वारा वही खारिज किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां ऐसे सेवा में कार्यरत लोगों को बार से सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया था क्योंकि कोई योग्यता नहीं है

याचिकाओं में पाया गया और न्यायिक अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने के कारण, पात्रता के बिना चयन के आधार पर कोई फल नहीं पकाया जा सकता है, वे जिला न्यायाधीशों के रूप में बने नहीं रह सकते हैं। उन्हें उनके मूल पद पर वापस भेजना होगा। यदि पदोन्नति के लिए चैनल में उनका अधिकार पहले ही परिपक्व हो चुका है, और उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया है, तो उच्च न्यायालय को प्रचलित नियमों के अनुसार उनकी पदोन्नति पर विचार करना होगा। हालाँकि, वे अंतरिम आदेश के तहत प्राप्त ऐसी नियुक्ति के आधार पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, जो रिट याचिका के परिणाम के अधीन था और उन्हें वापस करना होगा। [पारस 47,48] [216-जी-एच; 217-ए-एच]

रामेश्वर दयाल बनाम। पंजाब राज्य और अन्य। आकाशवाणी 1961

एससी 816: [1961] एस. सी. आर. 874-अनुसरण किया गया।

सत्य नारायण सिंह बनाम। उच्च न्यायालय में इलाहाबाद और ओआरएस। (1985) 1 एससीसी 225: [1985] 2 एससीआर 112; दीपक अग्रवाल बनाम। केशव कौशिक और अन्य।

(2013) 5 एससीसी 277: [2013] 1 एस. सी. आर. 402; सुषमा सूरी बनाम। सरकार. (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (1999) 1 एस. सी. सी. 330: [1998] 2 पूरक। एससीआर 187; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और ए. एन. आर. वी. भारत संघ (II) (2010) 15 एस. सी. सी. 170; पी.

धीरज मोर बनाम। दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

रामकृष्णम राजू बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (2014) 12 एससीसी 1: [2014] 4 एस. सी. आर. 562; दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार और अन्य। वी. ऑल इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन और ए. एन. आर. (2009) 14 एससीसी 49: [2009] 3 एससीआर 555-निर्भर

पर।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बनाम हरियाणा राज्य (1975) 1 एससीसी 843: [1975] 3 एस. सी. आर. 365; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम। भारत संघ (2010) 15 एससीसी 170;

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बनाम पंजाब राज्य

(2018) एससीसी ऑनलाइन एससी 1728; ओ. पी. गर्ग बनाम यू. पी. राज्य (1991) सप. 2 एससीसी 51: [1991] 2 एस. सी. आर. 424; असम राज्य और ए. एन. आर. वी. कुसेश्वर सैकिया और ओआरएस। ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1616 [1970] 2 एस. सी. आर. 928; अखिल भारतीय

न्यायाधीश संघ बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (1992) 1 एससीसी 119: [1991] 2 पूरक। एस. सी. आर. 206; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। (1998)

8 एस. सी. सी. 771; पांडुरंगम राव बनाम। आंध्र राज्य

प्रदेश और ओआरएस। ए. आई. आर 1975 एस. सी 1922: [1976] 1 एस. सी. आर. 620; चंद्र मोहन बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य। (II) ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1482; प्रो. चंद्र प्रकाश अग्रवाल बनाम। चतुर्भुज दास पारिख और अन्य। (1970) 1 एस. सी. सी 182: [1970] 3 एस. सी. आर. 354; बिहार राज्य और अन्य। वी. बाल मुकुंद साह और ओआरएस। (2000) 4 एससीसी 640: [2000] 2

एस. सी. आर. 299 संदर्भित है। क्रॉफर्ड द्वारा क़ानून 202 (1940) का निर्माण -

पेर एस. रवींद्र भाट, जे. (पूरक) पकड़नाः 1.1 अनुच्छेद 233 का बारीकी से अध्ययन, अन्य प्रावधान

ई संविधान, और निर्णय निम्नलिखित का खुलासा करते हैं

(क) कि किसी राज्य के राज्यपाल को व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति का अधिकार है।

किसी भी राज्य में सी. टी. न्यायाधीश (अनुच्छेद 233 [1]);

(ख) जबकि राज्यपाल की नियुक्ति सह उच्च न्यायालय के लिए बाध्य है (अनुच्छेद 233 [1]: चंद्र मोहन (ऊपर)

द्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम पटना उच्च न्यायालय [1970] 2

(ग) अनुच्छेद 233 (1) को नियुक्ति के स्रोत के रूप में नहीं लिया जा सकता है; यह केवल इस बात का वर्णन करता है कि नियुक्ति कौन कर रहा है।

अधिकार; (घ) जिला न्यायाधीशों की प्रारंभिक नियुक्ति, प्रारंभिक नियुक्ति और पदोन्नति से संबंधित मामलों में राज्यपाल के पास अधिकार होता है।

संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति कम से कम सात साल से "अधिवक्ता या वकील" रहा है और जो "पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है" (इस अर्थ में कि ऐसा व्यक्ति संघ या राज्य के तहत सिविल या कार्यकारी पद का धारक नहीं है), उसे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए माना जा सकता है। महत्वपूर्ण रूप से, पात्रता-दोनों श्रेणियों के लिए, नकारात्मक शब्दों में है। स्पष्ट रूप से, यह सब संविधान यह परिकल्पना की गई थी कि अनुच्छेद 233 (2) के तहत कम से कम सात साल की वकालत करने वाले अधिवक्ता को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(च) महत्वपूर्ण रूप से, अनुच्छेद 233 (2) न्यायिक अधिकारियों को इस पद पर नियुक्ति के लिए विचार से बाहर नहीं करता है -

जिला न्यायाधीश। हालाँकि, यह समान रूप से उम्मीदवारों की ऐसी श्रेणी के लिए कोई मानदंड नहीं बताता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यदि वे या उनमें से किसी ने अतीत में सात साल की प्रैक्टिस की है, तो उन्हें योग्य माना जा सकता है, क्योंकि उनमें से किसी को भी ऐसे उम्मीदवार के विवरण का जवाब देने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो "कम से कम सात साल से नहीं" "एक वकील या एक वकील" (दीपक अग्रवाल के अनुसार, यानी कि आवेदक/उम्मीदवार को पात्रता शर्त की तारीख पर प्रैक्टिस की शर्त को पूरा करने वाला वकील होना चाहिए, या पद के लिए आवेदन करना चाहिए)। अनुक्रम स्पष्ट रूप से यह है कि एक न्यायिक अधिकारी वह नहीं है जो कम से कम सात साल से अधिवक्ता या वकील रहा हो।

चंद्र मोहन में निर्णय और उसके बाद के निर्णयों का शुद्ध परिणाम यह है कि अनुच्छेद 233 (2) उन सभी लोगों को अयोग्य ठहराता है जो किसी राज्य या DHEERAJ MOR v के तहत सिविल पदों पर हैं।

संघ, जिस प्रकार यह सात वर्ष से कम के अभ्यास वाले सभी अधिवक्ताओं को गणना के लिए निर्धारित तिथि पर अयोग्य ठहराता है।

योग्यता। समान रूप से, न्यायिक सेवा में वे लोग [यानी अनुच्छेद 236 (2) के अनुसार जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य पदों के धारक] विचार के हकदार नहीं हैं क्योंकि प्रावधान (अनुच्छेद 233 [2]) किसी भी पात्रता शर्त को निर्धारित नहीं करता है। क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी न्यायिक अधिकारी, न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि की सेवा के साथ, अनुच्छेद 233 (2) के तहत विचार का हकदार है? इसका जवाब स्पष्ट रूप से नकारात्मक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नकारात्मक वाक्यांश जिसके माध्यम से सिविल पदों के धारकों, या सिविल सेवा (राज्य या संघ के) में धारकों और सात साल की सेवा वाले अधिवक्ताओं की पात्रता निर्धारित की जाती है। हालाँकि, न्यायिक सेवा में रहने वालों के संबंध में पात्रता की शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। [पैरा 24,25] [237-बी-ई; 238-ए-डी; 239-ए-ई]

1.2 इस न्यायालय की राय में, जिला न्यायाधीश के पद के लिए न्यायिक अधिकारियों के लिए पात्रता शर्तों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने के संबंध में चूक स्पष्ट रूप से परिकल्पित है। यह विषय

जिला न्यायाधीश के पद से कम का कोई पद धारण करना। इसका परिणाम यह है कि राज्यपाल जिला न्यायाधीश के पद और अन्य न्यायिक पदों के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति कर रहा है; दोनों को उच्च न्यायालय के साथ पूर्व परामर्श के बाद भरा जाना है, और महत्वपूर्ण रूप से, जिला न्यायाधीश के पद पर न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति, उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई शर्तों (नियमों को पढ़ें) द्वारा विनियमित की जाती है। द. संविधान निर्माता स्पष्ट रूप से जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के दो स्रोतों के बीच अंतर करना चाहते थे। एक के लिए, यानी अधिवक्ताओं के लिए, पात्रता को नकारात्मक में लिखा गया था

वाक्यांश विज्ञान, यानी कम से कम सात साल का अभ्यास; न्यायिक अधिकारियों के लिए, अनुच्छेद 233 (2) में कोई पात्रता शर्त निर्धारित नहीं की गई थीः इसका स्पष्ट रूप से मतलब था कि वे ([2020 तक] 2 एस. सी. आर. द्वारा नियुक्त होने के योग्य नहीं थे।

प्रत्यक्ष भर्ती) क्योंकि न्यायिक सेवा में प्रवेश करने के बाद उन्हें सात साल की प्रैक्टिस के साथ अधिवक्ता नहीं माना जाता था और न ही माना जा सकता था। उनकी नियुक्ति का एकमात्र माध्यम, न्यायिक सेवा में अधिकारियों की पदोन्नति (जिला न्यायाधीशों के रूप में) के लिए उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार था (अनुच्छेद 236 [बी] के अनुसार जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य पदों पर रहने वाले के रूप में परिभाषित)। [पैरा 26,27] [239-ई-एच; 240-ए-सी]

1.3 के बीच किया गया वर्गीकरण या अंतर

अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी, अपने आप में संवैधानिक रूप से स्वीकृत हैं। यह अनुच्छेद 233 के सरल अध्ययन से ही स्पष्ट है। सबसे पहले, अनुच्छेद 233 (1) नियुक्तियों और पदोन्नति दोनों की बात करता है। दूसरा, वर्गीकरण से स्पष्ट है

अनुच्छेद 233 (2) में दो श्रेणियों का विवरणः एक "नहीं" पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में है और दूसरा यदि वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या अधिवक्ता के रूप में रहा है।

प्लीडर "। दोनों श्रेणियों को "नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित" किया जाना है। यहाँ इरादा यह था कि दोनों मामलों में, स्पष्ट बहिष्करण थे, अर्थात सात साल से कम की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता (जिसका अर्थ था, इसके विपरीत, सात साल से अधिक की प्रैक्टिस वाले लोग पात्र थे) और राज्य या संघ के तहत सिविल पदों पर आसीन लोग। न्यायिक अधिकारियों को हटाने का मतलब केवल यह था कि उनमें से ऐसे, जिनकी सिफारिश की गई थी

पदोन्नति, राज्यपाल द्वारा इस प्रकार नियुक्त की जा सकती है। शर्ते

उनकी पदोन्नति को विशेष रूप से उच्च न्यायालयों द्वारा तैयार करने के लिए छोड़ दिया गया था। चूँकि संविधान स्वयं एक ओर अधिवक्ताओं और दूसरी ओर न्यायिक अधिकारियों के बीच अंतर करता है, इसलिए भेदभाव का तर्क असंगत है। आज भी न्यायिक अधिकारी नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं। प्रत्येक राज्य में उस पद से संबंधित संवर्ग के 75 प्रतिशत की सीमा तक जिला न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि नियमों द्वारा, न्यायिक अधिकारियों के विचार से, जिला न्यायाधीशों के पद पर, अपेक्षित स्थिति या व्यवहार के साथ अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित कोटे में, अनुच्छेद 233-235 के अधिदेश के अनुरूप है, और नियम मान्य हैं। [पैरा 30,31] [241 ए-डी, जी-एच]

1.4 इस अदालत की यह भी राय है कि यदि किसी राज्य के नियम न्यायिक अधिकारियों को नियुक्ति के लिए कोटा में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देते हैं

जिला न्यायाधीशों के रूप में, वे चुनौती के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं।

इसका कारण धीरज मोर बनाम। दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

सात या अधिक वर्षों के अभ्यास के साथ अधिवक्ताओं की धारा, चुना गया। यह अनुच्छेद 233 (2) के पाठ और जनादेश के विपरीत होगा, जिसमें कल्पना की गई थी कि उम्मीदवारों की ऐसी श्रेणी हमेशा पात्र होगी और जिला न्यायाधीश के पद पर काबिज होगी। उच्च न्यायालयों द्वारा दोनों स्रोतों के लिए स्पष्ट कोटा निर्धारित किया गया है। यदि एक धारा, या स्रोत-यानी न्यायिक अधिकारियों में से एक को विपरीत स्थिति (यानी अधिवक्ताओं) के बिना दूसरे (यानी अधिवक्ताओं) के लिए निर्धारित कोटे में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति है।

न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्धारित कोटे में प्रतिस्पर्धा करना-एक असंभवता) परिणाम श्रेणी भेदभाव होगा। एक और मजबूत कारण हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है। संविधान निर्माताओं को पता था कि न्यायिक शाखा को होना चाहिए

स्वतंत्र, और साथ ही, विचारों और दृष्टिकोण की विविधता को दर्शाता है। यह निचली और उच्च न्यायपालिका दोनों के हर स्तर पर नियुक्तियों के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित पात्रता शर्तों से पता चलता हैः जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। इन संस्थानों में से प्रत्येक में न्यायिक पदों के संबंध में, संविधान बार के सदस्यों के बीच से नियुक्तियों को सक्षम बनाता है, क्योंकि इसके निर्माता इस बात से पूरी तरह से अवगत थे कि वकालत करने वाले अधिवक्ता स्वतंत्रता को दर्शाते हैं और संभवतः एक उपयोगी विशेषता प्रदान करते हैं, यानी अलग तरह से सोचने की क्षमता और कानूनों और संविधान की व्याख्या के लिए नए दृष्टिकोण हैं, जो न्यायपालिका के साथ-साथ पूरे समाज की मजबूती के लिए आवश्यक हैं। इस दृष्टिकोण को अनुच्छेद 217 (2) द्वारा मजबूत किया गया है, जो दो स्रोतों को बताता है जिनसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए नियुक्तियों का सहारा लिया जा सकता हैः सबसे पहले, किसी राज्य की न्यायिक सेवा का सदस्य [अनुच्छेद 217 (ए)] और दस साल के अनुभव वाला अधिवक्ता [अनुच्छेद 217 (बी)]। उच्चतम न्यायालय के लिए, अनुच्छेद 124 (3) (ए) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पांच साल के अनुभव वाले व्यक्ति के विचार को सक्षम बनाता है; अनुच्छेद 124 (3) (बी) किसी भी उच्च न्यायालय में बार में दस साल के अनुभव वाले अधिवक्ता के विचार को सक्षम बनाता है; अनुच्छेद 124 (3) (सी) एक प्रतिष्ठित न्यायविद के विचार को सक्षम बनाता है। उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता

बार में निर्धारित अनुभव के साथ, एक्सप्रेस द्वारा हकदार हैं संविधान के प्रावधान [अनुच्छेद 233 (2), अनुच्छेद 217 (बी)

और अनुच्छेद 124 (3) (बी)] पर क्रमशः जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। हालाँकि, न्यायिक सेवा के सदस्यों को केवल क्रमशः जिला न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति (पदोन्नति द्वारा) के लिए माना जा सकता है। न्यायिक सेवा के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, शिक्षाविदों या प्रतिष्ठित न्यायविदों, जिनके पास न तो बार में प्रैक्टिस है, और न ही न्यायिक सेवा में कोई अनुभव है, को जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए माना जा सकता है। [पारस 32-34] [242-A-H; 243-A-B]

1.5 इस न्यायालय की राय में संविधान निर्माताओं ने,

सचेत रूप से कामना की गई कि बार के सदस्यों को तीनों स्तरों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए, अर्थात जिला न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय के रूप में। ऐसा इसलिए था क्योंकि विधि अदालतों में काम करने वाले वकीलों का उन लोगों के साथ सीधा संबंध होता है जिन्हें उनकी सेवाओं की आवश्यकता होती है; अदालतों के कामकाज के बारे में उनके विचार एक निरंतर गतिशील हैं। किसी भी राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्य अनुच्छेद 233 के तहत योग्य अधिवक्ताओं में से नियुक्ति के लिए निर्धारित कोटे में जिला न्यायाधीश के संवर्ग में रिक्तियों के लिए नियुक्त होने का दावा नहीं कर सकते हैं। विजय कुमार मिश्रा में निर्णय, जहां तक यह चयन के चरण में एक उम्मीदवार की पात्रता पर विचार करने और नियुक्ति के समय गणना योग्य पात्रता के बीच अंतर करता है, गलत है। इस प्रस्ताव का स्पष्ट अधिकार है कि किसी भी उम्मीदवार की पात्रता की गणना उसके चयन की तारीख से नहीं, बल्कि नियमों या पद के लिए विज्ञापन के संदर्भ में की जानी चाहिए। इसलिए, विजय कुमार मिश्रा में यह टिप्पणी की गई है कि "लोक सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए राज्य द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ऐसे व्यक्ति का अधिकार (चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्रता जैसे आयु, शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में अन्य तर्कसंगत निर्देशों के अधीन) और

माना जाता है कला के तहत गारंटी है। 14 और संविधान का 16 "सही नहीं है। इस संबंध में, पात्रता के संदर्भ में "चयन" और "नियुक्ति" के बीच किया जाने वाला अंतर आधारहीन है। विजय कुमार मिश्रा, इस हद तक कि यह अशोक कुमार शर्मा के विपरीत है, चयन प्रक्रिया में भागीदारी के संबंध में, जो उम्मीदवार न्यायिक सेवा के सदस्य हैं, जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए, DHERAJ MOR v.

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

सात साल की प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित कोटे में से गलत निर्णय लिया गया था। उस हद तक, विजय कुमा मिश्रा को खारिज कर दिया गया है। [पारस 35-37] [243-C-G; 244-G-H 245-A, E]

विजय कुमार मिश्रा और अन्र। वी. पटना में उच्च न्यायालय और अन्य। (2016) 9 एससीसी 313: [2016] 3 एस. सी. आर. 806-खारिज।

1.6 अनुच्छेद 233 के तहत, एक न्यायिक अधिकारी, चाहे वह

या सात साल के अभ्यास के साथ एक अधिवक्ता के रूप में उसका पिछला अनुभव आवेदन नहीं कर सकता है, और जिला न्यायाधीश के पद में किसी भी रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है; उसे या उसके पद पर कब्जा करने का मौका भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 और अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियम के अनुसार पदोन्नति के माध्यम से होगा। [पैरा 38] [245-एफ-जी]

चंद्र मोहन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। [1967] 1 एससीआर 77: ए. आई. आर 1966 एस. सी. 1987; असम राज्य और

ओआरएस। वी. एस. एन. सेन और अन्य [1972] 2 एस. सी. आर. 251-इसके बाद।

सत्य नारायण सिंह बनाम। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय और अन्य। (1985) 1 एस. सी. सी. 225 [1985] 2 एस. सी. आर. 112; दीपक अग्रवाल बनाम केशव कौशिक और अन्य।

(2013) 5 एससीसी 277: [2013] 1 एस. सी. आर. 402; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम नृपेंद्र नाथ बागची [1966] 1 एससीआर 771; पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय आदि। हरियाणा राज्य [1975] 3 एस. सी. आर. 365; चंद्रमौलेश्वर

प्रसाद वी. पटना उच्च न्यायालय [1970] 2 एससीआर 666; असम राज्य बनाम। रंगा मोहम्मद [1967] 1 एससीआर 454; अशोक कुमार शर्मा और अन्य। वी. चंदर शेखर और अन्य (1997) 4 एस. सी. सी. 18: [1997] 2 एस. सी. आर. 896-निर्भर।

रामेश्वर दयाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 816: [1961] एस. सी. आर. 874; महेश चंद्र गुप्ता बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (2009) 8 एससीसी 273: [2009] 10 एस. सी. आर. 921 हरियाणा राज्य बनाम इंदर प्रकाश आनंद एच. सी. एस. और अन्य। [1976] 2 एस. सी. आर. 977; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम। भारत संघ (2010) 15 एससीसी 170; यू. पी. पब्लिक

सेवा आयोग बनाम अल्पना (1994) 2 एससीसी 723: [1994] 1 एस. सी. आर. 131; भूपिंदरपाल सिंह और अन्य। वी. पंजाब राज्य और अन्य। (2000) 5 एस. सी. सी. 262 संदर्भित है।

[20

20] 2

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

अरुण मिश्रा के निर्णय में, जे।

स्वयं और वाइन सरन, जे.) [1961] एससीआर 874

पीछा किया।

पै

रा 2

[1967] 1 एससीआर 77

पीछा किया।

पै

रा 2

[1985] 2 एससीआर 112

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

[1975] 3 एससीआर 365

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[2002] 2 एससीआर 712

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2016] 3 एससीआर 806

खारिज कर दिया गया

पै

रा 4

[2013] 1 एससीआर 402

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5

(2010) 15 एससीसी 170

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[1998] 2 पूरक। एससीआर 187

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

(2010) 15 एससीसी 170

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2

[1991] 2 एससीआर 424

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2

[2014] 4 एससीआर 562

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2009] 3 एससीआर 555

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[1970] 2 एससीआर 928

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[1991] 2 पूरक। एससीआर 206

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

(1998) 8 एस. सी. सी. 771

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[1976] 1 एससीआर 620

संदर्भित किया गया है

पै

रा

आकाशवाणी 1976 एससी 1482

पै

रा 4

संदर्भित किया गया है

[1970] 3 एससीआर 354

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[2000] 2 एससीआर 299

संदर्भित किया गया है

पै

रा =

एस. रवींद्र बीएच के न्यायनिर्णायक के रूप में

(पूरक) [1961] एससीआर 874

पै

रा 2

संदर्भित किया गया है

[1967] 1 एससीआर 77

पीछा किया।

पै

रा 2

[1985] 2 एससीआर 112

उस पर भरोसा करें

पैरा 2 धीरज मॉर v. दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

[2013] 1 एससीआर 402

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

[2016] 3 एससीआर 806

खारिज कर दिया गया

पै

रा 2

[2009] 10 एससीआर 921

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

[1966] 1 एससीआर 771

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[1975] 3 एससीआर 365

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[1976] 2 एससीआर 977

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[1972] 2 एससीआर 251

पीछा किया।

पै

रा 12

[1970] 2 एससीआर 666

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

[1976] 1 एससीआर 454

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

(2010) 15 एससीसी 170

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

[1997] 2 एससीआर 896

उस पर भरोसा करें

पै

रा 36

[1994] 1 एससीआर 131

संदर्भित किया गया है

पै

रा 36

(2000) 5 एससीसी 262

पै

रा 36

संदर्भित किया गया है

सिविल अपील/मूल/अप्रत्यक्ष

न्यायनि

र्णयन

: 2020 की सिविल अपील संख्या 1698।

उच्च न्यायालय के 19.02.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 9303 में नई दिल्ली में दिल्ली सरकार

के साथ

सिविल अपील सं। 1699 , 1700 , 1701 , 1702 , 1707 , 1703 , 1704 , 1706 ,

1705 2020 से।

लिखित याचिका (सिविल) सं। 77 , 130 , 405 , 414 , 423 , 600 , 598 , 601 ,

602 , 733 2016 का 189,222,316,334,371,2017 का, 96,102,103,108,110,106,146,123,124,138,155,145,158,174,291,287,352,387,392,396,530,519,535,581,578,612,629,596,616,632,608,617,624,631,635,636,641,642,639,640,650,644,658,659,680,671,687,681,686,703। (ग) 2018 की सं. 272, डब्ल्यू. पी. में 2019 की अवमानना याचिका (ग) सं. 1023। (ग) 2016 की सं. 414।

ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी. आशीष कुमार, ए. ए. जी. सुनील फर्नांडिस,

एएजी, सांसद, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, सुश्री किरण सूरी, पी. वी. सुरेंद्रनाथ, [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. मारियारपुथम, एस. आर. सिंह, प्रवीण एच. पारेख, सुश्री प्रिया हिंगोरानी, शेखर नाफडे, जयदीप गुप्ता, डॉ. के. पी. कैलासनाथ पिल्लै, सुश्री.

अंजना प्रकाश, आर. वेंकटरमानी, रितिन राज, केटीएस तुलसी, अजीत केआर। सिन्हा, वी. गिरि, राजीव दत्ता, पी. रवींद्रन, पुरुषेंद्र कौरव, जयंत भूषण, पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संतोष कुमार, दीपक आनंद, भरत सिंह, सुश्री रश्मि मल्होत्रा, सुश्री प्रेरणा कुमारी, एम. के. मारोरिया, बी. वी.

बलराम दास, ऐश्वर्या कुमार, सुश्री रेस्मिथा आर. चंद्रन, सावन कुमार शुक्ला, बीजू जोसेफ, अन्नान डी. एन. राव, वेंकटेश राव, राहुल मिश्रा, सुश्री संगीता एम. आर., सुश्री अवनि शर्मा, आदर्श उपाध्याय, क्षत्रशाल राज, सुश्री तान्या चौधरी, सुश्री नितिका पांडे, निखिल

रामदेव (मेसर्स के लिए। पारेख एंड कंपनी), विवेक सिंह, अश्विनी कुमार दुबे, पंकज शर्मा, प्रशांत कुमार उमराव, संदीप के. मिश्रा, चंद्र शेखर मिश्रा, आशीष चौबे, सुश्री एस. लक्ष्मी अय्यर, सुश्री ऐश्वर्या दास, डी. के. देवेश, यू. पी. सिंह, ए. बी. सिंह, पीयूष उपाध्याय, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, प्रदीप सी., ए. वेनायगम बालन, सुश्री वी. एस. लक्ष्मी, जरताब अनवर, पी. प्रभाकर, डी. श्रीनिवास, ए. वेंकटेश्वर राव, अल्जो के. जोसेफ, सुश्री शेलना के., सिद्धार्थ झा, दीपक गोयल, सुश्री एस. जनानी, कमल कुमार पांडे, जितेंद्र के. यादव, अनुराग सिंह, सुश्री निकिता पांडे (मेसर्स के लिए)। पारेख एंड कंपनी), टी. जी. एन. नायर, अर्जुन गर्ग, एस. महेश सहस्रनामन, अनुराधा मिश्रा, ए. वी. रंगम, बी. ए. रंगनाधन, रौणक जैन, केतन पॉल, तुषार भूषण, अमर्त्य भूषण, तुषार बख्शी, शोवित सिंह, सुश्री हर्षिका वर्मा, अक्षय चड्ढा, ध्रुव शेरोन, ए. पी. मयी, सुश्री दीपानविता प्रियंका, ए. राजाराजन, हिमांशु शर्मा, सुश्री अदिति शर्मा, सीता राम शर्मा, राम निवास शर्मा, सुश्री अर्चना पाठक दवे, मनोज गोयल, ए. कुमार, वजीह शफीक, हरीश पांडे, यूनुस मलिक, अनीश माहेश्वरी, सुश्री.

सरोज बाला, अमन मलिक, समीर मलिक, रोहित के. सिंह, दुष्यंत कुमार, टी. वी. जॉर्ज, गोविंद नारायण कौशिक, सुश्री नेहा दत्त शर्मा, वी. सुशांत, राम नरेश यादव, अपूर्व कुरुप, सुश्री उपमा भट्टाचार्जी, विजय प्रताप सिंह, हितेश कुमार शर्मा, अखिलेश्वर झा, मनोज श्रीवास्तव, राकेश कुमार, पंकज कुमार मिश्रा, संजय कुमार दुबे, सुश्री अर्चना मिश्रा, सुश्री नूपुर कुमार, जीशान दीवान, प्रथुत दलवी, राहुल कौशिक, के. परमेश्वर, एम. वी. मुकुंद, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, सुश्री उत्तरा बाब। रवींद्र एच., राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, सचिन पाटिल, सुश्री निधि, धीरज मोर बनाम।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

वैसल दथन, अर्जुन गर्ग, देवांश श्रीवास्तव, रति टंडन, पी. प्रभाकर, डी. श्रीनिवास, संजीव कुमार, अनुराग दुबे, सुश्री छाया कुमारी, भूपेंद्र कुमार। भारद्वाज, एस. आर. सेतिया, फ़ुज़ैल अहमद अयूबी, अब्दुल कादिर, सुश्री अदिति गुप्ता, अंकुर छिब्बर, आर. सी. कौशिक, यशवर्धन, जगजीत सिंह छाबड़ा, आलोक कुमार, सदाशिव, शांतनु कुमार, शक्ति वर्धन, अजय कुमार। तलेसरा, हिमांशु मेहरा, सुश्री वैशाली गुप्ता, अभिषेक अत्रे, सुश्री विद्युतमा, अरविंद गुप्ता, समीर कुमार तिवारी, महेश चौरसिया, सुजीत कुमार, संजीव कुमार वर्मा, अनिल कुमार साहू, राकेश कुमार, अजय कुमार सिंह, विनय कुमार, अजय बंसल, संजय कुमार। विसेन, श्रीमती वीणा बंसल, गौरव यादव, अनिमेष कुमार, एम. कुमार, निशांत कुमार, अंबुज दीक्षित, सुश्री एकता भारती, नीरज शेखर, यूनुस मलिक, अनीश माहेश्वरी, सुश्री खुशाली, एम. एन. ए. चौधरी, जी. एन. रेड्डी, टी. विजय भास्कर रेड्डी, सुश्री देबजानी दास पी., राजीव कटारिया (मेसर्स के लिए)। दिल्ली लॉ चैंबर्स), शेखर जी. देवसा, मनीष तिवारी, लव कुमार (मेसर्स के लिए। देवसा एंड कंपनी), एम. सी. ढींगरा, अनुराग शुक्ला, गौरव ढींगरा, चंद्र इंदिरा, अभिषेक, सुश्री दीप्ति राज, नीरज गुप्ता, सुश्री अंशु गुप्ता, गौरव कुमार, सुश्री रचना श्रीवास्तव, पंकज कुमार। मिश्रा, सुची सिंह, संजय के. यादव, अशोक कुमार, देवव्रत, ऋषभ संचेती, सुश्री पद्म प्रिया, अंचित भंडारी (के. परिवेधन के लिए), अमितानंद तिवारी, आशुतोष झा, आशुतोष गुप्ता, सुनील के. जैन, सुश्री अनुभा अग्रवाल, अनुज प्रकाश,

पानशुल चंद्र, सुश्री अदिति कुमार, के. मुरली मनोहर, अखिलेश त्रिपाठी, सुश्री पूजा, रवि एस. झा, डी. के. त्रिपाठी, शैलेश मडियाल, कार्तिक आनंद, सुधांशु प्रकाश, दया कृष्ण शर्मा, रवींद्र एस. गरिया, सुभाशीष भौमिक, राजीव रंजन द्विवेदी, अभिषेक, अजय पाल, प्रणब प्रकाश, राजेश श्रीवास्तव, संजय कुमार दुबे, नीरज शेखर, अरविंद गुप्ता, शांतनु कुमार, नीरज गुप्ता, पंकज कुमार मिश्रा, राकेश कुमार-I, डॉ. सुरेंद्र सिंह हुड्डा, अमित के. नैन, अजय कुमार सिंह, सतीश कुमार, देवव्रत, अश्विनी कुमार दुबे, गौरव, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, कुणाल

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

अरुण मिश्रा, जे.

1. इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने मामलों को संदर्भित किया है। इन मामलों में शामिल प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 की व्याख्या है कि जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों की पात्रता कोटा के विपरीत है।

प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से बार के लिए आरक्षित। न्यायिक सेवा में रहने वाले याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले यदि किसी उम्मीदवार ने एक वकील के रूप में 7 साल की प्रैक्टिस पूरी कर ली है, तो वह बार से सीधे भर्ती कोटे के खिलाफ दावा करने का पात्र होगा, भले ही आवेदन/नियुक्ति की तारीख पर वह संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो। एक अन्य श्रेणी उन व्यक्तियों की है जिन्होंने न्यायिक सेवा के रूप में केवल 7 वर्ष की सेवा पूरी की है। उनका तर्क है कि एक न्यायाधीश के रूप में अनुभव को बार सेवा के बराबर माना जाना चाहिए, और उन्हें अपना दावा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तीसरी श्रेणी संकर है, जिसमें ऐसे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्होंने न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता के रूप में सेवा करने के अनुभव को मिलाकर 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वे उपरोक्त कोटे के खिलाफ अपना दावा करने के योग्य होने का दावा करते हैं।

2. केंद्रीय तर्क यह है कि अनुच्छेद 233 (2) भर्ती के दो स्रोत प्रदान करता है; एक न्यायिक सेवा से है, और दूसरा है

बार से। इस प्रकार, सेवा में शामिल होने से पहले (या न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवा के साथ संयुक्त) बार में 7 साल के अभ्यास के अनुभव के साथ न्यायिक सेवा में एक व्यक्ति, अनुच्छेद 233 (2) के तहत दावा कर सकता है, जबकि एक अधिवक्ता/प्लीडर के रूप में 7 साल का अनुभव रखने वालों के लिए आरक्षित पद हैं। रामेश्वर दयाल बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। पंजाब राज्य और अन्य। , ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 816 और चंद्र मोहन बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। , (1967) 1 एस. सी. आर. 77 = ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1987 यह प्रस्तुत करने के लिए कि अनुच्छेद 233 (2) के तहत उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के दो स्रोत हैं; एक बार से और दूसरा सेवा से। चंद्र मोहन (ऊपर) और रामेश्वर दयाल (ऊपर) में संविधान पीठ के निर्णय बाध्यकारी हैं। सत्य नारायण सिंह बनाम में इसके विपरीत निर्णय। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय और अन्य। , (1985) 1 एस. सी. सी. 225 प्रस्थान कर रहा है

न्यायिक सेवा के सदस्य के अधिकार को अस्वीकार करना और प्रभावी रूप से अधिवक्ताओं के माध्यम से बार से सीधी भर्ती को सीमित करना DHERAJ MOR v.

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]

चंद्र मोहन (ऊपर) और रामेश्वर दयाल (ऊपर) में निर्धारित कानून को कम करें।

3. यह तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद 233 (1) और 233 (2) अन्य बातों के साथ-साथ सीधी भर्ती से संबंधित हैं, जैसा कि संविधान पीठ के फैसले से स्पष्ट है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बनाम में इस न्यायालय का। की स्थिति

हरियाणा, (1975) 1 एससीसी 843। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों को उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती से अयोग्य ठहराते हुए बनाए गए नियम चंद्र मोहन (उपरोक्त) और रामेश्वर दयाल (उपर्युक्त) में निर्धारित कानून और अनुच्छेद 233 में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। नियम, जो एक धारा को पूरी तरह से काट देते हैं और सीधी भर्ती की केवल एक धारा प्रदान करते हैं, तब उच्च न्यायालय के नियमों को अनुच्छेद 233 का उल्लंघन करते हुए अधिकार से बाहर घोषित करना होगा। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियम सीधे भर्ती के मामले में अधिवक्ताओं और न्यायिक सेवा के सदस्यों के बीच मनमाने ढंग से भेदभाव करते हैं, नियम मनमानेपन के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम में निर्णय। भारत संघ, (2002) 4 एस. सी. सी. 247 को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह निर्णय इस न्यायालय के पहले के दो संविधान पीठ के फैसलों को पलट नहीं सकता है। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले (उपरोक्त) में, न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती का केवल एक ही स्रोत था, जो रामेश्वर दयाल में इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा निर्धारित आदेश का उल्लंघन है।

(ऊपर) और चंद्र मोहन (ऊपर)। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले (उपरोक्त) में निर्णय अनजाने में लिया गया है और इसे बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है। सेवा और बार से कोटा प्रणाली उन लोगों पर लागू होगी जो कोटा के भीतर आवेदन करते हैं। आरक्षण प्रणाली अनुच्छेद 233 (1) और (2) की संवैधानिक योजना पर हावी नहीं हो सकती है।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से भी रिलायंस को रखा गया है।

विजय कुमार मिश्रा और अन्र में निर्णय। वी. पटना में उच्च न्यायालय और अन्य। , (2016) 9 एस. सी. सी. 313 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 233 (2) के तहत निर्धारित प्रतिबंध केवल केंद्र/राज्य सरकार की सेवा में व्यक्तियों की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है न कि भर्ती प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को। चयन प्रक्रिया में भाग लेना ऐसे व्यक्तियों का भी संवैधानिक अधिकार है। यदि उनका चयन किया जाता है, तो वे इस्तीफा दे सकते हैं और पद में शामिल हो सकते हैं।

5. दूसरी ओर, विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ-साथ अधिवक्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुच्छेद 233 (2)

केवल बार से सीधी भर्ती पर विचार करता है और व्यक्ति को सीधी भर्ती के पद के लिए न्यायिक सेवा में नहीं होना चाहिए। उन्हें केवल पदोन्नत किया जा सकता है। अपनी इच्छा से वे अधीनस्थ न्यायिक सेवा में शामिल हो सकते हैं। ऐसा करने के बाद, उन्हें केवल उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत किया जा सकता है जैसा कि नियमों में दिया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि रामेश्वर दयाल (ऊपर) और चंद्र मोहन (ऊपर) में सेवाकालीन उम्मीदवारों की ओर से प्रस्तुतियों का समर्थन करने के बजाय निर्णय उसी को नकारते हैं। सत्य नारायण सिंह (ऊपर) के निर्णय में भी उपरोक्त निर्णयों पर विचार किया गया है और राय दी गई है कि दो अलग-अलग धाराएँ हैं,

बार से सीधी भर्ती के लिए कोटा। इसके अलावा, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम में सीमित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्धारित कोटा घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था। भारत संघ, (2010) 15 एस. सी. सी. 170। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियमों के तहत एक अलग कोटा प्रदान किया गया है, लेकिन अब एक रोस्टर प्रणाली भी है। इन-सर्विस उम्मीदवारों के साथ-साथ सीधे बार से भर्ती किए गए अधिकारियों की वरिष्ठता तय करने के लिए भी रोस्टर प्रणाली लागू की गई है। इस संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया है। पंजाब राज्य, (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1728। 6. विचार के लिए मुख्य प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 की व्याख्या है, और इसकी व्याख्या के आधार पर, नियमों के अधिकार से बाहर होने से संबंधित प्रश्न की जांच की जानी चाहिए। विभिन्न उच्च न्यायालयों के नियम, जैसा कि मौजूदा हैं, न्यायिक सेवा के सदस्यों को बार से सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पदों के खिलाफ अपना दावा करने से रोकते हैं। अनुच्छेद 233 यहाँ नीचे निकाला गया है:

(2) एक व्यक्ति जो पहले से ही संघ या संघ की सेवा में नहीं है राज्य केवल तभी जिला न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या वकील रहा हो और

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]

7. अनुच्छेद 233 के हिंदी संस्करण पर भी भरोसा किया गया है।

एमे को यहाँ नीचे निकाला गया हैः

अधिक न्याय 6-अधिक न्याय

प्यार करो करो करो करो करो करो करो करो करो करो. वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह! घर की राज की सेवा में पहले से नहीं, जी ला न्यायधीश नीनू ने लीले के लिए भी पा और होगा ब वह कम से कम सा वर्श का अधिकार आ गया।

8. यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुच्छेद 394 ए को संस्थान (58 वां संशोधन) अधिनियम, 1987 के माध्यम से जोड़ा गया था। वही डेर प्रदान करता हैः

" 394 ए. हिंदी भाषा में आधिकारिक पाठ। — (1) राष्ट्रपति अपने अधिकार के तहत प्रकाशित कराएगा,

(क) संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद, ऐसे संशोधनों के साथ जो इसे हिंदी भाषा में केंद्रीय अधिनियमों के आधिकारिक ग्रंथों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप लाने के लिए आवश्यक हो, और इसमें इस संविधान के सभी संशोधनों को शामिल किया जाए।

ऐसे प्रकाशन से पहले किया गया; और (ख) अंग्रेजी भाषा में किए गए इस संविधान के प्रत्येक संशोधन का हिंदी भाषा में अनुवाद।

(2) इस संविधान के अनुवाद और खंड (1) के तहत प्रकाशित इसके प्रत्येक संशोधन का वही अर्थ होगा जो इसका मूल अर्थ है, और यदि ऐसे अनुवाद के किसी भी हिस्से का इस तरह से अर्थ लगाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति

उसी को उपयुक्त रूप से संशोधित करें।

(3) इस संविधान और इस अनुच्छेद के तहत प्रकाशित इसके प्रत्येक संशोधन का अनुवाद, सभी उद्देश्यों के लिए, हिंदी भाषा में इसका आधिकारिक पाठ माना जाएगा।

9. संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संविधान का हिंदी अनुवाद 1950 में प्राधिकरण के तहत प्रकाशित किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान के अनुवाद को हिंदी भाषा में उसका आधिकारिक पाठ माना जाएगा।

10. द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैचूट्स, 202 (1940) में क्रॉफर्ड का भी उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से निम्नलिखित टिप्पणियाँ:

" कुछ क्षेत्राधिकारों में क़ानून एक से अधिक भाषाओं में अधिनियमित किए जा सकते हैं। जहाँ यह स्थिति है, दोनों ग्रंथ कानून का गठन करते हैं और प्रत्येक के अर्थ का पता लगाने में विचार किया जाना चाहिए विधायिका "।

11. हिंदी भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा के संस्करण को ध्यान में रखते हुए, अर्थ समान है, और व्याख्या नहीं है। परिवर्तन करें। इस भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है कि वे अनुच्छेद 233 में प्रदान की गई नियुक्ति के दो अलग-अलग स्रोत हैं।

12. अनुच्छेद 233 (1) में नियुक्ति के माध्यम से नियुक्तियों का प्रावधान है।

और पदोन्नति। अनुच्छेद 233 से यह स्पष्ट है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग करना होता है। 'नियुक्ति' शब्द व्यापक है और इसमें सीधी भर्ती या पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति शामिल है, और कभी-कभी इसमें, यदि नियमों में ऐसा प्रदान किया गया है, तो अवशोषण के माध्यम से भी शामिल हो सकता है।

13. अनुच्छेद 233 (2) एक नकारात्मक शर्त के साथ शुरू होता है कि एक व्यक्ति

जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, वह केवल जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा यदि वह कम से कम 7 वर्षों से अधिवक्ता या वकील रहा है और नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उसकी सिफारिश की जाती है। संघ या राज्य की सेवा में अभिव्यक्ति की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा न्यायिक सेवा के रूप में की गई है। न्यायिक सेवा के व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

हालांकि, अनुच्छेद 233 (2) में प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति जो संघ की सेवा में नहीं है, केवल तभी पात्र होगा जब वह 7 वर्षों से एक अधिवक्ता या वकील के रूप में व्यवहार में रहा हो; जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सेवा में हैं, वे पदधारी से अलग श्रेणी के हैं जो हो सकते हैं

प्लीडर। अनुच्छेद 233 (2) कहीं भी 7 साल की आवश्यकता वाले पद के संबंध में जिला न्यायाधीश के रूप में विचार के लिए सेवा में उम्मीदवारों की पात्रता प्रदान नहीं करता है। एक वकील या एक वकील के रूप में अभ्यास करें। 7 साल के अनुभव की आवश्यकता धीरज मॉर v.

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]

अधिवक्ता या प्लीडर एक राइडर के साथ योग्य है कि वह संघ या राज्य की सेवा में नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 233 दो स्रोत प्रदान करता है

भर्ती का, एक न्यायिक सेवा से और दूसरा अधिवक्ताओं या अधिवक्ताओं से। दो अलग-अलग धाराएँ प्रदान की गई हैं; एक न्यायिक सेवा में व्यक्तियों के लिए है, और दूसरी उन लोगों के लिए है जो संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में नहीं हैं और जिन्होंने सात साल तक वकालत की है। 'संघ या राज्य की सेवा में' अभिव्यक्ति की व्याख्या चंद्र मोहन (उपरोक्त) में न्यायिक सेवा के रूप में की गई है, न कि संघ या राज्य की किसी अन्य सेवा के रूप में। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि केवल न्यायिक सेवा के सदस्य जिला न्यायाधीश के पद के स्थान पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं क्योंकि सेवाकालीन उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए प्रदान किया गया एकमात्र साधन पदोन्नति है। वे पदोन्नति या योग्यता पदोन्नति के नियमों के अनुसार अपना दावा कर सकते हैं। इस न्यायालय ने स्वतंत्रता से पहले भारतीय सिविल सेवा, प्रांतीय न्यायिक सेवा या अन्य कार्यकारी सेवाओं से व्यक्तियों को बाहर कर दिया है।

कार्यकारी सेवा को जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के संदर्भ में न्यायपालिका का अलगाव है। यह राज्य को न्यायपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का आदेश देता है। राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका। अनुच्छेद 50 यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 50. न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। राज्य

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा

राज्य की सार्वजनिक सेवाएँ "।

14. अनुच्छेद 233 (2) में प्रावधान है कि यदि किसी अधिवक्ता या वकील को नियुक्त किया जाना है, तो उसने 7 साल की प्रैक्टिस पूरी की होगी। यह युग्मित है।

प्रारंभिक भाग में इस शर्त के साथ कि व्यक्ति संघ या राज्य की सेवा में नहीं होना चाहिए, जो राज्य की न्यायिक सेवा है। न्यायिक सेवा में व्यक्ति अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित कोटे के विपरीत नियुक्त होने का पात्र नहीं है। एक बार जब वह सेवा की धारा में शामिल हो जाता है, तो वह एक वकील बनना बंद कर देता है। 7 वर्ष की आवश्यकता

न्यूनतम अनुभव को अभ्यास करने वाले अधिवक्ता के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि कट-ऑफ तिथि पर उपयोग किया जाने वाला वाक्यांश अतीत की निरंतर स्थिति है। संदर्भ 'व्यवहार में रहा है' जिसमें इसका उपयोग किया गया है, यह स्पष्ट है कि प्रावधान एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करते हैं जो एक अधिवक्ता रहा है

या प्लीडर न केवल कट-ऑफ तिथि पर बल्कि नियुक्ति के समय भी ऐसा ही रहता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. रिलायंस को चंद्र मोहन बनाम पर रखा गया है। दोनों पक्षों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य (उपर्युक्त), जिसके तथ्यों से पता चलता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में 10 रिक्तियों पर बैरिस्टर, अधिवक्ता, वकील और 7 वर्ष से अधिक के अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों से भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। छह पदधारियों का चयन किया गया-तीन अधिवक्ता और तीन न्यायिक अधिकारी। चयन समिति ने दो सूचियाँ भेजीं, जिनमें से एक में इन लोगों के नाम शामिल थे - तीन अधिवक्ता और दूसरे में उच्च न्यायालय के तीन न्यायिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इस बात पर सहमति थी कि बार से चयन अच्छा था। की वैधता के बारे में सवाल उठा

न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति। सवाल यह उठा कि क्या वे पदाधिकारी जो न्यायिक सेवा के सदस्य नहीं थे नियम 14 के तहत जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया। इस न्यायालय ने नियमों को निरस्त करते हुए अनुच्छेद 233 की व्याख्या इस प्रकार कीः

" 7. पहला प्रश्न कला के प्रावधानों पर आधारित है। 233 में से

संविधान। अनुच्छेद 233 (1) में कहा गया हैः

" किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश बनने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और उनकी नियुक्ति और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।

ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता।

हम इन अपीलों के उद्देश्य के लिए यह मान रहे हैं कि अनुच्छेद के तहत "राज्यपाल"। 233 मंत्रियों की सलाह पर कार्य करेगा। अतः निर्णय में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "राज्यपाल" का अर्थ है

राज्यपाल मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते हैं। संवैधानिक जनादेश स्पष्ट है। द्वारा नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग

राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ अपने परामर्श से सशर्त होता है, अर्थात वह केवल उच्च न्यायालय के परामर्श से एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है। परामर्श का उद्देश्य स्पष्ट है। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले "न्यायिक सेवा" या बार से संबंधित व्यक्ति की उपयुक्तता या अन्यथा के संबंध में उच्च न्यायालय से राज्यपाल से बेहतर जानकारी की अपेक्षा की जाती है। इसलिए, राज्यपाल को एक ऐसे निकाय के परामर्श से नियुक्ति करने का कर्तव्य सौंपा गया है जो उसे सलाह देने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है। राज्यपाल द्वारा इस आदेश की अवज्ञा दो तरीकों से की जा सकती है, अर्थात् (i) उच्च न्यायालय से बिल्कुल भी परामर्श नहीं करके और (ii) उच्च न्यायालय और अन्य व्यक्तियों से भी परामर्श करके। एक मामले में वह सीधे

संविधान के अधिदेश का उल्लंघन करता है और दूसरे में वह धीरज मोर बनाम।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]

अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करता है, क्योंकि उसका मन अन्य व्यक्तियों से प्रभावित हो सकता है

एक नकारात्मक और सकारात्मक महत्व दोनों को स्पष्ट किया जाता है संविधान के अन्य प्रावधान। जहाँ कहीं भी संविधान

एक से अधिक सलाहकार प्रदान करने का इरादा रखते हुए, इसने ऐसा कहा हैः देखें

कलाएँ। 124 (2) और 217 (1)। जहाँ भी संविधान ने प्रावधान किया है

किसी एक निकाय या व्यक्ति के परामर्श से ऐसा कहा गयाः कला देखें।

इन प्रावधानों से संकेत मिलता है कि परामर्श करने का कर्तव्य इतना एकीकृत है शक्ति के प्रयोग के साथ कि शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है

केवल उसमें नामित व्यक्ति या व्यक्तियों के परामर्श से।

इसे अलग तरह से कहने के लिए, यदि ए को परामर्श से बी को नियुक्त करने का अधिकार है सी के साथ, वह तरीके से शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा

यदि वह सी और डी के परामर्श से बी की नियुक्ति करता है तो निर्धारित किया जाता है।

यह न्यायालय चंद्र मोहन बनाम. यू. पी. राज्य (ऊपर) भी

वेद, अनुच्छेद 233 (2) के तहत बार से भर्ती के संबंध में,

राज्यपाल केवल उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर सकते हैं।

न्यायिक सेवा के लिए। इस अदालत ने फैसला सुनाया हैः

" 11. सीधे भर्ती किए गए जिला न्यायाधीशों के मामले में पद

बार से बदतर है। कला के तहत। 233 (2) संविधान में,

राज्यपाल केवल उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर सकते हैं। उक्त सेवा के लिए न्यायालय। लेकिन नियमों के तहत, उच्च न्यायालय

या तो समिति की सिफारिशों का समर्थन कर सकते हैं या

एक गतिरोध बनाएँ। इसलिए, प्रासंगिक नियम स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हैं। कला के संवैधानिक आदेश। 233 (1) और (2)

संविधान और इसलिए, अवैध हैं।

(जोर दिया गया)

16. उत्तर प्रदेश नियमों का नियम 14 जो इस पर विचार करने के लिए आया था

चन्द्र मोहन (ऊपर) में टी यहाँ निकाला गया हैः

" नियम 14. सीधी भर्ती। - (1) प्रत्यक्ष के लिए आवेदन

सेवा में भर्ती के लिए न्यायालय द्वारा बुलाया जाएगा और

निर्धारित प्रपत्र में बनाया जाएगा जो प्राप्त किया जा सकता है

न्यायालय के पंजीयक।

(2) बैरिस्टरों, अधिवक्ताओं, वकीलों या वकीलों द्वारा आवेदन, संबंधित जिला न्यायाधीश और [2020] 2 एस. सी. आर. के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आयु, चरित्र, राष्ट्रीयता और अधिवास के प्रमाण पत्र, एक कानूनी व्यवसायी के रूप में खड़े होने और ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ होना चाहिए जो अदालत द्वारा इस संबंध में निर्धारित किए जा सकते हैं। न्यायिक अधिकारियों से आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए

इन नियमों के नियम 5 के खंड 2 (बी) में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार। जिला न्यायाधीश या अन्य अधिकारी जिसके माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, वह आवेदन के साथ, सेवा में नियुक्ति के लिए आवेदक के चरित्र और योग्यता के बारे में अपना अनुमान न्यायालय को भेजेगा।

17. से भर्ती के बारे में सवाल का जवाब देने के बाद

बार, चंद्र मोहन में विचार किया गया अगला प्रश्न (ऊपर) यह था कि क्या राज्यपाल सीधे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है

जिला न्यायाधीशों के रूप में न्यायिक सेवा के अलावा अन्य सेवा से उच्च न्यायालय के साथ परामर्श। वे कार्यपालिका के थे

सरकार की शाखा और कुछ राजस्व का निष्पादन और

मंत्रिस्तरीय कार्य। इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि स्वतंत्रता से पहले के युग में न्यायपालिका की मांग थी कि

कार्यपालिका से अलग किया जाना चाहिए, और वह इस पर आधारित था

यह धारणा कि जब तक वे अलग नहीं हुए थे, की स्वतंत्रता

निचले स्तर पर न्यायपालिका का मजाक उड़ाया जाएगा। इस प्रकार, अनुच्छेद

50 राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में यह प्रावधान है कि राज्य न्यायपालिका को सार्वजनिक रूप से कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएंगे।

राज्य की सेवाएँ। से अलग न्यायिक सेवा होगी

कार्यकारी सेवा। इस न्यायालय ने इन प्रावधानों पर विचार किया

अनुच्छेद 234,235,236 और 237 में कहा गया है कि

भर्ती के स्रोत, संघ या राज्य की सेवाएँ और सदस्य

बार से। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 15. इस पृष्ठभूमि में, यदि संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों पर ध्यान दिया जाए, तो उनमें बहस की गई अभिव्यक्तियों का अर्थ स्पष्ट हो जाएगाः

हम पहले ही कला निकाल चुके हैं। 233 .

अनुच्छेद 234। किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा उस ओर से बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]

राज्य लोक सेवा आयोग और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के साथ परामर्श के बाद।

अनुच्छेद 235। जिला न्यायालयों और न्यायालयों पर नियंत्रण

राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित और जिला न्यायाधीशों के पद से हीन कोई पद धारण करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति और उन्हें अनुमति प्रदान करने सहित इसके अधीनस्थ उच्च न्यायालय में निहित होंगे, लेकिन इस अनुच्छेद की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे ऐसे किसी व्यक्ति से कुछ भी छीन रहे हैं।

अपील का कोई अधिकार जो उसे अपनी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानून के तहत या उच्च न्यायालय को अधिकृत करने के रूप में हो सकता है

के अनुसार के अलावा उसके साथ व्यवहार करने के लिए

अनुच्छेद 236। इस अध्याय में (क) "जिला न्यायाधीश" शब्द में शहर के दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु कारण न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख शामिल हैं।

प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र

न्यायाधीशः

कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध और उसके अधीन बनाए गए कोई नियम ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो नियत की जाए। उसके द्वारा उस ओर से राज्य में मजिस्ट्रेटों के किसी भी वर्ग या वर्गों के संबंध में लागू होता है क्योंकि वे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं, बशर्ते कि

में निर्दिष्ट किए जाने वाले अपवाद और संशोधन

अधिसूचना।

उक्त प्रावधानों का सार इस प्रकार कहा जा सकता हैः किसी भी राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी नियुक्ति और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। भर्ती के दो स्रोत हैं, अर्थात् (i) राज्य संघ की सेवा और (ii) बार के सदस्य। [2020] 2 एस. सी. आर. के उक्त न्यायाधीश।

पहला स्रोत उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है।

और दूसरे स्रोत से उन लोगों को नियुक्त किया जाता है

उच्च न्यायालय की सिफारिश। लेकिन नियुक्तियों के मामले में

राज्य के राज्यपाल द्वारा इसके अनुसार किया जाएगा उच्च न्यायालय के परामर्श से उनके द्वारा बनाए गए नियम और

लोक सेवा आयोग। लेकिन उच्च न्यायालय का नियंत्रण है

सभी जिला न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालय, के अधीन रहते हुए

कुछ निर्धारित सीमाएँ "।

(जोर दिया गया)

इस सवाल के बारे में कि क्या अन्य सेवाओं के व्यक्ति हो सकते हैं

जिला न्यायाधीशों के रूप में स्थापित, संघ या राज्य की अभिव्यक्ति सेवा, जिसे अनुच्छेद 233 (2) में न्यायिक सेवा माना गया है।

" 16. अभी तक कोई विवाद नहीं हुआ है। लेकिन असली विवाद इस सवाल पर है कि क्या राज्यपाल जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

न्यायिक सेवा के अलावा अन्य सेवाओं के व्यक्ति; अर्थात, क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है जो पुलिस, उत्पाद शुल्क, राजस्व या ऐसी अन्य सेवा में हो? इस बात की स्वीकृति

यह स्थिति हमें स्वतंत्रता से पहले के दिनों में वापस ले जाएगी और वह भी रियासतों में प्रचलित परिस्थितियों में। रियासतों में पुलिस और अन्य विभागों से न्यायिक सेवा में नियुक्तियां होती थीं। यह संविधान की अच्छी तरह से बुनी हुई योजना और इसके अंतर्निहित सिद्धांत, अर्थात् न्यायपालिका को एक स्वतंत्र सेवा से भी अलग कर देगा। निसन्देह अगर कला। 233 (1) अकेले खड़े थे, यह तर्क दिया जा सकता है

कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सके,

कानूनी रूप से योग्य हो या नहीं, यदि वह राज्य के तहत किसी भी सेवा से संबंधित है। लेकिन कला। 233 (1) जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल की सामान्य शक्ति की घोषणा से ज्यादा कुछ नहीं है। यह नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की योग्यता को निर्धारित नहीं करता है या उन स्रोतों को निर्दिष्ट नहीं करता है जिनसे भर्ती की जानी है। लेकिन भर्ती के स्रोतों को सी. एल. में दर्शाया गया है। (2) वहाँ से। सी. एल. के तहत। (2) कला की। 233 दो स्रोत दिए गए हैं, अर्थात् (i) संघ या संघ की सेवा में व्यक्ति।

राज्य, और (ii) अधिवक्ता या वकील। क्या यह कहा जा सकता है कि च के संदर्भ में। संविधान के भाग VI का VI "संघ की सेवा" "या" राज्य की "से संघ या राज्य की कोई सेवा या धीरज मॉर v अभिप्रेत है।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]

क्या इसका अर्थ संघ की या राज्य की न्यायिक सेवा से है? द. सेटिंग, अर्थात। , अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अध्याय, जिसमें

अभिव्यक्ति "सेवा" प्रकट होती है जो इंगित करती है कि सेवा

इसके अलावा, कला। 236 (2) "न्यायिक सेवा" अभिव्यक्ति का अर्थ परिभाषित करता है एक सेवा जिसमें विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका पद भरने का इरादा होता है

जिला न्यायाधीश और अन्य सिविल न्यायिक पदों के पद से कम

कला में वह "सेवा" है। 233 (2) इसका मतलब केवल न्यायिक सेवा हो सकता है। ऐसी परिस्थिति जिसमें "न्यायिक सेवा" की परिभाषा एक

बाद के अनुच्छेद में जगह जरूरी नहीं कि एक विपरीत की ओर ले जाए

निष्कर्ष। तथ्य यह है कि अनुच्छेद 233 (2) में अभिव्यक्ति " कला में "सेवा" का उपयोग किया जाता है। 234 और 235 अभिव्यक्ति

" न्यायिक सेवा "पाई जाती है" इस सवाल का निर्णायक नहीं है कि क्या

कला में अभिव्यक्ति "सेवा"। 233 (2) कुछ होना चाहिए

न्यायिक सेवा के अलावा, क्योंकि, पूरा अध्याय संबंधित है

न्यायिक सेवा के साथ। परिभाषा सेवा की संपूर्ण है।

परिभाषा में दो अभिव्यक्तियाँ इस विचार को सामने लाती हैं कि न्यायिक

“ विशेष रूप से "और" इरादा "इस तथ्य पर जोर देता है कि न्यायिक सेवा में केवल वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो पदों को भरने का इरादा रखते हैं

जिला न्यायाधीशों और अन्य सिविल न्यायिक पदों और वह विशेष है

न्यायिक अधिकारियों की सेवा। "न्यायिक सेवा" को परिभाषित किया गया है

विशिष्ट शर्तें, उस सेवा में नियुक्तियों के लिए प्रदान की गई हैं और उक्त सेवा का नियंत्रण देखभाल के लिए सौंपा गया है

उच्च न्यायालय, संविधान निर्माताओं के पास नहीं होगा

राज्यपाल को किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई जिला न्यायाधीश के रूप में किसी भी सेवा से।

18. इसलिए, हम सी. एल. में "सेवा" अभिव्यक्ति का अर्थ लगाते हैं। (2)

कला की। 233 न्यायिक सेवा के रूप में। ”

(जोर दिया गया)

18. चन्द्र मोहन बनाम। यू. पी. राज्य (ऊपर), यह न्यायालय आगे

इतिहास यह है कि गवर्नर-जनरल इन काउंसिल ने 1922 में स्थानीय सरकार को अधिकार देने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया था।प्रांतीय सदस्यों से उक्त सेवा के लिए इरादे

सेवा (न्यायिक शाखा) या बार के सदस्य।

यह भी उल्लेख किया गया था कि इससे पहले जब तक भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की, गवर्नर जनरल ने तीन स्रोतों से जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां कीं: (i) भारतीय सिविल सेवा; (ii) प्रांतीय न्यायिक सेवा; और (iii) बार। भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत सरकार द्वारा भारतीय सिविल सेवा से भर्ती बंद कर दी गई थी, और यह निर्णय लिया गया था कि नवनिर्मित भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को न्यायिक पद नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल न्यायिक सेवा या बार से की जाती थी। राज्यपाल द्वारा न्यायिक अधिकारियों में से जिला न्यायाधीशों की भर्ती करने के लिए बनाए गए नियमों को असंवैधानिक माना गया। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

" 20. उक्त प्रावधानों का इतिहास भी उक्त निष्कर्ष का समर्थन करता है। मूल रूप से जिला और सत्र न्यायाधीशों और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के पदों को भारतीय सिविल सेवा के व्यक्तियों द्वारा भरा जाता था। 1922 में गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें स्थानीय सरकार को ऐसा करने का अधिकार दिया गया।
सदस्यों से उक्त सेवा में नियुक्तियाँ

प्रांतीय सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) या सदस्यों से बार से। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 246 (1) और धारा 251 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राज्य सचिव ने आरक्षित पदों (भारतीय) की शैली वाले नियम बनाए।

सिविल सेवा) नियम, 1938। उन नियमों के तहत, राज्यपाल को एक जिला पद पर एक सदस्य नियुक्त करने की शक्ति दी गई थी।

प्रांत की न्यायिक सेवा या बार का सदस्य। यद्यपि उक्त अधिनियम की धारा 254 (1) को सामान्य शब्दों में अनुच्छेद में निहित शब्दों के समान जोड़ा गया था। 233 (1) संविधान के अनुसार, उक्त नियम उन्हें न्यायिक सेवा के अलावा किसी अन्य सेवा से संबंधित व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के आरक्षित पद पर नियुक्त करने का अधिकार नहीं देते थे। जब तक भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की, तब तक स्थिति यह थी कि जिला न्यायाधीश

राज्यपाल द्वारा तीन स्रोतों से नियुक्त किए जाते थे, अर्थात् (i) भारतीय सिविल सेवा, (ii) प्रांतीय न्यायिक सेवा, और (iii) बार। लेकिन 1947 में भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारतीय सिविल सेवा में भर्ती बंद कर दी गई और भारत सरकार ने फैसला किया कि नवगठित भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को न्यायिक पद नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद जिला न्यायाधीशों की भर्ती केवल न्यायिक सेवा या बार से की गई है। कार्यपालिका के किसी सदस्य को जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाने का कोई मामला नहीं था। यदि संविधान के लागू होने के समय यह तथ्यात्मक स्थिति थी, तो धीरज मोर बनाम के निर्माताओं को श्रेय देना अनुचित है।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]

संविधान, जिसने इतनी सावधानी से प्रावधान किया था

एक अप्रत्यक्ष विधि। अच्छे के लिए इससे अधिक हानिकारक क्या हो सकता है? जिला न्यायाधीशों के स्तर पर अनुमति देने के बजाय न्यायपालिका का नाम,

कार्यकारी विभागों से भर्ती? इसलिए इतिहास

" कला में "सेवा"। 233 (2) इसका मतलब केवल न्यायिक सेवा हो सकता है। (21) उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि द्वारा बनाए गए नियम

राज्यपाल ने उन्हें जिला न्यायाधीशों की भर्ती करने का अधिकार दिया

और प्रथम प्रत्यर्थी को ऐसा न करने के लिए आदेश पत्र जारी करें यू. पी. उच्च न्यायिक में सीधी भर्ती द्वारा कोई नियुक्ति

उक्त नियमों के तहत किए गए चयनों के अनुसरण में सेवा।

प्रथम प्रत्यर्थी अपीलार्थी की लागत का भुगतान करेगा। दूसरे ने

उत्तरदाता अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

(जोर दिया गया)

19. यह चंद्र मोहन बनाम के निर्णय से स्पष्ट है। राज्य

उत्तर प्रदेश का, (ऊपर) कि इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि बार से सीधे भर्ती किए गए जिला न्यायाधीशों के संबंध में, राज्यपाल केवल उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर सकता है और नियम 14 जो न्यायिक अधिकारियों को सीधे भर्ती के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है, इस न्यायालय द्वारा अधिकार से बाहर होने के लिए निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार, यह निर्णय पूरी तरह से सेवाकालीन उम्मीदवारों की ओर से प्रस्तुत किए जाने के खिलाफ है। में चन्द्र मोहन (ऊपर) के उपर्युक्त पैरा 11 में स्थिति स्पष्ट की गई है। चंद्र मोहन (उपरोक्त) मामले में न्यायालय ने कहा कि केवल अधिवक्ताओं को सीधी भर्ती के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और अन्य बातों के साथ-साथ कार्यकारी अधिकारियों की भर्ती के लिए नियम 14 को निरस्त कर दिया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि 'राज्य या संघ की सेवा' पद का अर्थ न्यायिक है।

सेवा, यह केवल भर्ती के स्रोत को संदर्भित करता है। निर्णय में भर्ती/नियुक्ति के दो स्रोतों की द्विभाजन को शामिल किया गया है।

20. रामेश्वर में भी निर्णय पर रिलायंस को रखा गया है।

दयाल वी. उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 816। सवाल जो [2020] 2 एस. सी. आर. के लिए उठा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूची में शामिल व्यक्तियों की पात्रता पर विचार किया गया था

जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 1947 में भारत के विभाजन से पहले पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ता। इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि लाहौर उच्च न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस की अवधि को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 7 साल की आवश्यक अवधि के मुकाबले गिना जा सकता है। इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि विभाजन से पहले लाहौर उच्च न्यायालय में या उसके समक्ष दी गई प्रथा संविधान के अनुच्छेद 233 (2) के तहत आपत्ति के लिए खुली नहीं थी। भले ही अनुच्छेद 233 के खंड (2) में 'अधिवक्ता' शब्द का अर्थ भारत में किसी न्यायालय का अधिवक्ता हो, और नियुक्त व्यक्ति को अपनी नियुक्ति के समय ऐसा अधिवक्ता होना चाहिए, इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती क्योंकि वास्तव में यह संविधान के अधिवक्ताओं की सूची में है। पंजाब उच्च न्यायालय में नियुक्ति के समय, उम्मीदवार भारत में एक अदालत में एक वकील था और अपनी नियुक्ति की तारीख तक जारी रहा। इस न्यायालय ने पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय में लागू सिद्धांत पर भी विचार किया। लाहौर उच्च न्यायालय के एक वकील को नए उच्च न्यायालय में वकालत करने का अधिकार था, लाहौर उच्च न्यायालय में अपनी स्थिति के आधार पर उनकी वरिष्ठता को गिना गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश के रूप में अपनी नियुक्ति के समय अधिवक्ता के रूप में बना रहा, वह अनुच्छेद 233 की आवश्यकता को पूरा करता है। इस न्यायालय द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह की प्रथा को पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश, 1947 के खंड 6 के तहत मान्यता दी गई थी। इससे पहले, उच्च न्यायालय अधिवक्ताओं की सूची का रखरखाव करता था। जो सवाल उठ रहा है

कि खंड (1) के तहत, सरकार ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है जो - पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में। अनुच्छेद 233 के खंड (1) के तहत कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। हालांकि, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पहले से ही सेवा में नहीं है, अनुच्छेद 233 में निर्धारित योग्यता यह है कि वह 7 साल का अधिवक्ता या वकील होना चाहिए। इस न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दियाः

“ 11. यह वह पृष्ठभूमि है जिसके खिलाफ हमें अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्क पर विचार करना होगा। भले ही हम अंत में उनकी शुद्धता पर उच्चारण किए बिना यह मान लें कि विद्वान परामर्श उनकी पहली दो प्रस्तुतियों में सही है। कि कला के खंड (2) में "अधिवक्ता" शब्द। 233 इसका अर्थ है धीरज मोर v का अधिवक्ता।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]

भारत में एक न्यायालय और नियुक्त व्यक्ति को अपनी नियुक्ति के समय ऐसा अधिवक्ता होना चाहिए, उन आधारों पर उन तीन उत्तरदाताओं की नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है जो अपनी नियुक्ति के समय पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की सूची में थे; क्योंकि स्वीकार किया जाता है कि वे भारत में एक अदालत में अधिवक्ता थे और अपनी नियुक्ति की तारीखों तक ऐसे अधिवक्ताओं के रूप में बने रहे। उनके संबंध में एकमात्र सवाल यह है कि क्या वे सात साल की अवधि में लाहौर उच्च न्यायालय में या उसके तहत अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, 1947 के खंड 6 (2) द्वारा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसे बार काउंसिल अधिनियम, 1926 की धारा 8 (3) के साथ पढ़ा जाता है। उस खंड में कहा गया है कि पूर्वी पंजाब के उच्च न्यायालय में दर्शकों के अधिकार को नियत दिन से तुरंत पहले लाहौर उच्च न्यायालय में लागू सिद्धांत के अनुसार विनियमित किया जाएगा। लाहौर उच्च न्यायालय के नियमों में प्रासंगिक नियम में कहा गया है कि अधिवक्ता जो बैरिस्टर हैं, वे बार को बुलाए जाने की तारीख के अनुसार वरीयता लेंगे; अधिवक्ता जो बैरिस्टर नहीं हैं, उन तारीखों के अनुसार जब वे उच्च न्यायालय में वकालत करने के हकदार बने। यही सिद्धांत पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय पर भी लागू हुआ और लाहौर उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता, जिन्हें नए उच्च न्यायालय में वकालत करने के हकदार अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी गई थी, ने लाहौर उच्च न्यायालय में अपनी स्थिति के बल पर अपनी वरिष्ठता को गिना। उन्होंने उस वरिष्ठता को नहीं खोया, जिसे बार काउंसिल अधिनियम, 1926 द्वारा संरक्षित किया गया था, और हम क्ल के उद्देश्य के लिए कोई कारण नहीं देखते हैं। (2) कला की। 233 ऐसे अधिवक्ता का वही दर्जा नहीं होना चाहिए जो उसका उच्च न्यायालय में है जहाँ वह वकालत कर रहा है।

12. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने भी स्पष्टीकरण I से सी. एल. की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। (3) कला की। 124 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं से संबंधित संविधान और सी. एल. को स्पष्टीकरण। (2) कला की। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं के संबंध में, और प्रस्तुत किया है कि जहां संविधान निर्माताओं ने इसे आवश्यक समझा, उन्होंने विशेष रूप से उच्च न्यायालय में अवधि की गिनती के लिए प्रावधान किया जो पहले भारत में था। अनुच्छेद 124 और 217 अलग-अलग शब्दों में लिखे गए हैं और एक अतिरिक्त योग्यता का उल्लेख करते हैं -

नागरिकता जो कला की आवश्यकता नहीं है। 233 , और हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि सी. एल. (2) कला की। 233 कला में जोड़ी गई व्याख्याओं के प्रकाश में व्याख्या की जा सकती है। 124 और 217। अनुच्छेद 233 एक स्व [2020] 2 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान था। जहाँ तक किसी ऐसे व्यक्ति का संबंध है जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में है, कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है और सी. एल. के तहत। (1) द.

राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं

संबंधित उच्च न्यायालय के साथ परामर्श। एक व्यक्ति के रूप में जो पहले से सेवा में नहीं है, एक योग्यता सी. एल. में निर्धारित की गई है। (2) और बस इतना ही आवश्यक है कि वह सात का अधिवक्ता या वकील होना चाहिए।

बरसों से खड़ा है। खंड में यह नहीं कहा गया है कि उस स्थिति की गणना कैसे की जानी चाहिए और यदि पंजाब उच्च न्यायालय का कोई अधिवक्ता बार में अपनी स्थिति निर्धारित करने के लिए लाहौर उच्च न्यायालय में अपने अभ्यास की अवधि की गणना करने का हकदार है, तो हम कला में कुछ भी नहीं देखते हैं। 233 जिसके कारण उसका निर्धारण करने के लिए उस अवधि का बहिष्कार किया जाना चाहिए।

जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता।

13. यदि अपीलार्थी की ओर से प्रचार की गई व्याख्या स्वीकार कर ली जाती है तो परिणाम क्या होगा? फिर 15 अगस्त, 1947 से शुरू होने वाले सात वर्षों के लिए पंजाब उच्च न्यायालय के बार का कोई भी सदस्य जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ए

परिणाम जो केवल तर्क की कमजोरी को प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना है। हम पहले दो पर अब तक आगे बढ़े हैं।

हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमने यह निर्णय लिया है कि अभिव्यक्ति 'रही है' का हमेशा वही अर्थ होना चाहिए जो अपीलार्थी के विद्वान वकील का कहना है कि इसका अर्थ व्याकरण के सख्त नियमों के अनुसार है। यह गंभीरता से सवाल किया जा सकता है कि क्या एक जैविक संविधान की इतनी संकीर्ण व्याख्या की जानी चाहिए, और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने संविधान के अन्य अनुच्छेदों जैसे कला की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। 5 (ग) जहाँ संदर्भ में अभिव्यक्ति का एक अलग अर्थ है। हमारा ध्यान भी इस ओर खींचा गया है कि

मुबारक मजदूर बनाम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय। के. के. बनर्जी, ए. आई. आर. 1958 सभी 323, जहां उप-अनुभाग के परंतुक में होने वाली समान अभिव्यक्ति को एक अलग अर्थ दिया गया था। (3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86। हम इस मामले को आगे बढ़ाने को अनावश्यक मानते हैं क्योंकि जिन उत्तरदाताओं पर हम अब विचार कर रहे हैं वे अधिवक्ता बने हुए हैं।

पंजाब उच्च न्यायालय में जब उन्हें जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था और इस प्रकार नियुक्त होने पर उनका कार्यकाल सात वर्ष से अधिक था। वे स्पष्ट रूप से सी. एल. के तहत नियुक्ति के लिए पात्र थे। 2 कला की। 233 संविधान से।

धीरज मोर बनाम। दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]

14. अब हम अन्य दो उत्तरदाताओं (हरबंस सिंह और पी. आर. साहनी) की ओर रुख करते हैं, जिनके नाम उस समय अधिवक्ताओं की सूची में नहीं थे जब उन्हें जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी स्थिति क्या है? हम मानते हैं कि उन्होंने कला की आवश्यकताओं को भी पूरा किया। 233 संविधान से। अपनी नियुक्ति के समय हरबंस सिंह राज्य की सेवा में थे और उनकी ओर से पेश हुए श्री विश्वनाथ शास्त्री ने यह दलील दी है। (2) कला की। 233 आवेदन नहीं किया। हम मानते हैं कि भले ही हम इस आधार पर आगे बढ़ें कि इन दोनों व्यक्तियों को बार से भर्ती किया गया था और उनकी नियुक्ति का परीक्षण निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए:

पंजाब उच्च न्यायालय बार काउंसिल अधिनियम, 1926 के लागू होने तक। उस अधिनियम की धारा 8 (2) (ए) के तहत उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह अधिवक्ताओं की एक सूची तैयार करे और उसका रखरखाव करे जिसमें उनके नाम हों। यह उस दिन दर्ज किया जाना चाहिए था जिस दिन धारा 8 लागू हुई थी, यानी 28 सितंबर, 1948 को। उप-धारा का परंतुक। (2) धारा 8 में उन्हें बार को देय 10 रुपये का शुल्क जमा करने की आवश्यकता थी

पंजाब उच्च न्यायालय में वकालत करने के हकदार अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त और 28 सितंबर, 1948 के बाद, वे स्वतः पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की सूची में आ गए, लेकिन उन्हें बार काउंसिल को 10 रुपये का शुल्क देना पड़ा। 15 अगस्त, 1947 के बाद वे किसी भी समय या स्तर पर अधिवक्ता बनना बंद नहीं कर पाए और वे पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बने रहे जब तक कि उन्हें उच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त नहीं किया गया। जिला न्यायाधीश। उनके पास सी. एल. के तहत पात्र होने के लिए सात साल की आवश्यक स्थिति भी थी। (2) कला की। 233 संविधान "।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. रामेश्वर दयाल (उपरोक्त) के निर्णय में हरबंस सिंह और पी. आर. साहनी के तथ्यों के आधार पर बहुत कुछ करने की कोशिश की गई। हरबंस सिंह और पी. आर. साहनी के पास निम्नलिखित थेः

निर्णय में उल्लिखित योग्यताएँः

" 5. एक्स एक्स एक्स

(2) प्रत्यर्थी 3 (हरबंस सिंह, जे.) को भी बार में बुलाया गया और फिर 5 मार्च, 1937 को लाहौर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया। उन्होंने 2 जुलाई, 1947 से 22 फरवरी, 1948 तक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, फिरोजपुर के रूप में कार्य किया। इसके बाद वे कुछ समय के लिए शिमला में अभ्यास करने के लिए लौट आए। 15 मार्च, 1948 को उन्होंने 17 अप्रैल, 1950 तक उप अभिरक्षक, निकासी संपत्ति के रूप में काम किया। 18 अप्रैल, 1950 को उन्हें जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 11 अगस्त, 1958 को उन्हें जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

पंजाब उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश।

अभिरक्षक, निकासी संपत्ति, दिल्ली। फिर उन्होंने दिल्ली में कुछ समय के लिए अभ्यास किया; फिर उन्होंने राजपुरा टाउनशिप में विशेष कार्य अधिकारी और प्रशासक के रूप में पुनर्वास मंत्रालय के तहत सेवा स्वीकार की। 30 मार्च, 1949 को वे जालुंडुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। 6 मई, 1949 को उन्होंने एक अधिवक्ता के रूप में वकालत करने का अपना लाइसेंस निलंबित कर दिया। 6 अप्रैल, 1957 को वे जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त।

उनमें से दो अपनी नियुक्ति की तारीख तक न्यायिक सेवा में नहीं थे; उन्होंने पहले अपेक्षित अवधि के लिए वकालत की थी अधिवक्ता और बाद में जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए।

हरबंस सिंह 1950 तक उप अभिरक्षक, निकासी संपत्ति के रूप में काम कर रहे थे, जब उन्हें जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 1958 में उन्हें पंजाब उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रासंगिक समय पर, जब नियुक्तियां की गई थीं, तो कार्यकारी सेवाओं से भी भर्तियों की अनुमति थी। जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उनकी पात्रता का परीक्षण किया गया। विचार के लिए जो सवाल आया वह यह नहीं था कि क्या उन्हें निकासी संपत्ति के संरक्षक या सुधार न्यास की सेवा में नियुक्त किया जा सकता था। रामेश्वर दयाल (ऊपर) के उपर्युक्त पैरा 12 में अनुच्छेद 233 की व्याख्या के संबंध में इस न्यायालय द्वारा क्या निर्णय दिया गया था।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]

न्यायालय की संविधान पीठ, सेवाकालीन उम्मीदवारों की ओर से उठाई गई दलीलों के खिलाफ जाती है।

22. सत्य नारायण सिंह (ऊपर) में भी ऐसा ही सवाल उठा। द.

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों ने नियुक्ति के लिए आवेदन किया

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती का तरीका यह दावा करते हुए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में अपनी नियुक्ति से पहले बार में 7 साल का अभ्यास पूरा कर लिया था। इसलिए, वे उच्च न्यायिक सेवा, यानी जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने के पात्र थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यायिक अधिकारियों को सीधी भर्ती द्वारा जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बनाने के लिए अनुच्छेद 233 की व्याख्या करना बेहद विसंगत होगा। इस न्यायालय ने निवेदन को खारिज कर दिया और इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 3. ..... दो अंक सीधे खुद को पेश करते हैं जब दोनों

अनुच्छेद 233 के खंड पढ़े जाते हैंः पहला खंड किससे संबंधित है

" होने वाले व्यक्तियों की नियुक्तियाँ और उनकी नियुक्ति और पदोन्नति,

किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश "जबकि दूसरा खंड सीमित है

संघ की सेवा में पहले से न रहे व्यक्तियों के लिए इसके आवेदन में

या राज्य का "। हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं कि "संघ की सेवा"

"या राज्य के" की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा न्यायिक अर्थ में की गई है।

सेवा करते हैं। फिर से जब पहला खंड द्वारा परामर्श किया जाता है

उच्च न्यायालय के साथ राज्य का राज्यपाल आवश्यक है, दूसरा

खंड की अपेक्षा है कि उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति की सिफारिश करनी चाहिए

दूसरे खंड द्वारा कवर किए गए व्यक्ति कि एक आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि

वह कम से कम 7 वर्षों से अधिवक्ता या वकील रहा है। में।

दूसरे शब्दों में, उन उम्मीदवारों के मामले में जो एक के सदस्य नहीं हैं न्यायिक सेवा के लिए वे अधिवक्ता या वकील रहे होंगे।

7 वर्ष से कम नहीं और उनकी अनुशंसा की जानी चाहिए

उनके जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने से पहले उच्च न्यायालय, जबकि

न्यायिक सेवा के सदस्य उम्मीदवारों के मामले में

7 साल के नियम का कोई उपयोग नहीं है लेकिन परामर्श होना चाहिए

उच्च न्यायालय के साथ। इन दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर है।

भर्ती के स्रोत और द्विभाजन बनाए रखा जाता है। इन दोनों धाराएँ अलग-अलग होती हैं जब तक कि वे नियुक्ति द्वारा एक साथ नहीं आती हैं।

जाहिर है कि एक ही जहाज दोनों धाराओं में नहीं चल सकता है।

एक साथ "।

(जोर दिया गया)

20] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय ने रामेश्वर दयाल (ऊपर) पर भरोसा किया है और

चंद्र मोहन (ऊपर) धारण करने के लिए:

" 5. सवाल उठाते हुए कि क्या अभिव्यक्ति "की सेवा" है

संघ या राज्य की "से संघ या राज्य की कोई सेवा अभिप्रेत है।

राज्य या क्या इसका अर्थ संघ की न्यायिक सेवा है या

राज्य के विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने दृढ़ता से अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 233 (2) में "सेवा" अभिव्यक्ति का अर्थ केवल यह हो सकता है कि

न्यायिक सेवा। लेकिन उपरोक्त कथन से उनका यह मतलब नहीं था कि

अधीनस्थ न्यायपालिका में अन्य सभी वरिष्ठों के दावे इसके विपरीत हैं संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16।

6. इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों निर्णय विवाद का समर्थन नहीं करते हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अग्रिम लेकिन, इस हद तक कि वे जाओ, वे निश्चित रूप से उत्तरदाताओं के मामले को आगे बढ़ाते हैं। हम.

इसलिए, पहले से लिए गए दृष्टिकोण से हटने का कोई कारण नहीं देखें। हम और हम तदनुसार रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं।

(जोर दिया गया)

हरबंस सिंह और साहनी के मामलों पर विचार किया गया।

और उपरोक्त निर्णय में समझाया गया। इस न्यायालय ने रामेश्वर दयाल (उपरोक्त) के इस निर्णय पर भरोसा किया कि एक व्यक्ति के लिए जो पहले से ही सेवा में नहीं है, एक योग्यता यह है कि वह सात साल का अधिवक्ता या वकील होना चाहिए। यही सेवा में रहने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ मुद्दे को पकड़ता है और उनके दावे को नकारता है।

23. दीपक अग्रवाल (ऊपर) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह आदेश दिया है।

न्यायालय ने अनुच्छेद 233 (2) के प्रावधानों पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 233 में सेवा का अर्थ न्यायिक सेवा है और भर्ती के स्रोतों का द्विभाजन है, अर्थात् (i) न्यायिक सेवा से; और (ii) अधिवक्ता/प्लीडर से या दूसरे शब्दों में बार से। शब्द का अर्थ

इस न्यायालय द्वारा अधिवक्ता/प्लीडर पर भी विचार किया गया है। "अधिवक्ता" या "प्लीडर" अभिव्यक्ति कानून का अभ्यास करने वाले बार के सदस्यों को संदर्भित करती है। सुषमा सूरी बनाम पर भरोसा करना। सरकार. (एन. सी. टी. दिल्ली), (1999) 1 एस. सी. सी. 330, इस न्यायालय ने आगे कहा कि बार के सदस्यों का अर्थ उन व्यक्तियों के वर्गों से है जो अदालत में अधिवक्ता या अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे थे। इस न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 233 (2) में, "यदि वह सात साल से कम नहीं रहा है", तो वर्तमान पूर्ण निरंतर काल का उपयोग एक के लिए किया जाता है।

स्थिति जो अतीत में किसी समय शुरू हुई थी और जारी है।

इसलिए, धीरज मोर बनाम। दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]एफ आवश्यक आवश्यकताएं यह हैं कि ऐसे व्यक्ति को आवेदन की तारीख को एक वकील के रूप में जारी रहना चाहिए। इस टी ने देखा हैः

" 70. कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए कुछ निर्णय

यहाँ भी ध्यान दिया जा सकता है। सुधाकर गोविंदराव में देशपांडे बनाम. महाराष्ट्र राज्य, 1986 प्रयोगशाला आईसी 710 (बम) वह मुद्दा जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था

यह था कि क्या उसमें याचिकाकर्ता जो उप के रूप में कार्य कर रहा था

विज्ञापन जो उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया था जिला न्यायाधीशों के पाँच पदों के लिए आवेदनों में, अन्य बातों के साथ, कहा गया है कि,

“ उम्मीदवार को आम तौर पर एक अधिवक्ता या वकील होना चाहिए जिसने

उच्च न्यायालय, बॉम्बे या उसके अधीनस्थ न्यायालय में कम से कम सात साल तक 1-10-1980 पर वकालत की। बंबई उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने संविधान के अनुच्छेद 233,234 और 309, प्रासंगिक भर्ती नियमों पर विचार किया और चंद्र मोहन बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों को नोट किया। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर 1966 एस. सी.

1987 , सत्य नारायण सिंह बनाम। न्यायपालिका का उच्च न्यायालय

इलाहाबाद, (1985) 1 एस. सी. सी. 225 और रामेश्वर दयाल बनाम। राज्य

पंजाब का, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 816। इसे इस प्रकार देखा गयाः

(सुधाकर मामला, लैब आईसी पी। 715, पैरा 16)

" 16. ..... वाक्यांश 'अधिवक्ता या अधिवक्ता रहा है' की व्याख्या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की जानी चाहिए जो अपनी नियुक्ति से तुरंत पहले बार का सदस्य रहा हो, अर्थात या तो अधिवक्ता या अधिवक्ता। वास्तव में, उपरोक्त निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार अनुच्छेद 233 (2) के तहत नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों के दूसरे समूह का उल्लेख किया है

' बार के सदस्य '। अनुच्छेद 233 (2) इसलिए, जब यह एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो सात साल से कम नहीं रहा है

अधिवक्ता या प्लीडर बार के एक सदस्य को संदर्भित करता है जो

सात साल से कम नहीं।

89. हमें नहीं लगता कि इसके अर्थ के बारे में कोई संदेह है।

अनुच्छेद 233 (2) में "अधिवक्ता या प्लीडर" अभिव्यक्ति

संविधान। इसका वही अर्थ होना चाहिए जो संविधान से पहले कानून में था और जैसा कि अभिव्यक्ति को आम तौर पर समझा जाता था। अभिव्यक्ति "अधिवक्ता या प्लीडर" कानूनी व्यवसायी को संदर्भित करता है।

और, इस प्रकार, इसका अर्थ है एक व्यक्ति जिसे [2020] 2 एस. सी. आर. में कार्य करने और/या अभिवचन करने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपने मुवक्किल की ओर से अदालत। संदर्भ में कोई संकेत नहीं है

इसके विपरीत। यह बार के अभ्यास करने वाले सदस्यों को संदर्भित करता है। कानून। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद में "अधिवक्ता या वकील" अभिव्यक्ति

233 (2) बार के एक सदस्य के लिए उपयोग किया गया है जो संचालन करता है

अदालत में मामले या, दूसरे शब्दों में कार्य और/या अदालत में अभिवचन

अपने ग्राहक की ओर से। सुषमा सूरी बनाम। सरकार. (एन. सी. टी. दिल्ली),

(1999) 1 एस. सी. सी. 330, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ का अर्थ है -

अभिव्यक्ति "बार के सदस्य" का अर्थ व्यक्तियों का वर्ग है

जो वास्तव में वकीलों के रूप में अदालतों में काम कर रहे थे या अधिवक्ता। .....

102. अभिव्यक्ति के निर्माण के संबंध में, "यदि वह किया गया है

के अनुच्छेद 233 (2) में कम से कम सात साल के लिए एक अधिवक्ता

संविधान में, हमें लगता है कि श्री प्रशांत भूषण सही थे

आवेदन से तुरंत पहले और सात साल नहीं अतीत में। यह "किया गया है" के उपयोग से स्पष्ट है। वर्तमान में

सही निरंतर काल का उपयोग उस स्थिति के लिए किया जाता है जो शुरू हुई थी

कभी अतीत में और अभी भी जारी है। अतः इनमें से एक उपरोक्त अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त आवश्यक आवश्यकताएँ

अनुच्छेद 233 (2) यह है कि ऐसे व्यक्ति को अपेक्षित अवधि के साथ

आवेदन की तारीख को एक वकील के रूप में जारी रहना।

(जोर दिया गया)

दीपक अग्रवाल (ऊपर) के निर्णय से यह स्पष्ट है कि

बार से भर्ती केवल अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं और नियुक्ति की तारीख पर अधिवक्ताओं के रूप में जारी रहने वालों के बीच होती है। यह निवेदन कि सेवाकालीन उम्मीदवारों की पात्रता का मुद्दा विचार के लिए नहीं

आया, इसका कोई परिणाम नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 233 (2) के प्रावधान इस न्यायालय के समक्ष सीधे विचार के लिए आए थे।

24. विजय कुमार मिश्रा और अन्न का निर्णय। वी. उच्च न्यायालय

पटना में न्यायपालिका और अन्य। , (2016) 9 एस. सी. सी. 313 का भी उल्लेख किया गया है जिसमें न्यायिक अधिकारियों ने बार के सदस्यों यानी अधिवक्ताओं/प्लीडरों के लिए आरक्षित पद के खिलाफ अपना दावा किया है। उच्च न्यायालय ने चुनौती को खारिज कर दिया; इसलिए इस न्यायालय में अपील दायर की गई। इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एक व्यक्ति जो सेवा में नहीं है, वह जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। उसके बाद पीठ ने "चयन" और "नियुक्ति" के बीच अंतर किया। यह देखा गया कि अनुच्छेद 233 (2) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है जो

पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में है, लेकिन ऐसे धीरज मॉर v का चयन नहीं है।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]बेटा। भले ही कोई व्यक्ति, जो पहले से ही सेवा में है, चुना जाता है, फिर भी वह

जिला न्यायाधीश बनने या मौजूदा न्यायाधीश के साथ बने रहने का विकल्प

ऑयमेंट। की गई टिप्पणियों के प्रासंगिक हिस्से को निकाला जाता है। इंदौरः

" 6. अनुच्छेद 233 (1) में कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।

ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय।

हालांकि, अनुच्छेद 233 (2) घोषणा करता है कि केवल एक व्यक्ति जो पहले से ही नहीं है

नकारात्मक भाषा उसमें वर्णित व्यक्तियों के कुछ वर्ग की नियुक्ति के लिए एक बाधा पैदा करती है। यह किसी को निर्धारित नहीं करता है योग्यता. यह केवल अयोग्यता निर्धारित करता है।

7. सेवा कानून में यह अच्छी तरह से तय है कि चयन और नियुक्ति के बीच अंतर है। प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य के तहत कुछ पदों को भरने के उद्देश्य से राज्य द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में सफल होता है, उसे स्वचालित रूप से नियुक्त होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। शाब्दिक रूप से, अनुच्छेद 233 (2) केवल उस व्यक्ति की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के चयन को नहीं। द.

सार्वजनिक रूप से किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए राज्य द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ऐसे व्यक्ति का अधिकार

सेवा (चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्रता जैसे आयु, शैक्षिक योग्यता, आदि के संबंध में अन्य तर्कसंगत प्रिस्क्रिप्शन के अधीन) और माना जाना सुनिश्चित है।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत। 8. अनुच्छेद 233 (2) का पाठ केवल जिला न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है, यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही सेवा में है।

या तो संघ या राज्य का। यह निषेध नहीं करता है

संघ या राज्य की सेवा में कार्यरत व्यक्ति की उम्मीदवारी पर विचार। एक व्यक्ति जो संघ या राज्य में से किसी एक की सेवा में है, उसके पास अभी भी विकल्प होगा, यदि चुना जाता है, तो जिला न्यायाधीश के रूप में सेवा में शामिल होने या अपने मौजूदा रोजगार को जारी रखने का। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी उपयुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से भी किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना, हमारी राय में, अनुच्छेद 233 (2) के पाठ द्वारा अनुमति नहीं है और न ही संविधान की योजना के तहत विचार किया गया है।

यह किसी भी संवैधानिक रूप से वांछनीय उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. यह सत्य नारायण सिंह बनाम में निर्णय के पढ़ने से प्रकट होता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, (1985) 1 एस. सी. सी. 225 ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि जिला न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के लिए उनके दावों पर बार के सदस्यों की श्रेणी के तहत विचार किया जाए, जिन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए सात साल की प्रैक्टिस पूरी कर ली थी कि वे पहले से ही न्यायिक सेवा में थे। उक्त तथ्य निस्संदेह उच्च न्यायिक सेवा में उनकी नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 233 (2) के तहत एक बाधा के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में इस न्यायालय ने उनके दावे को खारिज कर दिया। यह प्रश्न कि क्या बार किस स्तर पर लागू होता है, न्यायालय के समक्ष मुद्दा नहीं था और न ही यह न्यायालय उस प्रश्न में गया था।

हम विजय कुमार मिश्रा (ऊपर) में दिए गए प्रस्ताव से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं। हमारी राय में, सेवाकालीन उम्मीदवार अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अतीत में और उस समय जब उन्होंने आवेदन किया और नियुक्त किया है, निरंतर अभ्यास में होना चाहिए। इस प्रकार, विजय कुमार मिश्रा (ऊपर) के निर्णय को कानून को सही ढंग से निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है। 25. न्यायिक सेवा में एक व्यक्ति जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का पात्र है, लेकिन यह केवल पदोन्नति या योग्यता पदोन्नति के माध्यम से है।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य में कौन सी अवधारणा विकसित की गई है। वी. भारत संघ और ओआरएस। , (2002) 4 एस. सी. सी. 247, जिसमें इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायिक सेवा-जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के संवर्ग के पद पर भर्ती की विधि के बारे में शेट्टी आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया था। यह न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उस समय उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए दो स्रोत थे, अर्थात् (i) पदोन्नति द्वारा;

और (ii) सीधी भर्ती द्वारा। निचली न्यायपालिका को मजबूत करने और उन्हें अधिक कुशल बनाने के लिए न्यायिक अकादमियों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। इस अदालत ने शेट्टी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी आयोग ने कहा कि उच्च न्यायिक सेवा, अर्थात अधिवक्ताओं में से जिला न्यायाधीश संवर्ग में भर्ती 25 प्रतिशत होनी चाहिए और भर्ती की प्रक्रिया लिखित और मौखिक दोनों परीक्षणों सहित एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होनी चाहिए। 75 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से और 25 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से होना चाहिए। यह न्यायालय आगे

योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए और सेवा में 25 प्रतिशत पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी धीरज मॉर v के माध्यम से योग्यता के आधार पर सख्ती से।

जिसके लिए सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ न्यायाधीश) के रूप में योग्यता सेवा पाँच वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालयों को इस संबंध में मुझे नियम निर्देशित किए गए थे। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि पद के संबंध में कोटा आवश्यक है, जो इस आधार पर मूल सिद्धांत है -एच 40-पॉइंट रोस्टर काम करता है, यह आयोजित किया गया था, वरिष्ठता को रोस्टर सिद्धांत के आधार पर कम किया जाना चाहिए। मौजूदा वरिष्ठता की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन भविष्य के लिए सूची विकसित की जानी थी। यह टी इस प्रकार देखा गयाः

" 27. एक अन्य प्रश्न जो विचार के लिए आता है, वह है उच्च न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में पदों पर भर्ती की विधि। वर्तमान में

इस समय, उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए दो स्रोत हैं, अर्थात् अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा और सीधी भर्ती द्वारा। अधीनस्थ न्यायपालिका न्यायपालिका की इमारत की नींव है।

प्रणाली। इसलिए, किसी भी अन्य नींव की तरह, यह अनिवार्य है कि इसे यथासंभव मजबूत बनाया जाए। न्यायिक प्रणाली पर भार अनिवार्य रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका पर निर्भर करता है। जबकि हम

शेट्टी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है

जिसके परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमान में वृद्धि होगी, साथ ही यह भी आवश्यक है कि न्यायिक अधिकारी, जो जितना मेहनती हैं, अधिक कुशल बनें। यह अनिवार्य है।

कि वे कानून और नवीनतम के ज्ञान से अवगत रहें

घोषणाएँ, और यही कारण है कि शेट्टी आयोग ने न्यायिक आयोग की स्थापना की सिफारिश की है।

अकादमी, जो बहुत आवश्यक है। साथ ही, हमारी राय है कि एक निश्चित न्यूनतम मानक होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से उन अधिकारियों के लिए निर्णय लिया जाता है जिन्हें अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के रूप में उच्च न्यायिक सेवा में प्रवेश करना होता है। यद्यपि हम शेट्टी आयोग से सहमत हैं कि उच्च न्यायिक सेवा अर्थात जिला न्यायाधीश संवर्ग में अधिवक्ताओं में से भर्ती 25 प्रतिशत होनी चाहिए और भर्ती की प्रक्रिया लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होनी चाहिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति के लिए अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की उपयुक्तता का परीक्षण करने का एक वस्तुनिष्ठ तरीका होना चाहिए। इसके अलावा, अपेक्षाकृत कम उम्र के लोगों के बीच एक प्रोत्साहन भी होना चाहिए और

अन्य अधिकारियों को सुधार करने और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ताकि वे उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें और जल्दी पदोन्नति प्राप्त कर सकें। इस तरह, हम उम्मीद करते हैं कि [2020] 2 एस. सी. आर.

उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की क्षमता में और सुधार होगा। इसे प्राप्त करने के लिए, जबकि पदोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत और प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत नियुक्ति का अनुपात

तथापि, उच्च न्यायिक सेवा को बनाए रखने के लिए हमारी राय है कि जहां तक पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का संबंध है, दो तरीके होने चाहिएः 50 उच्च न्यायिक सेवा में कुल पदों का प्रतिशत योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, उच्च अदालतों को उन उम्मीदवारों के कानूनी ज्ञान का पता लगाने और जांच करने और मामले-कानून के पर्याप्त ज्ञान के साथ उनकी निरंतर दक्षता का आकलन करने के लिए एक परीक्षा तैयार करनी चाहिए और विकसित करनी चाहिए। सेवा में शेष 25 प्रतिशत पद होंगे -

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर सख्ती से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है जिसके लिए अर्हता प्राप्त होती है सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में सेवा पाँच वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालयों को इस संबंध में एक नियम बनाना होगा।

28. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, पुनर्कथन करने के लिए, हम उच्च न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीशों के संवर्ग को निर्देश देते हैं।ई:

(1) (क) योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) के बीच से पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत;

(ग) 25 प्रतिशत पदों को संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर योग्य अधिवक्ताओं से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। (2) उच्च न्यायालयों द्वारा उपरोक्त उचित नियम बनाए जाएंगे।

जितनी जल्दी हो सके।

****

29. अनुभव से पता चला है कि एक निरंतरता रही है

उच्च न्यायपालिका के सदस्यों के बीच असंतोष

सेवा में उनकी वरिष्ठता के संबंध में सेवा। तीन दशकों से अधिक समय से धीरज एम. ओ. आर. v. से भर्ती किए गए अधिकारियों से सापेक्ष वरिष्ठता तय करने के लिए बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]

दो अलग-अलग स्रोत, अर्थात् पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती। के रूप में

आज के फैसले के परिणामस्वरूप, एक तरह से, तीन तरीके होंगे

उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती। के लिए कोटा पदोन्नति जो हमने निर्धारित की है वह निम्नलिखित द्वारा 50 प्रतिशत है।

सिद्धांत "योग्यता-सह-वरिष्ठता", 25 प्रतिशत सख्ती से योग्यता पर

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। अनुभव से यह भी पता चला है कि सबसे कम

देश में मुकदमे की राशि, जहाँ आरक्षण प्रणाली

भर्ती मौजूद है, जहाँ तक वरिष्ठता का संबंध है, वह है जहाँ रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए, नियमों के अनुसार

केंद्र सरकार की 40 अंकों की सूची

निर्धारित जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से संबंधित है और

अनुसूचित जनजातियाँ। शायद ही कभी कोई मुकदमा हुआ हो

के रूप में उनकी भर्ती के बाद सेवा के सदस्यों के बीच

कोटा के अनुसार, वरिष्ठता रोस्टर अंकों द्वारा तय की जाती है और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि किसी व्यक्ति की भर्ती कब की जाती है। कब

रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है, किसी भी विवाद के उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं है।

किसी भी मुकदमेबाजी से बचने और लाने के तरीकों में से एक इस संबंध में निश्चितता पदों के संबंध में कोटा निर्दिष्ट करके है।

और रिक्तियों के संबंध में नहीं। यह मूल सिद्धांत है कि

जिसके आधार पर 40 अंकों की सूची काम करती है। हम उच्च को निर्देशित करते हैं न्यायालयों द्वारा वरिष्ठता नियमों में उपयुक्त संशोधन और घोषणा

आर. के. में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित रोस्टर सिद्धांत का आधार।

सभरवाल मामला जितनी जल्दी हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि इसके परिणामस्वरूप

इसके बाद वरिष्ठता के निर्धारण में कोई विवाद नहीं होगा।

यह स्पष्ट है कि यह प्रणाली केवल संभावित रूप से लागू हो सकती है सिवाय इसके कि जहाँ संबंधित नियमों के तहत वरिष्ठता निर्धारित की जानी है

कोटा और घूर्णन प्रणाली का आधार। मौजूदा रिश्तेदार

उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता होनी चाहिए

संरक्षित है लेकिन भविष्य के लिए सूची विकसित करनी होगी।

उच्च न्यायालयों द्वारा उपयुक्त नियम और तरीके अपनाए जाएंगे।

और राज्यों द्वारा अनुमोदित, जहाँ भी 31-3-2003 द्वारा आवश्यक हो।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि 25 प्रतिशत

जिला न्यायाधीश के संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है

जी. एस. टी. एक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अधिवक्ता, दोनों लिखित [2020] 2 एस. सी. आर

और वाइवा वॉयस। यह निर्णय इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों जैसे रामेश्वर दयाल, चंद्र मोहन, सत्य नारायण के अनुरूप है।

सिंह और दीपक अग्रवाल (ऊपर)। इसके लिए जारी किया गया निर्देश

इस न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और ए. एन. आर. में सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले 25 प्रतिशत पद को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। वी. भारत संघ (II), (2010)

15 एससीसी 170।

26. रिलायंस को ओ. पी. गर्ग बनाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य, 1991 सप. (2) एस. सी. सी. 51, जिसमें सवाल वरिष्ठता के निर्धारण का था। यह

न्यायालय ने कहा है कि प्रवेश करने का समान अवसर होना चाहिए

27. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बनाम। पंजाब राज्य, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1728 [2017 की सिविल अपील Nos.5518-5523 ने 3.10.2018 पर निर्णय लिया] पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस की तीन धाराओं के बीच अंतर-वरिष्ठता विवाद के संबंध में जो प्रश्न उठा था, वह था योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 25 प्रतिशत और शेष 25 योग्य अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाने वाला प्रतिशत। तथ्य इंगित करते हैं कि अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (2002) के निर्णय को लागू किया गया था, और वरिष्ठता को निर्देश के अनुसार बनाए रखा जा रहा है।

28. यह अखिल भारतीय न्यायाधीशों के निर्णय से स्पष्ट है

एसोसिएशन ने कहा कि सेवाकालीन उम्मीदवारों की योग्यता को साबित करने के लिए, एक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा भी प्रदान की गई है, ताकि वे अपनी योग्यता के आधार पर जिला न्यायाधीशों का पद संभालने के लिए मार्च कर सकें। एक बार न्यायिक धारा में शामिल होने के बाद वे अपनी खोज में किसी भी अवसर से वंचित नहीं हैं, वे प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। यह उनके लिए खुला था कि वे अधीनस्थ सेवाओं में शामिल न हों।

वे जिला न्यायाधीश के पद के विरुद्ध उच्च न्यायिक सेवा में अधिवक्ता बने रहने का दावा कर सकते थे। हालांकि

एक बार जब वे सेवा में रहने का विकल्प चुन लेते हैं, यदि उनके पास न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले बार में सात साल का अनुभव होता है, तो वे विभिन्न धाराओं के द्विभाजन और भर्ती के लिए अलग कोटे को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत कोटे पर दावा करने के हकदार नहीं हैं। न केवल इन-सर्विस उम्मीदवारों को बल्कि धीरज मोर बनाम को भी अवसर प्रदान किए जाते हैं।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]

वह दो नावों में यात्रा नहीं कर सकता। जिले के पद पर कब्जा करने का उनका मौका न्यायाधीश या तो 50 प्रतिशत वरिष्ठता/योग्यता कोटे में, पदोन्नति द्वारा, या सीमित प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोटे में, दो-गुना माध्यम से होगा।

29. बार से भर्ती के पीछे भी एक उद्देश्य है।

वकालत करने वाले अधिवक्ताओं की भर्ती न केवल उच्च न्यायपालिका में बल्कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी की जाती है। उच्च न्यायालय में उच्च न्यायपालिका के सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए एक धारा (नियुक्ति की) है और एक अन्य धारा स्पष्ट रूप से बार के लिए निर्धारित है। बार के सदस्य भी अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हैं और विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं और विभिन्न न्यायालयों में उपस्थित होने का अनुभव रखते हैं। इस प्रकार, न केवल उच्च न्यायपालिका में, अधीनस्थ न्यायपालिका के सेवाकालीन उम्मीदवारों को अवसर दिया जाता है, जबकि अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले में 75 प्रतिशत को पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, और बार के सदस्यों को अवसर दिया जाता है, जबकि 25 प्रतिशत पद पर 7 साल का कार्यकाल होता है।

30. संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी और पिछले सात दशकों से देश में प्रशासित कानून से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भर्ती के उपरोक्त तरीके और दो अलग-अलग स्रोत, एक सेवा में और दूसरा बार से, मान्यता प्राप्त हैं। हम इस उद्देश्य का समर्थन करने वाला एक भी निर्णय नहीं पाते हैं

उम्मीदवार, जो न्यायिक सेवा में हैं, अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित पदों के खिलाफ अपना दावा पेश करें। रामेश्वर दयाल (उपरोक्त) से लेकर आज तक सभी मामलों में, एक द्विभाजन रहा है।

हम अनुच्छेद 14 और 16 के आधार पर भेदभाव को स्वीकार करने के लिए कोई जगह नहीं पाते हैं।

31. हम इस दलील से प्रभावित नहीं हैं कि जब इस न्यायालय ने अनुच्छेद 233 (2) में सेवा के अर्थ की व्याख्या न्यायिक सेवा के रूप में की है, तो न्यायिक अधिकारी अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित पदों के मुकाबले पात्र हैं। अनुच्छेद 233 (2) नकारात्मक "नहीं" से शुरू होता है, जो न्यायिक अधिकारियों के लिए आरक्षित पद के खिलाफ दावे को अमान्य करता है।

अधिवक्ताओं/प्लीडरों का अभ्यास करना। उन्हें नियमों के अनुसार उस पद पर पदोन्नत किया जा सकता है; इस न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में सेवा में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए योग्यता पदोन्नति को शामिल करके 75 प्रतिशत पद के बजाय एक व्यापक क्षितिज निर्धारित किया है। यह तर्क कि योग्यता प्रबल होनी चाहिए और उन्हें [2020] 2 एस. सी. आर. साबित करने के लिए नियमों के तहत उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

हमारी राय में उनकी योग्यता और उत्कृष्टता प्रबल नहीं हो सकती है। ऐसा न्यायिक अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करके योग्यता का दावा नहीं कर सकता है। दोनों वर्ग अलग-अलग हैं। सेवा में प्रचलित नियमों के संदर्भ में उम्मीदवारों के पास पात्रता की कमी है। वे यह तर्क नहीं दे सकते कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उनकी योग्यता की अनदेखी की जाती है। 32. लगातार, इस न्यायालय ने अपने पिछले निर्णयों में वही दृष्टिकोण अपनाया है जो अब हम लेते हैं। हम लेने का कोई कारण नहीं पाते हैं

अलग दृष्टिकोण, हालांकि यह आग्रह किया गया था कि पहले की गई गलतियों को जारी नहीं रखा जाना चाहिए। हम तर्क को सारहीन और गलतफहमी पर आधारित पाते हैं। हमने पाया है कि उपरोक्त निर्णय हैं - जीवंत और स्पष्ट, और एक पल के लिए इस तरह के समर्पण का मनोरंजन करने के लिए कोई जगह नहीं है। अन्यथा भी, जब स्वतंत्रता के बाद इस देश में कानून को विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए गए निर्णय और नियमों के सिद्धांत पर ऊपर उल्लिखित तरीके से प्रशासित किया गया है, तो हम खुद को सेवा में उम्मीदवारों की ओर से उठाए गए निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ पाते हैं। सत्य नारायण सिंह (ऊपर) में निर्णय,

दीपक अग्रवाल (ऊपर) और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले (ऊपर) को भी अनुच्छेद 233 के प्रावधानों के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। हम इसके विपरीत समर्पण को बिना किसी हिचकिचाहट के अस्वीकार करते हैं।

33. यह प्रस्तुत किया गया था कि पदोन्नति सीधी भर्ती का कोई विकल्प नहीं है, जबकि सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पद,

पदधारी पूरे भारत में आवेदन कर सकता है, जबकि एक सेवाकालीन उम्मीदवार को राज्य के भीतर पदोन्नत किया जा सकता है, और उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति के लिए विचार के क्षेत्र में आने के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं है। इस प्रकार, यह आग्रह किया गया कि प्रत्यक्ष भर्ती पदोन्नति से पूरी तरह से अलग है और 7 साल तक अभ्यास करने के बाद, उनके पास अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित पद के लिए अपना दावा करने की बुनियादी पात्रता है, और उनके पास न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अतिरिक्त अनुभव भी है। हम प्रस्तुतियों को स्वीकार करने के लिए कोई जगह नहीं पाते हैं। एक बार जब संविधान भर्ती के अलग-अलग स्रोतों की परिकल्पना करता है, तो अवसर से वंचित होने का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है। एक बार सेवा में शामिल होने के बाद, किसी को सेवा नियमों का पालन करना पड़ता है, और ऐसे पदाधिकारी के लिए व्यवहार में रहते हुए विभिन्न राज्यों में अभ्यास करने और दावा करने की छूट होती है। यह भर्ती के लिए दो अलग-अलग धाराओं का मामला है जो अनुमेय है, इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

34. पी. रामकृष्णम राजू बनाम। भारत संघ और ओआरएस। , (2014) 12 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने कहा है कि अनुभव और ज्ञान ने धीरज मोर v प्राप्त किया है।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]

बार में एक सफल वकील द्वारा न्यायिक अधिकारी द्वारा प्राप्त अनुभव की तुलना में किसी भी दृष्टिकोण से कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। यदि किसी न्यायिक अधिकारी की सेवा को पेंशन के निर्धारण के लिए गिना जाता है, तो इस बात का कोई वैध कारण नहीं है कि बार में अनुभव को उसी उद्देश्य के लिए समकक्ष क्यों नहीं माना जा सकता है। दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार और अन्य में। वी. ऑल इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन और ए. एन. आर. , (2009) 14 एस. सी. सी. 49, इस न्यायालय ने निर्देश दिया है कि एक अधिवक्ता के रूप में कुछ वर्षों को पेंशन के लिए न्यायिक सेवा में जोड़ा जाए।

इस प्रकार, हमारी राय में, एक अधिवक्ता के रूप में अनुभव भी महत्वपूर्ण है, और उन्हें अपने कोटे से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो केवल उच्च न्यायिक सेवा में 25 प्रतिशत पर रखा गया है।

35. यह प्रस्तुत किया गया था कि अंततः बार सदस्य की नियुक्ति भी अनुच्छेद 233 (1) के तहत की जाती है। असम और अन्न राज्य में। वी. कुसेश्वर सैकिया और ओआरएस। , ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1616 में, इस न्यायालय ने कहा कि नियुक्ति और पदोन्नति दोनों अनुच्छेद 233 (1) में शामिल हैं। निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

" 5. उच्च न्यायालय द्वारा लेख का पढ़ना, सम्मान के साथ, लेख के व्याकरण और विराम चिह्न के विपरीत है। विद्वान मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि अभिव्यक्ति "पदोन्नति" "जिला न्यायाधीशों को नियंत्रित करती है" जो अल्पविराम को नजरअंदाज करती है जो निम्नलिखित है "का" शब्द। लेख, यदि उपयुक्त रूप से विस्तारित किया गया है, तो निम्नानुसार है:

" जिला न्यायाधीशों आदि के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति और उनकी नियुक्ति और पदोन्नति।

इसका मतलब है कि जिला न्यायाधीशों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल के परामर्श से होती है

उच्च न्यायालय के साथ और "जिला न्यायाधीश" अभिव्यक्ति में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शामिल हैं। यह याद रखना चाहिए कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति सीधे की जा सकती है या
न्यायपालिका के अधीनस्थ पदों से पदोन्नत किया जा सकता है। लेख का उद्देश्य दोनों का ध्यान रखना है। यह किसी भी जिले में व्यक्तियों की प्रारंभिक नियुक्ति और प्रारंभिक पदोन्नति से संबंधित है।

न्यायाधीश या इसमें शामिल कोई भी श्रेणी। ..... '

निर्णय का कोई लाभ नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में सवाल यह है कि

अलग-अलग। हालाँकि नियुक्ति अनुच्छेद 233 (1) के तहत की जाती है, लेकिन न्यायिक अधिकारियों के लिए स्रोत और माध्यम पदोन्नति है, और बार के सदस्यों के लिए सीधी भर्ती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

36. अखिल भारतीय न्यायिक पर विधि आयोग की 116 वीं रिपोर्ट

नवंबर 1986 में प्रकाशित सेवाओं को संदर्भित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अधीनस्थ पदों की पदोन्नति की संभावनाएं सीधे भर्ती की सीमा तक आनुपातिक रूप से कम हो जाएंगी। द.

विधि आयोग अनुच्छेद 233 के प्रावधानों पर विचार नहीं कर रहा था लेकिन

उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थीं, और अब तक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का कोई गठन नहीं हुआ है कि जब इसका गठन किया जाएगा तो क्या प्रावधान होंगे, जब उन्हें तैयार किया जाएगा तो उन पर विचार करना होगा। इस प्रकार, विधि आयोग द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की स्थिति में क्या हो सकता है।

37. शेट्टी आयोग की कुछ सिफारिशों को भेजा गया है, लेकिन अखिल भारतीय न्यायाधीशों में उनके विचार के बाद '

एसोसिएशन के मामले में, जिला न्यायाधीश के पद के लिए सीधी भर्ती के लिए सेवा में उम्मीदवारों के लिए पात्रता प्रदान करने के लिए संविधान के प्रावधानों पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मौजूदा प्रावधान प्रतिबंधात्मक नहीं हैं, लेकिन न्यायिक प्रणाली को सुधारने और मजबूत करने के लिए और अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप व्यापक विकल्प प्रदान करते हैं।

38. अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम में निर्णय का संदर्भ दिया गया है। भारत संघ और ओआरएस। , (1992) 1 एस. सी. सी. 119, जिसमें निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं:

" 9. हम सबसे पहले अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के लिए याचिका पर विचार करेंगे। भारत का विधि आयोग अपने चौदहवें में

वर्ष 1958 की रिपोर्ट में कहा गया है:

चयन का क्षेत्र ताकि हम इससे वास्तव में सक्षम व्यक्तियों को आकर्षित कर सकें। हमारे लिए एक क्रांतिकारी उपाय सुझाया गया था कि न्यायिक सेवा की भर्ती पूरी तरह से एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा या परीक्षा द्वारा की जाए। यह सुझाव दिया गया था कि उच्च न्यायपालिका से लिया जा सकता है अखिल भारतीय स्तर और निचली न्यायपालिका में ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती राज्य स्तर पर आयोजित इसी तरह की परीक्षाओं द्वारा की जा सकती है। इन परीक्षाओं के लिए पात्र वे स्नातक होंगे जिन्होंने कानून की डिग्री ली है और बार में अभ्यास करने की आवश्यकता है।

इसे दूर किया जाना चाहिए। यह आग्रह किया गया था कि इस तरह की योजना के परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायपालिका में सक्षम युवाओं को लाया जाएगा जो अब धीरज मोर बनाम।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]

सरकारी कार्यकारी शाखा और निजी वाणिज्यिक फर्मों में तत्काल लाभकारी रोजगार प्राप्त करना पसंद करते हैं। यह बताया गया था कि यह योजना उच्च स्तर पर लाएगी।

अधीनस्थ न्यायपालिका समग्र रूप से देश में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा है, जबकि निचली अधीनस्थ न्यायपालिका राज्य में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा से ली जाएगी।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए एक और सिफारिश की गई थी। सुझाव दिया गया था कि निचले स्तर पर शामिल करने के लिए बार में अभ्यास को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जो भी हो सकता है। 3 साल की अभ्यास अवधि के निर्देश में बदलाव किया गया है। समय-समय पर, लेकिन तथ्य यह है कि जब बार से जिला न्यायाधीश के पद पर योग्यता और भर्ती की बात आती है, तो प्रैक्टिस करते हुए

बार के अधिवक्ताओं को उनके लिए निर्धारित कोटा के विपरीत सीधी भर्ती के माध्यम से शामिल किया जा सकता है। इस मामले में शामिल सवाल यह नहीं है कि अधीनस्थ न्यायपालिका में शामिल होने के लिए अभ्यास आवश्यक है या नहीं।

न्यायपालिका में नियुक्तियों के उद्देश्य से न्यायालयों की तुलना में। इस न्यायालय ने कहा कि कानूनी सहायकों को अनुभव और अनुभव नहीं मिलता है, जो न्यायिक पदों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। की गई टिप्पणियों को नीचे निकाला गया है:

" 1. अदालतों के अलावा विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले कानूनी सहायकों को अनुमति देने का प्रश्न

नियुक्तियों को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उन्हें बार में अनुभव के रूप में माना जाना चाहिए। विभिन्न संस्थानों और निकायों में काम करने वाले कानूनी सहायकों को नहीं मिलता है अनुभव और एक्सपोजर जो न्यायिक पदों को संभालने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है, और कुछ उपस्थिति के आधार पर दिशानिर्देश निर्धारित करना संभव नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह केवल उपस्थिति नहीं है, बल्कि वास्तविक अंतरंग ज्ञान और स्वयं प्रणाली के साथ जुड़ाव है। इसलिए हम आवेदनों को खारिज करते हैं।

40. ए. पांडुरंगम राव बनाम में निर्णय। आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। , ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1922 का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में सवाल उठाया गया है। बार से भर्ती। अदालत ने माना कि प्रत्यक्ष [2020] 2 एस. सी. आर. के लिए एक उम्मीदवार।

बार से भर्ती उच्च न्यायालय की सिफारिश के बिना किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होती है। अदालत। नियुक्ति के मामले में अंतिम अधिकार सरकार का होता है।

उपरोक्त प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है, निर्णय यह भी इंगित करता है कि सीधी भर्ती बार से होती है। जाहिर है, नियुक्ति सरकार द्वारा की जानी है। समर्थन करने के बजाय निर्णय सेवाकालीन उम्मीदवारों की ओर से समर्थन किए गए उद्देश्य को पराजित करता है।

41. चंद्र मोहन बनाम में निर्णय। यू. पी. और अन्य राज्य। (II), ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1482 का भी उल्लेख किया गया है जिसमें केवल वरिष्ठता का सवाल उठाया गया है। इस न्यायालय ने ध्यान दिया है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम (1953) के नियम 8,13,14,15,17 और 19 को अनुच्छेद 233 का उल्लंघन करने के रूप में असंवैधानिक माना गया था। नियम 20 के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करने का सवाल उठा। निर्णय नहीं है अनुच्छेद 233 की व्याख्या के प्रश्न पर एक प्राधिकरण, बल्कि चंद्र मोहन-I (ऊपर) का परिणाम था।

42. यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास और 10 साल के लिए एक न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में जोड़े गए स्पष्टीकरण के अनुसार समान माना जाना चाहिए। रामेश्वर दयाल (ऊपर) में, इस प्रश्न पर विचार किया गया है, और इस न्यायालय ने निर्णय दिया है

कि अनुच्छेद 124 और 217 में जोड़े गए स्पष्टीकरणों को देखते हुए अनुच्छेद 233 (2) की व्याख्या नहीं की जा सकी। सत्य नारायण सिंह (ऊपर) में उपरोक्त निर्णय पर विचार किया गया है और निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

" 3. ..... फिर से हरबंस सिंह और साहनी के मामलों से निपटना

यह देखा गया:

" हम मानते हैं कि भले ही हम इस आधार पर आगे बढ़ें कि इन दोनों व्यक्तियों को बार से भर्ती किया गया था और उनकी नियुक्ति का खंड (2) की आवश्यकताओं द्वारा परीक्षण किया जाना है, हमें अवश्य करना चाहिए।

मान लीजिए कि उन्होंने उन आवश्यकताओं को पूरा किया।

स्पष्ट रूप से, न्यायालय यह विचार व्यक्त कर रहा था कि न्यायिक सेवा से अलग, बार से भर्ती के मामले में ही खंड (2) की आवश्यकताओं को पूरा करना था। हम कर सकते हैं

यहाँ यह भी जोड़ें कि पहले न्यायालय ने भी विचार व्यक्त किया था:

..... हमें नहीं लगता कि अनुच्छेद 233 के खंड (2) की व्याख्या अनुच्छेद 124 में जोड़े गए स्पष्टीकरणों के आलोक में की जा सकती है।

और 217 "। धीरज मोर बनाम। दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]

रिलायंस ने प्रो. चंद्र प्रकाश अग्रवाल बनाम।

चतुर्भुज दास पारिख और अन्य। , (1970) 1 अनुच्छेद 217 की व्याख्या से संबंधित एस. सी. सी. 182 का कोई लाभ नहीं है।

43. यह तर्क बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में उठाया गया है। न्यायिक मामलों पर सलाहकार समिति के निष्कर्ष 2010 में यू. के. में विविधता को निम्नानुसार संदर्भित किया गया हैः

" 22. समान अवसर। सभी उचित रूप से योग्य लोगों को आवेदन करने और न्यायिक पद के लिए चुने जाने का समान अवसर होना चाहिए। न्यायिक पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से।

23. मानव समानता की अवधारणा में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि प्रतिभा यादृच्छिक रूप से और समाज में व्यापक रूप से वितरित की जाती है, और विशेष नस्लीय या अन्य समूहों में केंद्रित नहीं होती है। इसलिए यह इस प्रकार है कि जितना अधिक व्यापक रूप से कोई प्रतिभा की खोज करता है, उतना ही अधिक

संभवतः सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों की पहचान की जाएगी। " आपको असामान्य प्रतिभा की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि असामान्य स्थानों पर प्रतिभा की तलाश करनी चाहिए।

प्रतिभा या तो लोगों की आवेदन करने की इच्छा या चयन प्रक्रिया, या दोनों को प्रभावित कर सकती है। हम पाते हैं कि समान अवसर का कोई उल्लंघन नहीं होता है। वहाँ एक है

न्यायिक सेवा के साथ-साथ बार से सीधी भर्ती में शामिल होने के लिए प्रतिभा की व्यापक खोज, और सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों की पहचान और भर्ती की जाती है। असामान्य स्थानों के व्यक्तियों को भी अपनी पसंद के अनुसरण में अपना दावा करने का अवसर दिया जाता है। बिहार राज्य और अन्य में। वी. बाल मुकुंद साह और ओआरएस। , (2000) 4 एस. सी. सी. 640, इस न्यायालय ने कहा है कि संविधान के तहत उच्च न्यायालय पर भारी कर्तव्य डाला जाता है। योजना। अधीनस्थ न्यायपालिका के संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रतिभा का चयन करने की आवश्यकता के साथ इस मामले में इसे एक प्रमुख और सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किसी भी सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 2 पर भी भरोसा किया गया है, जो इस प्रकार प्रदान करता हैः

" हर किसी को इस घोषणा में निर्धारित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का अधिकार है, बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव के, जैसे कि नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक

उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति।

हमारे संविधान का उद्देश्य भी एक ही है और किसी भी मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। प्रस्तुतिकरण दूरगामी है। सेवा न्यायशास्त्र में, हमेशा विभिन्न स्रोत प्रदान करने की अनुमति है

योग्यता के साथ भर्ती और कोटा। समान अवसर दिया जाता है, और वरिष्ठता और क्षमता पदोन्नति के लिए मानदंड हैं, और योग्यता पदोन्नति में, वरिष्ठता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

45. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि

जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित कोटे के विपरीत, पदधारी को अधिवक्ता होना चाहिए और कट-ऑफ तिथि पर व्यवहार में होना चाहिए और नियुक्ति के समय वह न्यायिक सेवा या संघ या राज्य की अन्य सेवाओं में नहीं होना चाहिए। अधिवक्ता के रूप में 7 वर्षों के अभ्यास के अनुभव के गठन के लिए, न्यायिक सेवा में प्राप्त अनुभव की बराबरी/संयुक्त नहीं की जा सकती है और अधिवक्ता/वकील को 7 वर्षों के लिए तत्काल अतीत में व्यवहार में होना चाहिए और नियमों के तहत निर्धारित कट-ऑफ तिथि पर आवेदन करते समय व्यवहार में होना चाहिए और नियुक्ति की तारीख पर एक अधिवक्ता के रूप में व्यवहार में होना चाहिए। इसका उद्देश्य कम से कम 7 साल का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता की बार से भर्ती करना है।

46. अनुच्छेद 233 की उपरोक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि नियम न्यायिक अधिकारियों को उनके खिलाफ अपना दावा करने से रोकते हैं। बार से सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पद अधिकार से बाहर नहीं हैं क्योंकि नियम संविधान के प्रावधानों के अधीन हैं।

47. हम संदर्भ का उत्तर इस प्रकार देते हैंः

(i) राज्य की न्यायिक सेवा में सदस्यों को पदोन्नति या सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

((ii) किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्ति, पदोन्नति, नियुक्ति और स्थानांतरण के उद्देश्य से प्राधिकरण है, पात्रता अनुच्छेद 234 और 235 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती है।

(iii) अनुच्छेद 232 (2) के तहत, 7 साल की वकालत करने वाले अधिवक्ता या वकील को सीधी भर्ती के माध्यम से जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यदि वह पहले से ही संघ या किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नहीं है।

(iv) अनुच्छेद 233 (2) के प्रयोजन के लिए, एक अधिवक्ता को होना चाहिए

कट-ऑफ तिथि पर और जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के समय कम से कम 7 वर्षों तक व्यवहार में बने रहना। न्यायिक सेवा के सदस्य जिनके पास सेवा में शामिल होने से पहले 7 साल का अभ्यास का अनुभव है या वकील और न्यायपालिका के सदस्य के रूप में 7 साल का संयुक्त अनुभव है, वे जिले के रूप में सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

न्यायाधीश।

(v) उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम न्यायिक सेवा अधिकारियों को पदों के खिलाफ जिला न्यायाधीश के पद पर दावा करने से रोकते हैं।

प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित, अधिकार से परे नहीं कहा जा सकता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 233 के अनुरूप हैं।

(vi) विजय कुमार मिश्रा (ऊपर) में निर्णय प्रदान करता है

कुछ राज्यों में नियुक्तियाँ की गई थीं और कुछ राज्यों में उच्च न्यायालय द्वारा परिणामों को उन जटिलताओं के कारण रोक दिया गया है जो अयोग्य सेवा उम्मीदवारों की भागीदारी के कारण उत्पन्न हुई हैं जबकि अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित पद है। ऐसे मामलों में जहां ऐसे सेवाकालीन अधिकारियों की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से की गई है। बार से भर्ती क्योंकि हम याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और न्यायिक अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने के कारण, पात्रता के बिना चयन के आधार पर कोई फल नहीं पकाया जा सकता है, वे जिला न्यायाधीशों के रूप में जारी नहीं रह सकते हैं। उन्हें उनके मूल पद पर वापस भेजना होगा। यदि पदोन्नति के लिए चैनल में उनका अधिकार पहले ही परिपक्व हो चुका है, और उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया है, तो उच्च न्यायालय को प्रचलित नियमों के अनुसार उनकी पदोन्नति पर विचार करना होगा। हालाँकि, वे अंतरिम आदेश के तहत प्राप्त ऐसी नियुक्ति के आधार पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, जो रिट याचिका के परिणाम के अधीन था और उन्हें वापस करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

49. तदनुसार, दीवानी अपीलों, रिट याचिकाओं, स्थानांतरण याचिकाओं और अवमानना याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. मैंने अरुण मिश्रा, जे. द्वारा प्रस्तावित मसौदा निर्णय को पढ़ा है। मैं उनके विश्लेषण से सहमत हूं; हालाँकि, मैंने अतिरिक्त दिया है। तर्क के साथ-साथ शामिल मुद्दे के संबंध में भी। इसलिए, मैं अपनी अलग राय के साथ पूरक कर रहा हूं।

2. यह निर्णय वर्तमान तीन न्यायाधीशों की पीठ को दिए गए संदर्भ का जवाब देता है। रेफरल ऑर्डर 1 ने कई पिछले निर्णयों पर ध्यान दिया

इस न्यायालय में (रामेश्वर दयाल बनाम। पंजाब राज्य और अन्य। 1961 (2) एस. सी. आर. 874; चंद्र मोहन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (1967) 1 एस. सी. आर. 77; सत्य नारायण सिंह बनाम उच्च न्यायालय 1985 (2) एस. सी. आर. 112; दीपक अग्रवाल बनाम केशव कौशिक 2013 (5) एस. सी. सी. 277 और महसूस किया कि एक निर्णय में टिप्पणियाँ, विजय कुमार मिश्रा और ए. एन. आर. बनाम। पटना और अन्य में उच्च न्यायालय

(2016) 9 एस. सी. सी. 313 ने चयन के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी राज्य के न्यायिक अधिकारियों की पात्रता के मुद्दे पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पैदा कर दी और सात साल के अभ्यास के साथ अधिवक्ताओं द्वारा भरे जाने के लिए निर्धारित कोटे में नियुक्ति।

3. इन याचिकाओं में विवाद यह है कि क्या अधिकारी

राज्यों की न्यायिक सेवाएं (जिला न्यायाधीशों से नीचे के पद धारण करने वाले) जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती के लिए बार के सदस्यों (सात या अधिक वर्षों के अभ्यास के साथ) के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

4. सभी याचिकाकर्ता विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवाओं (और एक समूह, गैर-न्यायिक सेवा) में पदों पर हैं। मोटे तौर पर, वे तीन में आते हैं

श्रेणियाँः जिनका न्यायिक सेवा में बिना किसी के या बार में सात साल से कम के अनुभव के साथ चयन किया गया है; जिनके पास न्यायिक सेवा में नियुक्ति से पहले बार में सात साल का अनुभव था; और जिनके पास बार में सात साल या उससे अधिक का अनुभव है, लेकिन वे गैर-न्यायिक पदों पर काम कर रहे हैं। जिन लोगों की नियुक्ति से पहले सात साल का अनुभव है, जो ऊपर उल्लिखित दूसरी और तीसरी श्रेणी में आते हैं, उनका तर्क है कि संविधान उन्हें 25 प्रतिशत अधिवक्ताओं में जिला न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने से नहीं रोकता है।

1 एसएलपी (सी) 14156/2015 में दिनांकित 23-01-2018 आदेश, धीरज मोरे बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय धीरज मॉर बनाम।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

उस उद्देश्य के लिए निर्धारित कोटा। याचिकाकर्ताओं का यह समूह रामेश्वर दयाल (उपरोक्त) के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा करता है, विशेष रूप से इस न्यायालय के फैसले (वैकल्पिक तर्क के जवाब में कि दो उम्मीदवार अयोग्य थे, क्योंकि वे सरकार में सेवारत थे), और महेश चंद्र गुप्ता बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (2009) 8 एससीसी 273। भरोसा चंद्र मोहन (ऊपर) पर भी रखा गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चंद्र मोहन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों के लिए [अनुच्छेद 233 (1) के तहत] अयोग्यता, राज्य के रोजगार में उन लोगों को स्पष्ट रूप से बाहर करती है जो कार्यकारी पदों पर हैं और विशुद्ध रूप से कार्यकारी कार्य का निर्वहन करते हैं, लेकिन न्यायिक सेवा में उन लोगों को नहीं रोकता है। यह इंगित किया गया था कि चंद्र मोहन (उपरोक्त) में माना गया नियम-स्पष्ट रूप से न्यायिक अधिकारियों (अधिवक्ताओं के साथ) को भर्ती प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बार में सात साल के अनुभव के साथ हकदार है।

5. दूसरी श्रेणी में याचिकाकर्ताओं के लिए वकील (यानी वे)

बार में सात साल से कम का अनुभव रखने वाले और जो न्यायिक अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं) का कहना है कि न तो अनुच्छेद 233 (1) और न ही अनुच्छेद 233 (2) ऐसे उम्मीदवारों की भागीदारी को रोकता है (जब तक कि उनके पास बार और न्यायिक में सात साल का समग्र संयुक्त अनुभव हो।

सेवा) जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में नियुक्ति के लिए बार के सदस्यों के साथ भर्ती प्रक्रिया में।

6. कुछ याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अनुच्छेद 233 (1) और 233 (2) दो अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। तर्क के अनुसार, अनुच्छेद 233 (1) राज्यपाल को नियुक्तियां करने की शक्ति प्रदान करता है।

राज्य के उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के लिए। यह आग्रह किया जाता है कि यह शक्ति का एक स्वतंत्र स्रोत है; इस प्रावधान का उपयोग करते हुए, राज्यपाल न्यायिक सेवा में व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 233 (2) के तहत शक्ति के संदर्भ में एक अन्य तर्क यह है कि बार में सात साल का अनुभव केवल उन लोगों पर लागू होता है जो बार में प्रैक्टिस करते हैं। यह उन लोगों पर लागू नहीं हो सकता जो पहले से ही राज्य की न्यायिक सेवा में हैं। रामेश्वर दयाल (ऊपर) में निर्णय पर भरोसा किया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने

यह भी आग्रह करें कि चंद्र मोहन (उपरोक्त) ने निर्णय लिया कि यह केवल किसी भी राज्य की न्यायिक सेवाओं के सदस्य हैं, जिनके लिए विचार किया जा सकता है।

जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति [अनुच्छेद 233 (2) के अनुसार बार में सात साल की प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के अलावा] और राज्यों या संघ की कार्यकारी शाखा के सदस्य नहीं। इस बात पर जोर दिया जाता है कि

वास्तव में, जिस नियम पर इस अदालत को विचार करना था, उसने न्यायिक अधिकारियों को चयन और नियुक्ति के लिए बार के सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी।

जिला न्यायाधीश के पद पर।

7. इसके अलावा, यह तर्क दिया गया था कि वह प्रावधान जिसके द्वारा बार के सदस्यों के लिए निर्धारित कोटा विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा करेगा

जिनके लिए न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को आवेदन करने से प्रतिबंधित किया गया है, भेदभावपूर्ण है। विद्वान वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह का प्रतिबंध (न्यायिक सेवाओं में सदस्यों को आवेदन करने से रोकना) और

बार के सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मनमाना है, क्योंकि इस तरह के वर्गीकरण का कोई आधार नहीं है। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया था कि संविधान निर्माताओं ने परिकल्पना की थी कि केवल प्रतिभाशाली लोगों को ही जिला न्यायाधीशों के रूप में भर्ती और नियुक्त किया जा सकता है; यदि यह सही उद्देश्य था, तो न्यायिक सेवा में उन लोगों पर लगाया गया प्रतिबंध उस उद्देश्य को कम करता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि एक न्यायाधीश के रूप में प्राप्त अनुभव, यदि अधिक नहीं तो, जिला न्यायाधीशों के रूप में कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन में प्रासंगिक; दूसरी ओर, बार में सात साल के नामांकन और अनुभव वाले अधिवक्ताओं को कोई अनुभव नहीं है। वकील ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 233 में उपयोग किए गए वाक्यांश यानी कम से कम सात साल की स्थिति का अधिवक्ता होने के नाते, संघ या राज्यों के तहत सेवाओं के सदस्यों या पदों के धारकों को जिला न्यायाधीश के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने पर रोक के साथ विचार किया जाना चाहिए। संविधान ने केवल इस बात को रेखांकित किया कि उस पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले वकील के पास सात साल से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए; हालाँकि, न्यायिक सेवा के सदस्यों के लिए, न तो कोई प्रतिबंध (या प्रतिबंध) व्यक्त किया गया है और न ही एक निहित प्रतिबंध को समझा जा सकता है। इसलिए, किसी भी न्यायिक सेवा के सदस्यों पर कोटा में वकीलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उस उद्देश्य के लिए निर्धारित, असंवैधानिक और अमान्य है। यह प्रस्तुत किया गया था कि सत्य नारायण सिंह (ऊपर) में निर्णय, इस प्रभाव के लिए कि संविधान ने दो स्रोतों के बीच स्पष्ट अंतर किया

भर्ती और द्विभाजन बनाए रखा जाता है, और यह कि दोनों धाराएँ अलग-अलग हैं जब तक कि वे नियुक्ति द्वारा एक साथ नहीं आते हैं, गलत है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि दीपक अग्रवाल (ऊपर) में इस अदालत का निर्णय इस प्रभाव के लिए है कि अनुच्छेद 233 (2) अनिवार्य है। कि आवेदन करते समय (नियुक्ति के लिए) एक आवेदक को बार के सदस्य के रूप में व्यवहार में होना चाहिए, गलत निर्णय लिया गया था। दीपक अग्रवाल (ऊपर) निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित हैं:

" यह 'किया गया है' के उपयोग से स्पष्ट है। वर्तमान पूर्ण निरंतर काल का उपयोग उस स्थिति के लिए किया जाता है जो कुछ समय पर शुरू होती है।

अतीत में समय और अभी भी जारी है। इसलिए, अनुच्छेद 233 (2) में उपरोक्त अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त आवश्यक आवश्यकताओं में से एक यह है कि ऐसे व्यक्ति को आवेदन की तारीख को आवश्यक अवधि के साथ अधिवक्ता के रूप में बने रहना चाहिए। धीरज मोर बनाम।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

8. यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुचित रूप से संकीर्ण होने के अलावा, अनुच्छेद 233 (2) की शाब्दिक व्याख्या इस व्यापक उद्देश्य को विफल करती है कि -

संविधान निर्माताओं के दिमाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के समय सर्वश्रेष्ठ दिमाग और प्रतिभा वाले लोगों को लाने का उनका इरादा था, चाहे वे बार के सदस्य हों या न्यायिक पद के धारक हों।

9. दोनों राज्यों और उच्च न्यायालयों ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि न तो रामेश्वर दयाल ने

(ऊपर) और न ही चंद्र मोहन (ऊपर), (दोनों संविधान पीठ के निर्णय) ने अभिनिर्धारित किया कि किसी भी न्यायिक सेवा के सदस्यों को संविधान के तहत जिला न्यायाधीशों के पद पर चयन के लिए आवेदन करने का अधिकार है, इस आधार पर कि वे किसी पूर्व बिंदु पर अधिवक्ता थे। यह इंगित किया गया था कि अनुच्छेद 233 (1) केवल यह इंगित करता है कि जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जानी है। उच्च न्यायालय की सिफारिश; पदोन्नति, नियुक्ति आदि के मामले में भी ऐसा ही है। यह प्रावधान केवल यह इंगित करता है कि नियुक्ति कौन कर रहा है।

चंद्र मोहन (ऊपर), यह प्रस्तुत किया गया था, निर्णायक रूप से अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय की सिफारिश बाध्यकारी है; इसने यह भी स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि राज्य की सेवाओं में चुने गए और प्रशासनिक या कार्यकारी विभागों या सेवाओं में नियुक्त लोगों को जिला न्यायाधीश के पद पर विचार करने से रोक दिया गया था। 10. यह प्रस्तुत किया गया कि पिछले कई दशकों से राज्यों में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की दो स्पष्ट धाराओं का वर्णन किया गया हैः एक, प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा (कम से कम सात वर्ष के अनुभव वाले बार के सदस्यों से) और दो, न्यायिक सेवा के सदस्यों में से, पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हुए। बाद की श्रेणी पर विचार किया जाता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया जाता है, जिसे अनुच्छेद 309 के प्रावधान के साथ पढ़ा जाता है।

इस निर्णय के प्रयोजनों के लिए संविधान के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैंः

" अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

(1) किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति और उनकी नियुक्ति और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।

(2) एक व्यक्ति जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, केवल तभी जिला न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा यदि वह कम से कम सात वर्ष तक जिला न्यायाधीश के रूप में रहा हो।

अधिवक्ता या एक वकील और उच्च द्वारा अनुशंसित है

नियुक्ति के लिए न्यायालय।

अनुच्छेद 233 ए कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों की वैधता

किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद,

(क) (i) पहले से ही किसी राज्य की न्यायिक सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो कम से कम सात साल से अधिवक्ता या वकील है, जिला के रूप में नियुक्ति नहीं।

उस राज्य में न्यायाधीश, और

((ख) संविधान (बीसवीं संशोधन) अधिनियम, 1966 के प्रारंभ से पहले किसी भी समय जिला न्यायाधीश के रूप में किए गए किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति, पदोन्नति या स्थानांतरण, अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 235 के प्रावधानों के अनुसार के अलावा, केवल इस तथ्य के कारण अवैध या शून्य या कभी अवैध या शून्य नहीं समझा जाएगा कि ऐसी नियुक्ति, नियुक्ति, पदोन्नति या स्थानांतरण केवल इस कारण से नहीं किया गया था कि

उक्त प्रावधानों के अनुसार;

(ख) संविधान (बीसवीं संशोधन) अधिनियम, 1966 के प्रारंभ से पहले किसी व्यक्ति द्वारा या उससे पहले कोई अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया गया, कोई निर्णय, डिक्री, सजा या आदेश पारित या बनाया नहीं गया, और कोई अन्य कार्य या कार्यवाही नहीं की गई या नहीं की गई। अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 235 के प्रावधानों के अनुसार के अलावा किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त, तैनात, पदोन्नत या स्थानांतरित किए जाने को अवैध या अमान्य माना जाएगा या कभी भी कारण से अवैध या अमान्य हो गया होगा।

केवल इस तथ्य का कि ऐसी नियुक्ति, नियुक्ति, पदोन्नति या स्थानांतरण उक्त प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था।

अनुच्छेद 234-जिला न्यायाधीशों ई न्यायिक सेवा के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती

जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति

किसी राज्य की न्यायिक सेवा राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग धीरज एम. ओ. आर. v. के परामर्श के बाद उस ओर से बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के साथ।

अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण

उच्च न्यायालय में निहित है, लेकिन इस अनुच्छेद की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से अपील करने का कोई अधिकार छीन ले जो उसे विनियमित करने वाली कानून के तहत हो सकता है।
उसकी सेवा की शर्तें या उच्च न्यायालय को ऐसे कानून के तहत निर्धारित उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार उसके साथ व्यवहार करने के लिए अधिकृत करने के रूप में।

अनुच्छेद 236 (व्याख्या)

इस अध्याय में (
क) "जिला न्यायाधीश" पद में शहर के दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु कारण न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और

सहायक सत्र न्यायाधीश;

(ख) "न्यायिक सेवा" पद का अर्थ है एक ऐसी सेवा जिसमें विशेष रूप से जिला न्यायाधीश के पद और जिले के पद से हीन अन्य सिविल न्यायिक पदों को भरने का इरादा रखने वाले व्यक्ति शामिल हों।

न्यायाधीश।

11. सबसे पहले यह याद रखना आवश्यक होगा कि उच्च की शक्ति

राज्यपाल को नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए अदालतों को अब निर्णायक माना जाता है; असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सिफारिश लगभग हमेशा बाध्यकारी होती है। यह न्यायालय, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। नृपेन्द्र नाथ बागची (1966 (1) एस. सी. आर. 771) और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय आदि। हरियाणा राज्य 1975 (3)

एस. सी. आर. 365 ने फैसला सुनाया था कि अनुच्छेद 235 का जिला न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालयों में नियंत्रण निहित है। राज्यपाल (संबंधित राज्य का) न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी और निष्कासन करता है। उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण शक्ति के अधीन पूर्ण नियंत्रण है।

बर्खास्तगी, निष्कासन सहित नियुक्ति के मामले में राज्यपाल का, [2020] 2 एस. सी. आर.

पद और प्रारंभिक नियुक्ति और आई. सी. टी. न्यायाधीशों को प्रारंभिक पदोन्नति। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 235 में कुछ भी जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायाधीशों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्रतिबंधित नहीं करता है। इस स्थिति का समर्थन चार न्यायाधीशों की पीठ ने किया था।

हरियाणा राज्य बनाम। इंदर प्रकाश आनंद एच. सी. एस. और अन्य।

(2) एससीआर 977।

12. असम राज्य और अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में। बनाम। एस. एन. ओरस 1972 (2) एस. सी. आर. 251, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने व्याख्या करते हुए उच्च न्यायालयों की शक्तियों की विशिष्ट प्रकृति को रेखांकित किया।भारत के संविधान का 233-235:

" 13. संविधान के प्रावधानों के तहत ही शक्ति

निम्नतम पदों पर आसीन व्यक्तियों की पदोन्नति

जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय में हैं। यह तर्क के लिए खड़ा है कि इस तरह के पदोन्नति की पुष्टि करने की शक्ति भी उच्च में होनी चाहिए

अदालत। 14. इस न्यायालय ने कई मौकों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं

संविधान के अनुच्छेद 235 पर। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। नृपेंद्र नाथ बागची (1968) I LLJ 270 (SC), यह था

इंगित कियाः

" जिले के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के मामले में

न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जानी है

परामर्श के बाद बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार

राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के साथ लेकिन नियुक्ति, पदोन्नति और छुट्टी देने की शक्ति और

अदालतों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है।

15. एक साल बाद, असम राज्य बनाम। रतीगा मोहम्मद और

ओआरएस। (1968) आई. एल. एल. जे. 282 एस. सी. के खिलाफ इस न्यायालय ने इस रूप में टिप्पणी की

निम्नलिखित हैः

" उच्च न्यायालय न्यायालयों के दिन-प्रतिदिन के नियंत्रण में है और

व्यक्तियों के काम करने की क्षमता को जानते हैं और

किसी विशेष स्टेशन या न्यायालय की आवश्यकताएँ। द हाई

तबादले के लिए मंत्री की तुलना में अदालत बेहतर है। क्योंकि वह चाहे कितना भी सार्थक और मंत्री क्यों न हो, उसके काम करने का उतना ही अंतरंग ज्ञान कभी नहीं हो सकता।

समग्र रूप से न्यायपालिका और व्यक्तिगत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के रूप में। उसे अपने विभाग पर निर्भर रहना चाहिए। जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश और उनके सहयोगी धीरज मोर बनाम को जानते हैं।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

ये मामले हैं और उनसे व्यक्तिगत रूप से निपटें। कम है।

सचिवों द्वारा प्रभावित होने की संभावना जो हो सकता है

यदि वे रुचि रखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को रोकें स्वयं। यह भी सर्वविदित है कि सभी स्टेशन जलवायु और शिक्षा, चिकित्सा और अन्य मामलों में समान नहीं हैं।

सुविधाएं। कुछ अच्छे स्टेशन हैं और कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। इच्छुक व्यक्ति के लिए सफलता की संभावना कम होती है।

स्वयं के लिए लाभ यदि मुख्य न्यायाधीश और उनके

सहकर्मी, व्यक्तिगत जानकारी के साथ, मामले से निपटते हैं, जब एक मंत्री नोट्स और जानकारी पर निपटता है

एक सचिव द्वारा प्रदान किया गया।

16. यह अवलोकन स्थानांतरण के एक मामले के संबंध में किया गया था,

लेकिन यह पदोन्नति के मामले में अधिक बल के साथ लागू होता है। परिणाम यह है कि हमारा मानना है कि जिला न्यायाधीश से कम पदों पर आसीन व्यक्तियों की पदोन्नति की शक्ति

उच्च न्यायालय, इस तरह की पदोन्नति की पुष्टि करने की शक्ति भी है

उच्च न्यायालय। "

13. रामेश्वर दयाल (उपरोक्त) में निर्णय उन उम्मीदवारों की पात्रता को चुनौती देने के संदर्भ में था जिन्हें जिला न्यायाधीशों के रूप में चुना गया था और नामित किया गया था। मुख्य तर्क-या चुनौती का आधार कि पदधारियों/नियुक्तियों के पास सात साल का अभ्यास नहीं था

ओ बारः जिसे इस अदालत ने खारिज कर दिया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विभाजन से पूर्व भारत में लगभग दो दशकों तक फैले संबंधित नियुक्तियों को सात अवधि की गणना के लिए शामिल किया जाना चाहिए। न्यायालय ने बार काउंसिल, 1926 और उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, 1947 के प्रावधानों पर विचार किया। उस निर्णय में प्रासंगिक भाग पर चर्चा नहीं की गई, जिसने चुनौती को खारिज कर दिया

पिंटमेंट्स, नीचे निकाले गए हैंः

" 14. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने भी कला के खंड (3) के स्पष्टीकरण I की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। 124 के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं से संबंधित संविधान

उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और अनुच्छेद के खंड (2) के स्पष्टीकरण के लिए। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं के संबंध में, और प्रस्तुत किया है कि जहां संविधान निर्माताओं ने इसे आवश्यक समझा है, वे विशेष रूप से

उच्च न्यायालय में अवधि की गिनती के लिए प्रावधान किया गया जो पहले भारत में था। अनुच्छेद 124 और 217 अलग-अलग शब्दों में लिखे गए हैं और नागरिकता की एक अतिरिक्त योग्यता का उल्लेख करते हैं जो [2020] 2 एस. सी. आर.

यह कला की आवश्यकता नहीं है। 233 , और हम कला के उस खंड (2) को नहीं मानते हैं। 233 कला में जोड़े गए स्पष्टीकरणों के आलोक में व्याख्या की जा सकती है। 124 और 217।

अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में एक स्व-निहित प्रावधान है। एक व्यक्ति के रूप में जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में है, कोई विशेष नहीं है

योग्यता निर्धारित की जाती है और खंड (1) के तहत राज्यपाल संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से ऐसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। जहाँ तक उस व्यक्ति का संबंध है जो पहले से ही सेवा में नहीं है, खंड (2) में एक योग्यता निर्धारित की गई है और केवल यह आवश्यक है कि वह सात साल का अधिवक्ता या वकील होना चाहिए।

खंड में यह नहीं कहा गया है कि उस स्थिति की गणना कैसे की जानी चाहिए और यदि पंजाब उच्च न्यायालय का कोई अधिवक्ता बार में अपनी स्थिति निर्धारित करने के लिए लाहौर उच्च न्यायालय में अपने अभ्यास की अवधि की गणना करने का हकदार है, तो हम कला में कुछ भी नहीं देखते हैं। 233 जिससे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करने के लिए उस अवधि को हटा दिया जाना चाहिए।

15. यदि अपीलार्थी की ओर से प्रचार की गई व्याख्या स्वीकार कर ली जाती है तो परिणाम क्या होगा? फिर, 15 अगस्त, 1947 से शुरू होने वाले सात वर्षों के लिए, कोई सदस्य नहीं

पंजाब उच्च न्यायालय के वकील इसके लिए पात्र होंगे - जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति-एक परिणाम जिसे केवल तर्क की कमजोरी को प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना है।

हम अब तक अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील की पहली दो प्रस्तुतियों पर आगे बढ़े हैं, और उस आधार पर निपटा गया है।

अपनी तीसरी प्रस्तुति के साथ।

समझा जाता है कि यह निर्णय लिया गया है कि 'किया गया है' अभिव्यक्ति का हमेशा यह अर्थ होना चाहिए कि अपीलार्थी के विद्वान वकील का कहना है कि इसका अर्थ व्याकरण के सख्त नियमों के अनुसार है। यह गंभीरता से सवाल किया जा सकता है कि क्या एक जैविक संविधान की इतनी संकीर्ण व्याख्या की जानी चाहिए, और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने संविधान के अन्य अनुच्छेदों जैसे कला की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। 5 (ग) जहाँ संदर्भ में अभिव्यक्ति का एक अलग अर्थ है। हमारा ध्यान भी है

मुबारक मजदूर बनाम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय की ओर खींचा गया। के. के. बनर्जी एयर 1958 ऑल 323 EERAJ MOR v.

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

जहाँ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86 की उप-धारा (3) के परंतुक में होने वाली समान अभिव्यक्ति का एक अलग अर्थ दिया गया था। हम इस मामले को आगे बढ़ाने को अनावश्यक मानते हैं क्योंकि जिन उत्तरदाताओं पर हम अब विचार कर रहे हैं, वे जारी हैं।

पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ता जब वे थे

जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए गए और इस प्रकार नियुक्त होने पर उनका कार्यकाल सात वर्ष से अधिक था। वे स्पष्ट रूप से कला के खंड 2 के तहत नियुक्ति के लिए पात्र थे। 233

उसकी ओर से पेश होते हुए उसने कला का वह खंड (2) प्रस्तुत किया है। 233 आवेदन नहीं किया। हम मानते हैं कि भले ही हम आगे बढ़ें यह आधार कि इन दोनों व्यक्तियों को बार से भर्ती किया गया था और उनकी नियुक्ति का परीक्षण

जिनके नाम उस दिन दर्ज किए जाने चाहिए थे जिस दिन धारा 8 लागू हुई थी, यानी 28 सितंबर, 1948 को। धारा 8 की उप-धारा (2) के परंतुक में उन्हें रुपये का शुल्क जमा करने की आवश्यकता थी। 10 बार काउंसिल को देय। जाहिर है कि इस तरह का भुगतान शायद ही पहले किया जा सकता था बार काउंसिल का गठन किया गया। हम अपीलार्थी और हस्तक्षेप करने वालों (बी. डी. पाठक और ओम दत्त शर्मा) के विद्वान वकील से सहमत नहीं हैं कि परंतुक का अधिकार छीनने का प्रभाव था जो इन उत्तरदाताओं को आना था।

धारा 8 (2) (ए) के तहत अधिवक्ताओं की सूची पर स्वचालित रूप से

अधिनियम से। हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, 1947 की धारा 6 और बार काउंसिल अधिनियम, 1926 की धारा 8 (2) (ए) का संयुक्त प्रभाव 15 अगस्त, 1947 से 28 सितंबर, 1948 तक था।

स्वतः पंजाब के अधिवक्ताओं की सूची में आ गया उच्च न्यायालय को लेकिन रुपये का शुल्क देना पड़ा। 10 बार काउंसिल को। 15 अगस्त, 1947 के बाद वे किसी भी समय या स्तर पर अधिवक्ता बनना बंद नहीं कर पाए और वे पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बने रहे जब तक कि उन्हें उच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त नहीं किया गया।

जिला न्यायाधीश। उनके पास कला के खंड (2) के तहत पात्र होने के लिए सात साल की आवश्यक स्थिति भी थी। 233 में से

संविधान "।

14. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चर्चा का मुख्य भाग योग्यता के अधिकार से संबंधित है, अर्थात सात साल का अनुभव

बार, संबंधित उम्मीदवारों का। जहां तक कुछ उम्मीदवारों का संबंध है, इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि वे अपनी नियुक्ति (जिला न्यायाधीश के रूप में) की तारीख पर बार के सदस्य नहीं थेः वे पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बने रहे जब तक कि उन्हें नियुक्त नहीं किया गया।

जिला न्यायाधीश। उनके पास पात्र होने के लिए सात साल की आवश्यक स्थिति भी थी।

एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस अदालत के पास इससे निपटने का कोई अवसर नहीं था

जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति या पदोन्नति के संबंध में अनुच्छेद 233 या 234 के तहत बनाए गए कोई नियम। 15. अगला निर्णय चंद्र मोहन (ऊपर) का है। वहाँ, मुद्दा कुछ उम्मीदवारों की पात्रता के बारे में था, जो सदस्य थे

सिविल सेवाओं या राज्य के सिविल पदों के धारकों से। इस न्यायालय ने पहले प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान दिया और निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

" 20. उक्त प्रावधानों का सार इस प्रकार बताया जा सकता हैः किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी नियुक्ति और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। भर्ती के दो स्रोत हैं, अर्थात् (i) संघ या राज्य की सेवा और (ii) बार के सदस्य। प्रथम स्रोत से उक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है और दूसरे स्रोत से उन लोगों की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सिफारिश पर की जाती है। लेकिन धीरज मॉर v में व्यक्तियों की नियुक्तियों के मामले में।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

जिला न्यायाधीशों के अलावा न्यायिक सेवाएँ राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग के परामर्श से उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएंगी। लेकिन कुछ निर्धारित सीमाओं के अधीन सभी जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण है।

16. तत्पश्चात, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संघ या किसी भी राज्य की "पहले से ही सेवा में नहीं" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि सिविल पदों पर आसीन लोग, या सिविल सेवाओं के सदस्य, यानी गैर-न्यायिक पदों पर आसीन लोग, जिला न्यायाधीश के रूप में चयन और नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अयोग्य थे। इस प्रकार, नियुक्ति के लिए केवल न्यायाधीशों या न्यायिक सेवाओं के सदस्यों के रूप में सेवा में रहने वालों पर विचार किया जा सकता है।

17. सत्य नारायण सिंह (ऊपर) इस मुद्दे पर एक प्रत्यक्ष प्राधिकारी है जिससे यह अदालत अब संबंधित है। वहाँ, यूपी के सदस्य

न्यायिक सेवा ने जवाब दिया और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती पदों पर आवेदन करते हुए दावा किया कि उन्होंने न्यायिक सेवा में अपनी नियुक्ति से पहले बार में 7 साल का अभ्यास प्राप्त कर लिया था। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वे सीधे नियुक्ति के लिए अयोग्य थे

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती। अपील पर, यह आग्रह किया गया था कि अनुच्छेद 233 की कोई भी व्याख्या जो किसी सदस्य को

अतिरिक्त अनुभव के कारण सीधी भर्ती द्वारा उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य अधीनस्थ न्यायिक सेवा

एक न्यायिक अधिकारी के रूप में उनके द्वारा प्राप्त किया जाना अनुचित होगा। रामेश्वर दयाल (ऊपर) और चंद्र मोहन (ऊपर) को नोटिस करने के बाद इस अदालत ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं कि संघ या राज्य की सेवा की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा न्यायिक सेवा के रूप में की गई है। जबकि पहला खंड राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के साथ परामर्श को आवश्यक बनाता है,

दूसरे खंड में यह अपेक्षा की गई है कि उच्च न्यायालय को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करनी चाहिए। यह केवल दूसरे खंड द्वारा कवर किए गए व्यक्तियों के संबंध में है कि

कम से कम 7 वर्षों से अधिवक्ता या वकील रहे हैं और उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा उनकी [2020] 2 एस. सी. आर. से पहले सिफारिश की जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चंद्र मोहन (उपरोक्त) को उद्धृत करने के बाद अदालत ने निष्कर्ष निकालाः " सुब्बा राव, सी. जे. ने अनुच्छेद 233,234,235,236 और 237 का उल्लेख करने के बाद कहा,-ई "उक्त प्रावधानों का सार इस प्रकार कहा जा सकता हैः किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और उनकी नियुक्ति और प्रस्ताव राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। भर्ती के दो स्रोत हैं, अर्थात् (i) सेवा या संघ या राज्य का और (ii) बार के सदस्य। प्रथम स्रोत से उक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय और उनके साथ परामर्श करके की जाती है।

उच्च न्यायालय की सिफारिश पर दूसरे स्रोत से नियुक्त किया जाता है। लेकिन जिला न्यायाधीशों के अलावा न्यायिक सेवा में व्यक्तियों की नियुक्तियों के मामले में, वे राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग के परामर्श से उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किए जाएंगे। लेकिन उच्च न्यायालय का सभी जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है।

न्यायिक सेवा के अलावा अन्य सेवाएँ। इशारा करने के बाद उस कला को। 233 (1) जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल की सामान्य शक्ति की घोषणा थी

और उन्होंने नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित नहीं की या उन स्रोतों को निर्दिष्ट नहीं किया जिनसे

भर्ती की जानी थी, उन्होंने आगे कहा, "लेकिन भर्ती के स्रोत सी. एल. में बताए गए हैं। (2) वहाँ से। सी. एल. के तहत। (2 के हैं। 233 दो स्रोत दिए गए हैं, (i) संघ या राज्य की सेवा में व्यक्ति, और (ii) अधिवक्ता या वकील। यह सवाल उठाते हुए कि क्या "संघ या राज्य की सेवा" अभिव्यक्ति का अर्थ धीरज मॉर v की कोई सेवा है।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

संघ या राज्य का या क्या इसका अर्थ न्यायिक सेवा है

संघ या राज्य का, विद्वान मुख्य न्यायाधीश

दृढ़तापूर्वक माना कि कला में अभिव्यक्ति "सेवा" है। 233 (2) इसका मतलब केवल न्यायिक सेवा हो सकता है। लेकिन उनका उपरोक्त कथन से यह मतलब नहीं था कि जो व्यक्ति पहले से ही सेवा में हैं, उन्हें उच्च न्यायालय की सिफारिश पर सभी के दावों की अनदेखी करते हुए जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायपालिका में अन्य वरिष्ठ कला के विपरीत।

14 और कला। 16 संविधान से।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों निर्णय याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए तर्क का समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि

जिस हद तक वे जाते हैं, वे निश्चित रूप से उत्तरदाताओं के मामले को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए, हम अपने द्वारा पहले से लिए गए दृष्टिकोण से हटने का कोई कारण नहीं देखते हैं और तदनुसार हम रिट को खारिज करते हैं।

याचिकाएँ।

18. दीपक अग्रवाल (ऊपर) के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में यह न्यायालय कुछ पिछले निर्णयों के बीच संघर्ष पर विचार करता है, इस बात पर कि क्या वेतनभोगी लोक अभियोजक या सरकारी वकील, राज्य (या संघ) के तहत पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त करना, बार के सदस्यों के रूप में, यानी अदालतों में वकालत करने वालों के रूप में,

अनुच्छेद 233 (2) का उद्देश्य। अदालत ने एक विस्तृत विश्लेषण के बाद

पिछले निर्णयों को निम्नानुसार देखा गयाः

किसी भी व्यक्ति, सरकार, फर्म का वेतनभोगी कर्मचारी, निगम या संस्था जब तक वह अभ्यास करना जारी रखता है। नियम 49 में उल्लिखित 'रोजगार' में एक ऐसे अधिवक्ता की नियुक्ति शामिल नहीं है जो पूरी तरह से या किसी भी मामले में, मुख्य रूप से कानून की अदालतों में अपने मुवक्किल की ओर से कार्य करने और/या वकालत करने के लिए नियोजित है। यदि कोई व्यक्ति एक अधिवक्ता के रूप में कानून की अदालत में कार्य करने और/या अभिवचन करने के लिए लगा हुआ है, हालांकि

वेतन और अन्य सेवा के संदर्भ में रोजगार का तरीका शर्तों के साथ, ऐसा रोजगार नियम 49 द्वारा कवर नहीं किया गया है क्योंकि वह कानून का अभ्यास करना जारी रखता है, लेकिन दूसरी ओर, यदि वह मुख्य रूप से कानून की अदालत में कार्य करने और/या वकालत करने के लिए नहीं, बल्कि अन्य प्रकार के कानूनी कार्य करने के लिए नियोजित है, तो [2020] 2 एस. सी. आर. में निषेध है।

नियम 49 तुरंत लागू हो जाता है और फिर वह केवल एक कर्मचारी बन जाता है और एक वकील बनना बंद कर देता है। द बार

नियम 49 में निहित एक वकील के रूप में अदालतों में मामलों के संचालन के अलावा अन्य काम के लिए रोजगार पर लागू होता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, दिनांक 1 के प्रस्ताव द्वारा दूसरे और तीसरे पैरा को हटाने से स्थिति में भौतिक रूप से कोई बदलाव नहीं आया है क्योंकि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अदालतों में अपनी ओर से दीवानी और आपराधिक मामलों का संचालन करने के लिए जिन अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है। 85. हमने ऊपर जो कहा है वह बी. सी. आई. नियमों के नियम 43 द्वारा मजबूत होता है। नियम 43 में प्रावधान है कि एक अधिवक्ता, जिसने एक पूर्णकालिक सेवा या अंशकालिक सेवा ली है, जो एक अधिवक्ता के रूप में अपने अभ्यास से असंगत है, उसे एक घोषणा भेजेगा।

संबंधित राज्य बार काउंसिल को उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर प्रभाव और उस संबंध में किसी भी चूक के लिए निलंबन लागू हो सकता है।

अभ्यास करने का अधिकार। दूसरे शब्दों में, यदि किसी अधिवक्ता द्वारा ली गई पूर्णकालिक सेवा या अंशकालिक सेवा एक अधिवक्ता के रूप में उसके अभ्यास के अनुरूप है, तो ऐसी किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है। रोजगार का तथ्य भौतिक नहीं है, लेकिन प्रमुख पहलू यह है कि क्या ऐसा रोजगार एक वकील के रूप में उसके अभ्यास के अनुरूप है या, दूसरे शब्दों में, चाहे वह ऐसे रोजगार के अनुसार हो, वह अदालतों में कार्य करना और/या वाद करना जारी रखता है। अगर जवाब हां है, तो नौकरी के बावजूद वह एक वकील बने हुए हैं। दूसरी ओर, यदि उत्तर नकारात्मक है,

वह वकील बनना बंद कर देता है।

86. एक वकील का दो गुना कर्तव्य होता हैः (1) अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा करना और उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ मामले को आगे बढ़ाना, और (2) न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में। क्या पूर्णकालिक रोजगार लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक के लिए कर्तव्य या हितों का कोई टकराव पैदा करता है? हम ऐसा नहीं सोचते हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है और इस न्यायालय द्वारा लगातार कहा गया है कि लोक अभियोजक जांच एजेंसी का मुखपत्र नहीं है। हमारी राय में, भले ही लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक पूर्णकालिक नौकरी में हों

सरकार के साथ और नियोक्ता के अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन है, लेकिन एक बार जब वह धीरज मोर बनाम के संचालन के लिए अदालत में पेश होता है।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

एक मामला या अभियोजन, वह न्याय के हित के अनुरूप मानदंडों द्वारा निर्देशित होता है। उनके कार्य हमेशा सेवा के लिए बने रहते हैं।

और जनहित की रक्षा करें। उसे उसका निर्वहन करना पड़ता है

निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष रूप से और कानूनी प्रावधानों के ढांचे के भीतर कार्य करता है। इसलिए यह कहना सही नहीं हो सकता है कि सहायक लोक अभियोजक न्यायालय का अधिकारी नहीं है। समरेंद्र दास का दृष्टिकोण इस हद तक है कि

सहायक लोक अभियोजक न्यायालय का अधिकारी नहीं है

सही दृष्टिकोण नहीं है। "

विशेष रूप से अनुच्छेद 1) के तहत आवश्यकता के मुद्दे से निपटने के लिए कि आवेदक 7 वर्षों से व्यवहार में है, इस अदालत ने स्पष्ट रूप से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 88. जहां तक संविधान के अनुच्छेद 233 (2) में अभिव्यक्ति के निर्माण का संबंध है, "यदि वह कम से कम सात साल तक अधिवक्ता रहे हैं", तो हम मानते हैं कि श्री प्रशांत भूषण ने अपनी इस दलील में सही था कि इस अभिव्यक्ति का अर्थ है आवेदन से तुरंत पहले एक अधिवक्ता के रूप में सात साल और सात साल पहले नहीं। यह 'किया गया है' के उपयोग से स्पष्ट है। वर्तमान पूर्ण निरंतर काल का उपयोग उस स्थिति के लिए किया जाता है जो अतीत में किसी समय शुरू हुई थी और अभी भी है।

जारी है। इसलिए, आवश्यक आवश्यकताओं में से एक अनुच्छेद 233 (2) में उपरोक्त अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त किया गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपेक्षित अवधि के साथ जारी रहना चाहिए।

आवेदन की तारीख पर अधिवक्ता। 89. एच. एस. जे. एस. नियमों के नियम 11 में इन योग्यताओं का प्रावधान है -

हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती। खंड

(ख) इस नियम में प्रावधान है कि आवेदक को विधिवत एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया होना चाहिए और कम से कम सात साल की अवधि के लिए वकालत की होनी चाहिए। चूँकि हम पहले ही मान चुके हैं कि

इन पाँच निजी अपीलार्थियों ने अधिवक्ता बनना बंद नहीं किया

सहायक जिला अटार्नी/लोक अभियोजक/उप महाधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए, जिस अवधि के दौरान उनके पास

इस तरह से काम करना अवधि के रूप में माना जाना चाहिए

कानून का अभ्यास करना। इस प्रकार, वे सभी अधिवक्ता रहे हैं

कम से कम सात वर्षों के लिए और अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित थे

और तारीख को अधिवक्ताओं के रूप में जारी थे

। "[2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. यह स्पष्ट है कि इस अदालत को इस बात पर विचार करना था कि क्या लोक अभियोजकों और सरकारी अधिवक्ताओं को प्रत्यक्ष भर्ती के लिए आवेदन करने से रोक दिया गया था (यानी क्या उन्हें व्यवहार में माना जा सकता था) और क्या-उनके रोजगार के दौरान, लोक अभियोजकों के रूप में, उन्हें अधिवक्ताओं के रूप में "कम से कम सात साल से नहीं" अभ्यास करने के लिए कहा जा सकता था। अदालत ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया कि ऐसे लोक अभियोजकों/सरकारी वकीलों (जब तक वे अदालत के समक्ष अधिवक्ताओं के रूप में पेश होते रहे) ने विवरण का जवाब दिया और इसलिए वे पात्र थे। 20. विजय कुमार मिश्रा (उपरोक्त) में चुनौती जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर (बार से प्रत्यक्ष) परीक्षा, 2015 के पद के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए (याचिकाकर्ताओं के) अभ्यावेदन को अस्वीकार करने की थी। एक शर्त, यानी कि उन्हें पहले बिहार राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवा से एक पूर्व शर्त के रूप में अपना इस्तीफा देना था

कि वे साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं, लागू किया गया था। तथ्य यह था कि याचिकाकर्ता, जो सात साल के साथ वकालत कर रहे थे '

इस तरह के विज्ञापन के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा के साथ-साथ मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए। परीक्षण के परिणामों के प्रकाशन से पहले, इस पद के लिए, वे योग्य हो गए और 28 वें बैच में बिहार राज्य अधीनस्थ न्यायिक सेवा में नियुक्त किए गए। वे तदनुसार शामिल हो गए। अगस्त, 2015 में अधीनस्थ न्यायिक सेवा। जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर (बार से प्रत्यक्ष) की मुख्य परीक्षा का परिणाम 22 जनवरी, 2016 को प्रकाशित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण किया। हालाँकि उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था; उनका अनुरोध

उनसे निपटा गया और उन्हें एक पूर्व शर्त के रूप में अधीनस्थ न्यायिक सेवा से इस्तीफा देने के लिए कहा गया, जिसे चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भाग लेने की अनुमति देने की चुनौती को खारिज कर दिया साक्षात्कार में अनुच्छेद 233 (2) के जनादेश का उल्लंघन होगा जिसमें कहा गया है कि चूंकि वे साक्षात्कार की तारीख से पहले न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे,

वे संविधान के अनुच्छेद 233 (2) के संदर्भ में जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर (बार से प्रत्यक्ष) के लिए चयन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते थे क्योंकि वे न्यायिक सेवा के सदस्य थे।

21. विजय कुमार मिश्रा (ऊपर) में अदालत ने नोटिस के बाद

सत्य नारायण सिंह (ऊपर) और दीपक अग्रवाल (ऊपर) ने कहाः

" 7. सेवा कानून में यह अच्छी तरह से तय है कि चयन और नियुक्ति के बीच अंतर है। प्रत्येक व्यक्ति जो धीरज मोर v है।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

राज्य के तहत कुछ पदों को भरने के उद्देश्य से राज्य द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में सफल

स्वचालित रूप से नियुक्त होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है। शाब्दिक रूप से, अनुच्छेद 233 (2) केवल उस व्यक्ति की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के चयन को नहीं। लोक सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए राज्य द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ऐसे व्यक्ति का अधिकार (विषय)

के लिए पात्रता के संबंध में अन्य तर्कसंगत नुस्खों के लिए

चयन प्रक्रिया में भाग लेना जैसे कि आयु, शैक्षिक योग्यता आदि) और जिस पर विचार किया जाना चाहिए, उसके तहत गारंटी दी जाती है।

कला. 14 और संविधान के 16.

संघ या राज्य की सेवा। यह उस व्यक्ति की उम्मीदवारी पर विचार करने से मना नहीं करता है जो इसमें है। संघ या राज्य की सेवा। एक व्यक्ति जो संघ या राज्य में से किसी एक की सेवा में है, उसके पास अभी भी विकल्प होगा, यदि जिला न्यायाधीश के रूप में सेवा में शामिल होने या अपने मौजूदा रोजगार को जारी रखने के लिए चुना जाता है। एक व्यक्ति को मजबूर करना

उसके मूल्यांकन के उद्देश्य से भी अपनी नौकरी से इस्तीफा देना

जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता, हमारी राय में, न तो अनुच्छेद 233 (2) के पाठ द्वारा अनुमत है और न ही संविधान की योजना के तहत विचार किया गया है क्योंकि यह किसी भी संवैधानिक रूप से वांछनीय उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा।

22. न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा कि दोनों में से कोई भी (सत्य नारायण सिंह (ऊपर) और दीपक अग्रवाल (ऊपर)) इस मुद्दे को हाथ में नहीं ले रहे हैं। पीठ के अन्य सदस्य (न्यायमूर्ति)

ई) निम्नलिखित रूप में सहमति व्यक्त करते हुए:

“ 12) मेरी राय में, किसी व्यक्ति के लिए आवेदन करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है

जिला न्यायाधीश का पद, यदि वह अन्यथा संतुष्ट करता है पद पर रहते हुए निर्धारित योग्यताएँ

संघ/राज्य की सेवा। यह केवल उनकी नियुक्ति के समय होता है।

(यदि ऐसा अवसर आता है) तो उसकी योग्यता का सवाल उठता है। ऐसे व्यक्ति को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदन करने से इनकार करना, जब वह अन्यथा अनुच्छेद 233 के खंड (2) का सहारा लेकर विज्ञापन में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है, मेरी राय में, उसके अधिकार [2020] 2 एस. सी. आर. का उल्लंघन करने के बराबर होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटी

13) यह व्याख्या के नियम का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी को विषय और उस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए जिसके लिए अधिनियम अधिनियमित किया गया है। किसी प्रतिमा की उचित तरीके से व्याख्या करने के लिए, न्यायालय को स्वयं को उचित विधायक/लेखक की अध्यक्षता में रखना चाहिए। इस प्रकार, उद्देश्यपूर्ण निर्माण के नियमों का सहारा लेना होगा ताकि अधिनियम के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। इसी तरह, यह भी क़ानूनों की व्याख्या का एक मान्यता प्राप्त नियम है कि उसमें उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियों को आम तौर पर उस अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसमें वे क़ानून के उद्देश्य के साथ सबसे अच्छा सामंजस्य रखते हैं और जो विधायिका के उद्देश्य को प्रभावी बनाते हैं। (प्रतिमाओं के 12 वें संस्करण की व्याख्या, पृष्ठ 119 और 127 G.P.Singh) देखें। उपरोक्त सिद्धांत, मेरी राय में, अनुच्छेद 233 (2) के प्रावधानों की व्याख्या करते समय समान रूप से लागू होता है।

संविधान "।

23. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रामेश्वर दयाल (ऊपर) मुख्य रूप से

इस सवाल से संबंधित कि क्या विभाजन से पहले के भारत में अनुच्छेद 233 (2) में निर्धारित सात साल की अवधि की गणना के उद्देश्य से एक वकील या अधिवक्ता के रूप में अभ्यास की गणना की जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि

नियुक्तियों के संबंध में कुछ टिप्पणियां अनुच्छेद 233 (1) के लिए संदर्भित हैं। हालाँकि, जिस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह यह है कि किसी भी नियम पर चर्चा नहीं की गई थी; संबंधित अधिवक्ताओं का अनुभव, जिन्हें जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था, विभाजन से पहले भारत में, पूर्व अविभाजित पंजाब में काफी अवधि के लिए था। दूसरी ओर, चंद्र मोहन (उपर्युक्त) एक स्पष्ट प्राधिकरण है-और इस पहलू पर एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि केंद्र या राज्यों के तहत सेवा में या पदों पर आसीन लोग-यदि वे न्यायिक सेवा में नहीं हैं-संविधान के अनुच्छेद 233 (2) के तहत जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं।

संविधान। परिणाम यह था कि न्यायिक पदों पर आसीन लोगों को संघ या राज्य के तहत पद या पदों के धारकों के रूप में प्रतिबंधित नहीं किया गया था। महत्वपूर्ण रूप से, इस अदालत ने चंद्र मोहन (उपरोक्त) मामले में एक नियम को अमान्य कर दिया, जिसने राज्य के तहत कार्यकारी पदों पर आसीन दोनों अधिकारियों और न्यायिक पदों पर आसीन लोगों को अनुच्छेद 233 (2) के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन करने के योग्य बना दिया। सत्य नारायण सिंह (उपरोक्त) मामले में इस अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अनुच्छेद 233 (2) के तहत न्यायिक पदों पर बैठे लोगों को अधिवक्ता के रूप में आवेदन करने से अयोग्य ठहराना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता हैः ए "भर्ती के दो स्रोतों और धीरज एम. ओ. आर. वी. के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

द्विभाजन बना रहता है। दोनों धाराएँ अलग-अलग हैं जब तक कि वे नियुक्ति द्वारा एक साथ नहीं आ जाती हैं। जाहिर है कि एक ही पर्ची (एस. आई. सी. जहाज) दोनों धाराओं को एक साथ नहीं चला सकता है।

" "

24. अनुच्छेद 233, के अन्य प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन

संविधान और जिन निर्णयों पर चर्चा की गई है, वे निम्नलिखित का खुलासा करते हैं:

(क) कि किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसा करने का अधिकार है कि

" होने वाले व्यक्तियों की नियुक्तियाँ और नियुक्ति और

किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति (अनुच्छेद 233 [1]);

(ख) इस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति करते समय वह उच्चायुक्त से परामर्श करने के लिए बाध्य है। न्यायालय (अनुच्छेद 233 [1]: चंद्र मोहन (ऊपर) और

चंद्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम पटना उच्च न्यायालय 1970 (2) एससीआर

6662);

(ग) अनुच्छेद 233 (1) को नियुक्ति के स्रोत के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

यह केवल इस बात का वर्णन करता है कि नियुक्ति प्राधिकरण कौन है;

(घ) प्रारंभिक नियुक्ति, प्रारंभिक नियुक्ति से संबंधित मामलों में, और

जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति, राज्यपाल के पास अधिकार है

आदेश जारी करें; इसके बाद यह उच्च न्यायालय पर निर्भर करता है, जिसके आधार पर

अनुच्छेद 235: नियंत्रण और अधीक्षण का प्रयोग करना

ऐसे जिला न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें। (असम राज्य देखें।

बनाम रंगा मोहम्मद 1967 (1) एससीआर 454 3);

2 चंद्रमौलेश्वर प्रसाद की अदालत ने कहा कि

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिला न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति राज्यपाल पर निर्भर करती है, लेकिन वह अपनी पहल पर नियुक्ति नहीं कर सकता है और उसे उच्च न्यायालय के परामर्श से ऐसा करना चाहिए। अनुच्छेद का अंतर्निहित विचार यह है कि उच्च न्यायालय के साथ विचार-विमर्श के बाद राज्यपाल को अपना मन बनाना चाहिए। 3 इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" इन अनुच्छेदों में से पहले अनुच्छेदों में नियुक्ति के प्रश्न पर अलग से विचार किया जाता है, लेकिन इन अनुच्छेदों में से दूसरे अनुच्छेदों में राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति और जिला न्यायाधीश के पद से हीन कोई भी पद धारण करना भी उच्च न्यायालय में निहित है। लेख में दो बार उपयोग किए गए पद 'पद' शब्द का स्पष्ट रूप से अर्थ पद या नौकरी है न कि पद या स्थान और नियुक्ति 'का स्पष्ट रूप से अर्थ किसी पद या नौकरी के लिए असाइनमेंट होना चाहिए और किसी स्टेशन या अदालत का प्रभारी नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 235 में शब्दों का जुड़ाव बहुत स्पष्ट है, लेकिन जैसा कि पहले के लेख में 'पोस्टिंग' शब्द उसी विषय वस्तु से संबंधित है, इसका उपयोग निश्चित रूप से उसी अर्थ में किया गया था। इस प्रकार यह निष्कर्ष काफी स्पष्ट है। बेशक, ऐसा ही होना चाहिए। उच्च न्यायालय न्यायालयों के दिन-प्रतिदिन के नियंत्रण में है और व्यक्तियों के काम करने की क्षमता और किसी विशेष स्टेशन या न्यायालय की आवश्यकताओं को जानता है। उच्च न्यायालय [2020] 2 एस. सी. आर. के लिए बेहतर है।

(ङ) अनुच्छेद 233 (2) केवल उन लोगों की पात्रता से संबंधित है जो

जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। द.

संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कम से कम के लिए नहीं रहा है

सात साल, "एक अधिवक्ता या वकील" और जो "नहीं है" संघ या राज्य की सेवा में पहले से ही

यह समझते हुए कि ऐसा व्यक्ति संघ या किसी राज्य के अधीन किसी सिविल या कार्यकारी पद का धारक नहीं है) जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। महत्वपूर्ण रूप से, पात्रता-दोनों श्रेणियों के लिए,

नकारात्मक शब्दों में जोड़ा जाता है। स्पष्ट रूप से, यह सब संविधान

कल्पना की गई थी कि कम से कम सात वर्ष के साथ एक वकील '

अधिवक्ता को अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(2) .

(च) महत्वपूर्ण रूप से, अनुच्छेद 233 (2) न्यायिक अधिकारियों को जिला के पद पर नियुक्ति के लिए विचार से बाहर नहीं करता है।

न्यायाधीश। हालाँकि, यह समान रूप से इस तरह के लिए कोई मानदंड नहीं बताता है।

उम्मीदवारों की श्रेणी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वे या उनमें से कोई भी, जिसका अतीत में सात साल का अभ्यास था, हो सकता है

योग्य माना जाता है, क्योंकि उनमें से किसी को भी नहीं कहा जा सकता है

मंत्री के बजाय स्थानांतरण करें। क्योंकि एक मंत्री चाहे कितना भी सार्थक क्यों न हो, वह कभी भी समग्र रूप से न्यायपालिका और व्यक्तिगत न्यायाधीशों के कामकाज के बारे में उच्च न्यायालय के समान अंतरंग ज्ञान नहीं रख सकता है। उसे सूचना के लिए अपने विभाग पर निर्भर रहना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश और उनके सहयोगी इन मामलों को जानते हैं और उनसे व्यक्तिगत रूप से निपटते हैं। सचिवों से प्रभावित होने की संभावना कम है जो हो सकता है

यदि वे स्वयं रुचि रखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को रोक दें। यह भी सर्वविदित है कि सभी स्टेशन जलवायु और शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं में समान नहीं हैं। कुछ अच्छे स्टेशन हैं और कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश और उनके सहयोगी व्यक्तिगत जानकारी के साथ मामले से निपटते हैं, तो अपने लिए लाभ की मांग करने वाले व्यक्ति के लिए सफलता की संभावना कम होती है, जबकि एक मंत्री एक सचिव द्वारा प्रदान किए गए नोट्स और जानकारी पर इससे निपटता है। नियम का कारण और मामले की भावना हमारे द्वारा स्वीकार किए गए संकीर्ण अर्थ का सुझाव देने के लिए संयुक्त हैं। संविधान द्वारा प्रदर्शित

नीति इस दिशा में रही है जैसा कि इस न्यायालय के पहले के मामलों में समझाया गया है। उच्च न्यायालय इस प्रकार अपने निष्कर्ष में सही था कि राज्यपाल की शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं जब वह किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त या पदोन्नत करता है और उसे संवर्ग में एक पद पर नियुक्त करता है। इसके बाद, पदधारियों का स्थानांतरण जिला न्यायालयों के नियंत्रण में एक मामला है, जिसमें वहां अध्यक्षता करने वाले व्यक्तियों का नियंत्रण भी शामिल है, जैसा कि उद्धृत मामले में समझाया गया है।

चूंकि उच्च न्यायालय स्थानांतरण करने का अधिकार रखता है, इसलिए इस संबंध में परामर्श का कोई सवाल ही नहीं था। राज्य सरकार को आदेश देने का अधिकार नहीं था

स्थानांतरण। हालाँकि, डी. एन. डेका को पदोन्नत करने और जिला न्यायाधीश के रूप में तैनात करने से पहले परामर्श की आवश्यकता थी। यह कहना पर्याप्त है कि इस तरह का परामर्श अनिवार्य है, यह निश्चित रूप से चंद्र मोहन बनाम यूपी मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले में निर्धारित किया गया है। धीरज मोर बनाम।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

एक उम्मीदवार के विवरण का उत्तर दें जो "कम से कम सात साल से नहीं" "एक वकील या वकील" "(दीपक अग्रवाल के अनुसार, यानी कि आवेदक/उम्मीदवार को एक वकील होना चाहिए।

अभ्यास की तारीख को अभ्यास की शर्त को पूरा करने वाले अधिवक्ता

पात्रता की शर्त, या पद के लिए आवेदन करना)। अनुक्रमणिका स्पष्ट रूप से यह है कि एक न्यायिक अधिकारी वह नहीं है जो कम से कम एक वर्ष तक रहा हो।

सात वर्ष, एक अधिवक्ता या वकील।

25. चंद्र मोहन (उपरोक्त) में निर्णय और उसके बाद के निर्णयों का शुद्ध परिणाम यह है कि अनुच्छेद 233 (2) उन सभी लोगों को अयोग्य ठहराता है जो किसी राज्य या संघ के तहत सिविल पदों पर हैं, जैसे कि यह सात साल से कम की वकालत करने वाले सभी अधिवक्ताओं को अयोग्य ठहराता है। पात्रता की गणना के लिए नियत तिथि। समान रूप से, न्यायिक सेवा में वे लोग [यानी अनुच्छेद 236 (2) के अनुसार जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य पदों के धारक] विचार के हकदार नहीं हैं क्योंकि प्रावधान (अनुच्छेद 233 [2]) किसी भी पात्रता शर्त को निर्धारित नहीं करता है। क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी न्यायिक अधिकारी, न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि की सेवा के साथ, अनुच्छेद 233 (2) के तहत विचार का हकदार है? इसका जवाब स्पष्ट है

नकारात्मक। ऐसा इसलिए है क्योंकि नकारात्मक वाक्यांश विज्ञान जिसके माध्यम से

सिविल पदों के धारकों, या सिविल सेवा (राज्य या संघ के) में और सात साल की सेवा वाले अधिवक्ताओं की पात्रता निर्धारित की जाती है। हालाँकि, न्यायिक सेवा में रहने वालों के संबंध में पात्रता की शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। 26. इस न्यायालय की राय में, जिला न्यायाधीश के पद के लिए न्यायिक अधिकारियों के लिए पात्रता शर्तों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने के संबंध में चूक स्पष्ट रूप से परिकल्पित है। यह विषय तीन प्रावधानों द्वारा कवर किया गया हैः अनुच्छेद 233 (1)-जो जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति को संदर्भित करता है; अनुच्छेद 234, जो अनुच्छेद 233 (1) की तरह न्यायिक पदों या सेवाओं के संबंध में नियुक्ति प्राधिकरण के रूप में राज्यपाल का गठन करता है,

(जिला न्यायाधीशों के अलावा), और अनुच्छेद 233 (1) की तरह, संबंधित उच्च न्यायालय की सिफारिश के अधीन। यह स्थिति निश्चित रूप से इस तथ्य से सामने आती है कि अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालयों में न्यायिक सेवा के पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्ति निहित करता है, जिसमें किसी राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति और छुट्टी प्रदान करना शामिल है।

जिला न्यायाधीश के पद से निचला कोई पद। इसका परिणाम यह है कि राज्यपाल जिला न्यायाधीश के पद और अन्य न्यायिक पदों के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति कर रहा है; दोनों को उच्च न्यायालय के साथ पूर्व परामर्श के बाद भरा जाना है, और महत्वपूर्ण रूप से, न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति, [2020] 2 एस. सी. आर.

जिला न्यायाधीश का पद, उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई शर्तों (नियमों को पढ़ें) द्वारा विनियमित किया जाता है।

27. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि संविधान निर्माता स्पष्ट रूप से दो स्रोतों के बीच अंतर करना चाहते थे -

जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति। एक के लिए, यानी अधिवक्ताओं के लिए, पात्रता को नकारात्मक वाक्यांश विज्ञान में लिखा गया था, यानी कम से कम सात साल का अभ्यास; न्यायिक अधिकारियों के लिए, अनुच्छेद 233 (2) में कोई पात्रता शर्त निर्धारित नहीं की गई थीः इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि वे (प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा) नियुक्त होने के योग्य नहीं थे क्योंकि न्यायिक सेवा में प्रवेश करने के बाद उन्हें सात साल की प्रैक्टिस के साथ अधिवक्ता नहीं माना जा सकता था और न ही माना जा सकता था। उनकी नियुक्ति का एकमात्र माध्यम, न्यायिक सेवा में अधिकारियों की पदोन्नति (जिला न्यायाधीशों के रूप में) के लिए उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार था (अनुच्छेद 236 [बी] के अनुसार जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य पदों पर रहने वाले के रूप में परिभाषित)।

28. उपरोक्त चर्चा को स्पष्ट रूप से देखते हुए, सत्य नारायण सिंह (उपरोक्त) में निर्णय ने प्रासंगिक प्रावधानों की सही सराहना की।

और यह अभिनिर्धारित किया कि दोनों धाराओं के बीच द्विभाजन का अर्थ है कि एक धारा (न्यायिक सेवा पढ़ें) वाले अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित कोटे में आने वाली रिक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं।

29. याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया था कि अदालत को संकीर्ण व्याख्या करने के बजाय संविधान के प्रावधानों की व्यापक तरीके से व्याख्या करने का प्रयास करना चाहिए और यह कि सात साल की वकालत करने वालों को अधिवक्ता के रूप में अयोग्य ठहराना, लेकिन जिन्हें न्यायिक पदों पर नियुक्त किया गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

इस संबंध में इस बात पर जोर दिया गया कि उन लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है जो प्रैक्टिस करना जारी रखते हैं और जो सात साल तक प्रैक्टिस कर चुके हैं, बाद में न्यायिक सेवा में शामिल हो गए और योग्यता की गणना की तारीख तक इसमें बने रहे। यह आग्रह किया गया कि न्यायिक सेवा में कार्यरत लोग वास्तव में बेहतर योग्य हैं, क्योंकि वे न्यायिक कार्यालय से संबंधित कार्यों के निर्वहन में अनुभवी होंगे, जबकि जो लोग वकालत करना जारी रखते हैं और अधिवक्ता बने रहते हैं, उन्हें ऐसा लाभ नहीं मिलेगा। दोनों के बीच, इसलिए, न्यायिक पद धारण करने वाले, बेहतर उपयुक्त होंगे। इसलिए यह आग्रह किया गया कि यदि उन्हें पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति है जिला न्यायाधीश, इस बात पर जोर दिए बिना कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, समाज के पास लेने के लिए योग्यता का एक बड़ा पूल होगा। अंतिम तर्क यह था कि दोनों श्रेणियां सात साल के अभ्यास की मूल शर्त को पूरा करती हैं, न्यायिक सेवा में उन लोगों को छोड़कर, भर्ती के उद्देश्य को पूरा नहीं करती हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन।

धीरज मोर बनाम। दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

30. इस अदालत की राय में, याचिकाकर्ताओं के तर्क में एक अंतर्निहित दोष है। किया गया वर्गीकरण या भेद

अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के बीच, प्रति संवैधानिक रूप से एक एक को मंजूरी दी। यह अनुच्छेद 233 के सरल अध्ययन से ही स्पष्ट है। सबसे पहले, अनुच्छेद 233 (1) नियुक्तियों और पदोन्नति दोनों की बात करता है। दूसरा, वर्गीकरण अनुच्छेद 233 (2) में दो श्रेणियों के विवरण से स्पष्ट है: एक "जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है" और दूसरा "यदि वह कम से कम सात साल से अधिवक्ता या वकील के रूप में रहा है"। दोनों श्रेणियों को "नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित" किया जाना है। यहाँ इरादा यह था कि दोनों मामलों में, स्पष्ट बहिष्करण थे, अर्थात सात साल से कम की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता (जिसका अर्थ था, इसके विपरीत, सात साल से अधिक की प्रैक्टिस वाले लोग पात्र थे) और राज्य या संघ के तहत सिविल पदों पर आसीन लोग। न्यायिक अधिकारियों को हटाने का मतलब केवल यह था कि उनमें से जिन लोगों की पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई थी, उन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जा सकता था। उनकी पदोन्नति की शर्तों को विशेष रूप से उच्च न्यायालयों द्वारा तैयार करने के लिए छोड़ दिया गया था।

31. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि संविधान स्वयं एक ओर अधिवक्ताओं और दूसरी ओर न्यायपालिका के बीच अंतर करता है।

दूसरी ओर, अधिकारियों का भेदभाव का तर्क असंगत है। यदि कोई दोनों चैनलों से नियुक्ति की योजना की बारीकी से जांच करता है जैसा कि न्यायमूर्ति मिश्रा ने किया है-तो यह स्पष्ट है कि न्यायिक सेवा में उन लोगों द्वारा पदों का एक बड़ा हिस्सा भरा जाना है। पिछले दो दशकों से, जिला न्यायाधीशों के संवर्ग (प्रत्येक राज्य में) में केवल एक चौथाई (25 प्रतिशत) पद अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित किए गए हैं; शेष 75 प्रतिशत को भरा जाना है।

विशेष रूप से न्यायिक अधिकारियों से। 50 % , (75 प्रतिशत में से) वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर भरा जाना है, जबकि 25 प्रतिशत (75 प्रतिशत में से) विभागीय परीक्षा द्वारा भरा जाना है। यह परीक्षा संबंधित राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्यों तक ही सीमित है। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2010 (15) एस. सी. सी. 170 मामले में इस अदालत के फैसले ने सीमित विभागीय परीक्षा कोटा (बारी पदोन्नति कोटा से बाहर) को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जो प्रभावी हुआ।

01.01.2011 से। इस प्रकार, कुल मिलाकर, आज भी, न्यायिक अधिकारी हैं

प्रत्येक राज्य में उस पद से संबंधित संवर्ग के 75 प्रतिशत की सीमा तक जिला न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का हकदार है। यह.

इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि नियमों द्वारा, न्यायिक अधिकारियों के विचार से, जिला न्यायाधीशों के पद पर, अपेक्षित स्थिति या व्यवहार के साथ अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित कोटे में, अनुच्छेद 233-235 के अधिदेश के अनुरूप है, और नियम मान्य हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. एक और मजबूत कारण हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है। संविधान निर्माताओं को पता था कि न्यायिक शाखा को होना चाहिए स्वतंत्र, और साथ ही, विचारों और दृष्टिकोण की विविधता को दर्शाता है। यह निचली और उच्च न्यायपालिका दोनों के हर स्तर पर नियुक्तियों के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित पात्रता शर्तों से पता चलता हैः जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। इन संस्थानों में से प्रत्येक में न्यायिक पदों के संबंध में, संविधान बार के सदस्यों के बीच से नियुक्तियों को सक्षम बनाता है, क्योंकि इसके निर्माता इस बात से पूरी तरह से अवगत थे कि वकालत करने वाले अधिवक्ता स्वतंत्रता को दर्शाते हैं और संभवतः एक उपयोगी विशेषता प्रदान करते हैं, यानी अलग तरह से सोचने की क्षमता और कानूनों और संविधान की व्याख्या के लिए नए दृष्टिकोण हैं, जो न्यायपालिका के साथ-साथ पूरे समाज की मजबूती के लिए आवश्यक हैं।

34. इस दृष्टिकोण को अनुच्छेद 217 (2) द्वारा मजबूत किया गया है, जो दो स्रोतों को बताता है जिनसे पदों के लिए नियुक्तियों का सहारा लिया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशः सबसे पहले, किसी राज्य की न्यायिक सेवा का सदस्य [अनुच्छेद 217 (ए)] और दस साल के अनुभव वाला अधिवक्ता [अनुच्छेद 217 (ए)]

217 (ख)]। उच्चतम न्यायालय के लिए, अनुच्छेद 124 (3) (ए) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पांच साल के अनुभव वाले व्यक्ति के विचार को सक्षम बनाता है।

124 (3) (बी) किसी भी उच्च न्यायालय में बार में दस साल के अनुभव के साथ एक वकील के विचार को सक्षम बनाता है; अनुच्छेद 124 (3) (सी) एक प्रतिष्ठित न्यायविद के विचार को सक्षम बनाता है। महत्वपूर्ण रूप से, बार में निर्धारित अनुभव वाले अधिवक्ता संविधान के व्यक्त प्रावधानों [अनुच्छेद 233 (2), अनुच्छेद 217 (बी) और अनुच्छेद 124 (3) (बी)] द्वारा धीरज मॉर बनाम के हकदार हैं।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

क्रमशः जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। हालाँकि, न्यायिक सेवा के सदस्यों को केवल क्रमशः जिला न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति (पदोन्नति द्वारा) के लिए माना जा सकता है। न्यायिक सेवा के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, शिक्षाविदों या प्रतिष्ठित न्यायविदों, जिनके पास न तो बार में प्रैक्टिस है, और न ही न्यायिक सेवा में कोई अनुभव है, को जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए माना जा सकता है।

35. इस न्यायालय की राय में, संविधान निर्माताओं ने सचेत रूप से इच्छा व्यक्त की कि बार के सदस्यों को तीनों स्तरों, यानी जिला न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि विधि अदालतों में काम करने वाले वकीलों का उन लोगों के साथ सीधा संबंध होता है जिन्हें उनकी सेवाओं की आवश्यकता होती है; अदालतों के कामकाज के बारे में उनके विचार एक निरंतर गतिशील हैं। इसी तरह, बार में प्राप्त अनुभव के आधार पर उनके विचार, न्यायिक शाखा को नए दृष्टिकोण प्रदान करते हैं; एक पेशेवर के रूप में विशिष्ट रूप से तैनात, एक अधिवक्ता का त्रिपक्षीय संबंध होता हैः एक जनता के साथ, दूसरा जनता के साथ अदालत, और तीसरा, उसके या उसके मुवक्किल के साथ। कानून में सीखा गया एक वकील, अदालत के एक अधिकारी के रूप में, अपने मुवक्किल के मुद्दे को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने और अदालत की सहायता करने के लिए बाध्य है। कानूनी पेशे के सदस्य होने के नाते, अधिवक्ताओं को विचारशील नेता भी माना जाता है। इसलिए, संविधान निर्माताओं ने परिकल्पना की कि न्यायिक प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर, बार के सदस्यों से सीधी नियुक्ति का एक घटक होना चाहिए

36. इस अदालत की राय है कि विजय कुमार मिश्रा (उपरोक्त) में निर्णय, जहां तक यह चयन के चरण में एक उम्मीदवार की पात्रता और पात्रता के विचार के बीच अंतर करता है। नियुक्ति के समय गणना योग्य, गलत है। इस प्रस्ताव का स्पष्ट अधिकार है कि किसी भी उम्मीदवार की पात्रता की गणना उसके चयन की तारीख से नहीं, बल्कि नियमों या पद के लिए विज्ञापन के संदर्भ में की जानी चाहिए। अशोक कुमार शर्मा और ओआरएस में। बनाम।

इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, चंदर शेखर और अन्य 1997 (4) एस. सी. सी. 18 ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 6 ..... यह प्रस्ताव कि जहां आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि के रूप में एक विशेष तिथि निर्धारित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, उम्मीदवारों की पात्रता [2020] 2 एस. सी. आर. होनी चाहिए।

केवल उस तारीख और उस तारीख के संदर्भ में न्याय किया जाना एक सुस्थापित निर्णय है। एक व्यक्ति जो ऐसी निर्धारित तिथि के बाद निर्धारित योग्यता प्राप्त करता है, उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जा सकता है। आवेदन के लिए जारी/प्रकाशित अधिसूचना का विज्ञापन जनता के लिए एक प्रतिनिधित्व का गठन करता है और इसे जारी करने वाला प्राधिकरण इस तरह से बाध्य है।

प्रतिनिधित्व। यह इसके विपरीत कार्य नहीं कर सकता है।

7. इस प्रस्ताव के पीछे एक कारण यह है कि अगर यह ज्ञात था

कि वे व्यक्ति जिन्होंने योग्यता प्राप्त की

निर्धारित तिथि लेकिन साक्षात्कार की तारीख से पहले साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, इसी तरह के अन्य व्यक्ति भी आवेदन कर सकते थे। सिर्फ इसलिए कि कुछ व्यक्तियों ने आवेदन किया था, इसके बावजूद कि उन्होंने निर्धारित तिथि तक निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं की थी, वे कर सकते थे

तरजीही आधार पर इलाज नहीं किया गया है। 8. उनके आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए था

स्वयं की शुरुआत। यह प्रस्ताव निर्विवाद है और वास्तव में बहुमत निर्णय में संदेह या विवादित नहीं था। रेखा चतुर्वेदी (श्रीमती) बनाम में भी इस प्रस्ताव की पुष्टि की गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य। (1993) आई. एल. एल. जे. 617 (एससी)। द.

बहुमत में तर्क देते हुए राय है कि 33 को अनुमति देकर

साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए उत्तरदाताओं, भर्ती

प्राधिकरण उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा प्राप्त करने में सक्षम था और यह कि इस तरह का पाठ्यक्रम जनहित को आगे बढ़ाने के लिए था, सम्मान के साथ, एक अस्वीकार्य औचित्य है। यह हमारे विचार में है

राय, कानून की एक स्पष्ट त्रुटि और रिकॉर्ड के चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि। हमारी राय में, आर. एम. सहाय, जे. (और उच्च न्यायालय की खंड पीठ) का यह मानना सही था कि 33 प्रत्यर्थियों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। साक्षात्कार के लिए। **

यह तर्क अन्य निर्णयों के समान है, जैसे कि यू. पी. पब्लिक सीई कमीशन बनाम अल्पना 1994 (2) एस. सी. सी. 723 और भूपिंदरपाल

1 & ओआरएस। बनाम पंजाब राज्य और अन्य 2000 (5) एससीसी 262। इसलिए, विजय कुमार मिश्रा (ऊपर) में यह आरक्षण दिया गया है कि "लोक सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए किए गए चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ऐसे बेटे के अधिकार (आयु, शैक्षिक योग्यता आदि जैसी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्रता के संबंध में अन्य राष्ट्रीय निर्देशों के अधीन) पर विचार किया जाना चाहिए। 14 और धीरज मॉर वी. के 16.

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

पात्रता के संदर्भ में "चयन" और "नियुक्ति" के बीच किया गया कार्य आधारहीन है। चयन प्रक्रिया विज्ञापन के साथ शुरू होती है, योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करना। पात्रता को आमतौर पर निर्धारित योग्यता, अनुभव और योग्यता रखने के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है।

आयु, अंतिम तिथि के अनुसार (आवेदनों की प्राप्ति, या एक विशेष निर्दिष्ट तिथि, आदि)। ऐसी तिथि के संदर्भ में उन पात्रता शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति अयोग्य होगा। इसलिए, यह अवलोकन कि निर्धारित पात्रता शर्तों के बिना चयन प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार की गारंटी है, सही नहीं है; अधिकार की गारंटी केवल तभी दी जाती है जब संबंधित उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। जैसा कि तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में बताया गया है, यदि इसके विपरीत सही है, तो निर्धारित योग्यता प्राप्त करने वाला

शर्मा (उपरोक्त), चयन प्रक्रिया में भागीदारी के संबंध में, जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए न्यायिक सेवा के सदस्य उम्मीदवारों के लिए, सात साल की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित कोटे में से, गलत निर्णय लिया गया था। उस हद तक, विजय कुमार मिश्रा (ऊपर) को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। 38. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, यह माना जाता है कि अनुच्छेद 233 के तहत, एक न्यायिक अधिकारी, सात साल की प्रैक्टिस के साथ एक अधिवक्ता के रूप में अपने पिछले अनुभव की परवाह किए बिना, आवेदन नहीं कर सकता है, और जिला न्यायाधीश के पद में किसी भी रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है; उसे या उसे उस पद पर कब्जा करने का मौका भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 और अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार पदोन्नति के माध्यम से होगा।

दिव्या पांडे

संदर्भ

ने जवाब दिया।